खण्ड-281, अंक-8
गुरूवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1892
(30 अप्रैल, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	७२७–७३१
प्रश्नोत्तर	७३१–७६७
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	७६७–७६८
सदन के समय में परिवर्तन का सुझाव (जारी)	७६८
विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के पारित हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों के मंत्रि-मंडल में बने रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	७६८
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	७६८–७६९
सदन के समय में परिवर्तन का सुझाव	७६९
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	७६९–७७०
विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के पारित हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों के मंत्रि-मंडल में बने रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (अस्वीकार)	७७०–७७४
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	७७४–७७५
पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	७७५
पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	७७५
पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवदन (सदन के पटल पर रखा गया)	७७५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें	७७५–७७६
मेरठ के प्रथम मुंसिफ, श्री कालरा, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	७७६–७८०
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	७८०–७८२
उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुरः स्थापित किया गया) ..	७८२
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरः स्थापित किया गया)	७८३
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्य काल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (पुरः स्थापित किया गया)	७८३

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरः स्थापित किया गया)	७८३
भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ (पारित) ..	७८४–८०७
उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधयक, १९७० (पारित)	८०७–८१०
उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधयक, १९६९ (पारित) ..	..८१०–८१४
नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं	८१४–८१६
नत्थियां	..८१७–८३५

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

३० अप्रैल, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३७१)

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत , श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, (बेगम ऐजाज रसूल) श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंद सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद,श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन , श्री
तेजपाल, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन , श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री

प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन , श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मन फूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री

राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिंडारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री

सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम श्री
सैयद मर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जि० आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र, तथा खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३० अप्रैल, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सैनिक स्कूल, लखनऊ में गबन की शिकायत

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक १८ अप्रैल, १९७० के साथ एक प्रतिवेदन दिनांक १६ अप्रैल, १९७०, जिसमें सैनिक स्कल , लखनऊ क वरिष्ठ पदाधिकारियों पर लाखों रुपयों के गबन आदि के गंभीर आरोप थे, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

गृह उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

जी हां । जांच के आदेश दे दिए गये हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस एजेंसी द्वारा कराई जा रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे जांच की एजेंसी बताने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन माननीय मिश्र ने जो आपत्ति की थी उसमें स्वयं उन्होंने लिखा था कि सारी बातों को गोपनीय रखा जाय वरना उन लोगों को मालूम हो जायगा और वे संबंधित लोग सबूत को गायब कर देंगे। किन्तु फिर वह सवाल करक उस चीज को खुलवा रहे हैं । मैं एजेंसी बता दूं, लेकिन यह स्वयं

उनके हित में नहीं होगा और न इससे कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व होगा। फिर भी मैं इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि जांच एक बहुत ही सेटिस्फेक्ट्री एजेंसी द्वारा कराई जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आरोप संख्या २० की तरफ गया है, जिसमें सेक्रेटेरियट के एक उच्चाधिकारी पर भी गम्भीर आरोप है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उसके शुरू के दो-तीन सफे पढ़े और बाद के पढ़े, मैंने हर एक पर ध्यान नहीं दिया कि किस नम्बर पर क्या लिखा है। लेकिन इससे जिस सोर्स से हम इन्क्वायरी करा रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसे देखते हुए कि जो आरोप पत्र है इसमें इतने गंभीर आरोप हैं, जितने उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार के नहीं मिलेंगे, कुछ आरोप सेक्रेटेरियट के अधिकारियों के भी विरुद्ध हैं। तो क्या यह जांच आप स्टेट के बाहर की किसी एजेंसी द्वारा कराने का विचार रखते हैं ?

श्री चरण सिंह—

बाहर की किसी एजेंसी से नहीं कराना चाहता हूं। क्योंकि स्टेट के बड़े से बड़े अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने की एजेंसी हमारे यहां मौजूद है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५७ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर की पुलिस द्वारा लड़कियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने की शिकायत

*१—श्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १४ फरवरी, १९७० को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम० ए० प्रथम वर्ष की एक छात्रा और उसकी दो बहनों को कानपुर की स्थानीय पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ा, तत्पश्चात् उन्हें कानपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बदनीयती से ले गये और फिर वहां से थाने में ले जाकर उनके साथ थाना इंचार्ज और पुलिस वालों ने नशे की हालत में कुत्सित व्यवहार किया ? यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इस प्रकार की किसी घटना का होना नहीं पाया गया। अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंभूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी यह महसूस करते होंगे कि ऐसी घटनाओं की रपटें थाने में नहीं होतीं क्योंकि नारियों की अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रश्न इसमें निहित रहता है। लेकिन अनेक घटनाएं इस प्रकार की आये दिन घटित हैं और अखबारों में उनका विवरण निकलता है यह घटना भी अखबार में छपी है और मैं आपको बताता हूं कि वह लड़कियां कहां की हैं, कहां से आ रही थीं और कहां जा रही थीं, आदि। मैं इसे पढ़े देता हूं—

श्री अध्यक्ष---

देखिए इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसकी पूरी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की गई है । इसमें जो आरोप लगाये गये हैं और जो अखबारों में निकले हैं उनमें कोई भी सत्यता प्रतीत नहीं होती ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह सर्वविदित है कि पुलिस कर्मचारियों की जांच पुलिस वाले करते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, इसे दृष्टि में रखकर क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---

उनका यह कहना था कि रिपोर्ट ऐसे मामलों में नहीं होती, लेकिन अगर कोई लड़की इस नाम की है, उसका तार आया, डी०आई०जी० के पास उसका खत आया उसके ऊपर तहकीकात हुई और सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस कानपुर, ने डी० आई० जी० को रिपोर्ट दी। उन सब बातों से मालूम होता है कि सब फर्जी मामला है। इस नाम की कोई लड़की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है । खन्ना नाम की लड़की दूसरे मोहल्ले की थी । वह किसी आर्मी आफिसर की लड़की नहीं है । वह अपने भाई के साथ रह रही है । वह कभी फर्रुखाबाद नहीं गई । तार और इसमें जो बात है, इन सब को देखने से मालूम होता है कि फर्जी मामला है । अखबारों में उसी तरह की बात छपी है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी इस घटना की, जैसी घटना का प्रश्न है, गंभीरता को देखते हुए और जैसा मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी, और किसी एजेंसी द्वारा जांच करायी, क्या मंत्री जी फिर जांच करवायेंगे कि यदि कोई ऐसी घटना नहीं घटी है तो क्या कोई प्लान्ड इस किस्म की कार्यवाही है जो अखबार में छपी और क्या बजूहात हैं जो इस तरह की गंभीर घटना अखबार में छपी और आपकी सूचना है कि निराधार है, कोई बात नहीं है ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, कुछ अखबार हैं जिनका काम है ब्लैकमेल का । इसलिए छापा गया मालूम होता है । दूसरे रोज अखबार में बताया जाता है, जो बाद में तार आया, उससे पहले रोज, एक दिन पहले एक अखबार के आदमी ने पुलिस आफिसर से यह कहा कि इस तरह की घटना हुई है, क्या कर रहे हैं । तार आता है उसके एक दिन बाद ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह देखते हुए कि इस आशय का समाचार समाचार-पत्रों में भी निकल चुका है, एक माननीय सदस्य ने विधान सभा में भी उठा दिया है और चूंकि शिकायत पुलिस की है, इसलिये पुलिस की जांच पर ही केवल विश्वास न करें, मैजिस्ट्रेट द्वारा इस घटना की जांच करवा लेंगे ?

श्री चरणसिंह---

जी नहीं । यहां तक कि हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करने का हमारा विचार नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस आदमी ने फर्जी तार भेजा है, या झूठी सूचना भेजी है उसे ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई ?

श्री चरणसिंह--

उसको ट्रेस आउट करना मुमकिन नहीं है। वैसे मेरे पास एक धमकी आई है मर्डर की, एक पोस्टकार्ड पर। वह मैंने जाब्ते में दे दिया है लेकिन मैं जानता हूं कि पुलिस उस पर कुछ कर नहीं सकती।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री, उस अखबार में जो घटना का विवरण छपा है अगर वह घटना बिलकुल निराधार है. क्या उस अखबार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्यवाही हो सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन आम सच्चाई यह है कि हमारे यहां गलत बात ही नहीं, झूठी बात कहने और लिखने का सब को अधिकार है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन छात्राओं का कोई बयान लिया गया और लिया गया तो क्या है ?

श्री चरणसिंह---

कोई छात्रा है ही नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि किस समाचार-पत्र में यह समाचार निकला है, क्योंकि बड़ा गम्भीर आरोप लगा दिया है ब्लैकमेल का, तो सदन जानना चाहता है कि किस समाचार-पत्र में ऐसी न्यूज निकली है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

एक है 'जनवाणी' और एक है "बमबम"।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

लखनऊ के हिन्दी दैनिक "नवजीवन" में १४ फरवरी को यह खबर छपी। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिस अखबार में यह खबर छपी है उसके संवाददाता से भी पूछताछ करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है। अगले दिन ही उन्होंने इसे कंट्राडिक्ट कर दिया।

हाइडिल विभाग में सेक्युरिटी आफिसर्स

*२---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के हाइडिल विभाग में कुछ सेक्युरिटी आफिसर्स की जगहों पर लोगों को ६० साल के बाद भी एक्सटेन्शन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)---

जी नहीं।

*३---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि उक्त जगहों के लिये १९६२ में एमर्जेन्सी कमीशन से डिस्चार्ज किये गये कमीशन्ड अफसरों के प्रार्थना-पत्र हाइडिल विभाग के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनको सेक्युरिटी अफसर का पद देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

एमर्जेन्सी कमीशन से डिस्चार्ज अफसरो के प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या यह सही है कि सेवा सिंह, सेक्योरिटी आफिसर जो लोहिया हेड पर हैं उनकी उम्र ६० से ऊपर है, अगर ऐसा है तो फिर माननीय मंत्री जी गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

६० वर्ष के हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---

"जी नहीं" में जो जवाब दिया है मैंने फिर यह उदाहरण दे कर बतलाया कि ६० वर्ष के ऊपर है या नहीं, इसका उत्तर दिया जाय ।

श्री राम प्रसाद देशमुख---

६० वर्ष से अधिक हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र उनके सामने विचाराधीन हैं उनको सेक्योरिटी अफिसर के पद पर फौज के रिटायर्ड कमीशंड आफिसर्स को लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

कठिनाई कोई नहीं थी लेकिन आदेश दे दिये गये हैं १६-३-७० को कि जो भी रिटायर्ड कमीशंड आफिसर्स हैं, उन्हीं को रखा जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल---

फौज के जो रिटायर्ड लोग हैं, जिन्होंने देश सेवा में जान खपाई है उनको प्राथमिकता दी जाय यह माननीय मंत्री जी को बार-बार लिखे जाने पर भी और उनके आदेश के बावजूद भी उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

मैंने जवाब में अभी बताया कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि प्राथमिकता उन्हीं को दी जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह---

जो रिटायर्ड एमर्जेन्सी कमीशंड आफिसर्स हैं उनकी कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

सूचना की आवश्यकता होगी ।

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री का दौरा

*४---श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री शम्भूनाथ चौधरी,---श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे (जिला जौनपुर), श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदांयूं)-श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रूप नाथ सिंह यादव---(जिला इलाहाबाद)

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के ११, १२ और १३ जनवरी, १९७० के दौरे के सिलसिले में कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गये थे और उनके दैनिक एवं दौरे के भत्ते तथा वेतन पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रधान मंत्री का ११ जनवरी, १९७० को इस प्रदेश का कोई दौरा नहीं हुआ था। प्रधान मंत्री ने १२ जनबरी से १४ जनवरी तक इस प्रदेश का दौरा किया था। इस दौरे के सिलसिले में प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में कोई सूचना देना जनहित में न होगा। इसके अतिरिक्त अलग से और किसी अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई।

*५---श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री कृष्ण स्वरूप, श्री राम गोपाल संड तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या मुख्य मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधान मंत्री का उपरोक्त दौरा सरकारी अथवा उनसे सम्बन्धित राजनैतिक दल के प्रचार के लिये था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

प्रधान मंत्री का उक्त दौरा सरकारी नहीं था।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर दिया है कि उनका दौरा सरकारी नहीं था। तो दौरा दल के प्रचार के लिये था जिससे प्रधान मंत्री सम्बन्धित थी, इसका जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री चरणसिंह---

इस सरकार का फर्ज है प्रधान मंत्री की सेक्योरिटी का प्रबन्ध करना जब वह अपने प्रदेश में आये, चाहे वह किसी काम के लिये भी आयें।

श्री कृष्णानन्दराय---

मुख्य मंत्री को पता है कि प्रधान मंत्री दौरा इलेक्शंस के दौरान करते हैं तो उनकी पार्टी अथवा दल उनकी सेक्योरिटी का खर्चा वहन करता है और सरकार उनके दल से पैसा प्राप्त करती है और यह परम्परा रही है बीसियों बर्ष से, तो क्या सरकार उनके दल से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री चरणसिंह---

अब इलेक्शनस में क्या होता है यह मुझे नहीं मालूम लेकिन चाहें वे इलेक्शन में आवें अथवा सरकारी काम से आयें या प्राइवेट काम से आये और देश के किसी हिस्से में भी जायें तो सेक्योरिटी पर खर्च करने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, इस प्रश्न का एक भाग यह भी है कि प्रधान मंत्री के दौरे के सिलसिले में अधिकारियों और कर्मचारियों के दैनिक भत्ते तथा वेतन पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ, तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि वे हमको इस सम्बन्ध में नियम न बतायें किन्तु यह बतलाने की कृपा करें कि उन पर कितना खर्च हुआ ? उन्हें यह बतलाने में क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना जनहित में आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह नियम नहीं है कि जब प्रधान मन्त्री सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उसका खर्च सरकारी खजाने से किया जाता है और जब वे गैर सरकारी, निजी या पार्टी के दौरे के सिलसिले में दौरे करते हैं तो सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च नहीं होता।

श्री चरणसिंह---

जी नहीं, नियम यह है कि जो प्रधान मन्त्री हैं या अपने यहां के मन्त्री हैं उनकी सिक्योरिटी पर जब वे इलेक्शन, आदि के सिलसिले में दौरा करते हैं तो जो उनका परसनल शैडो होता है या जो जिले के अधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक समझते हैं और उस पर जो व्यय होता है उसके खर्च को गवर्नमेन्ट ही बर्दाश्त करती है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सिक्योरिटी पर भी सरकार खर्च करती है?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह बात तो कुछ हद तक सही है। सभी नेताओं के ऊपर तो नहीं है, लेकिन जो प्रमुख नेता हैं उनकी सिक्योरिटी का इन्तजाम स्वयं गवर्नमेन्ट करती है और यही नहीं यदि कोई विधायक भी ऐसा चाहे तो उसकी सिक्योरिटी का इन्तजाम भी गवर्नमेन्ट करती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि वे कौन से नियम हैं जिनके तहत प्रधान मन्त्री या कोई मन्त्री अपने या निजी काम पर दौरा करें तो सरकारी खजाने से खर्च किया जायेगा?

श्री चरणसिंह---

मैं नियम वही बतला सकता हूं जहां पर गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है और जिस नियम के अधीन सब की सेक्योरिटी कायम रहे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मेरे सवाल का पूरा उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि वे नियम कौन से हैं जिनके तहत यह खर्च किया जाता है? क्योंकि मुझको भी मंत्रि-परिषद् में रहने का मौका मिला है। उस समय जब मैं अपने काम से गया तो मुझे सेक्युरिटी का कोई प्रबन्ध नहीं मिला और न मैंने उस को लिया है।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री कृष्णस्वरूप---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के कितने कर्मचारी, पत्रकार, आदि प्रधान मन्त्री के इस दौरे के साथ थे और उन पर कितना खर्च हुआ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मन्त्री जी मुझसे यह सूचना ग्रहण करेंगे कि जब कभी प्रधान मन्त्री इस प्रदेश में सरकारी काम से आये हैं तो उनका प्रबन्ध सरकारी तौर पर हुआ है लेकिन अगर पार्टी के काम से आये हैं तो जितना खर्चा उनके इस दौरे में हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी से उस खर्चे को ले लिया गया है, ऐसा चुनाव के दिनों में होता रहा है? क्या उन को ऐसी जानकारी है और अगर है तो क्या उनके दल से यह खर्च वसूल किया गया?

श्री चरण सिंह---

अक्सर तो सूचना मुझसे मांगी जाती है लेकिन आप ने जो सूचना मुझे दी है, मैंने उस को ग्रहण कर लिया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)---

क्या मिनिस्टरों को जो शैडो दिये जाते हैं उन से खाना बनवाया जाता है और बिस्तर बंधवाये जाते हैं?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि प्रधान मन्त्री या किसी और मन्त्री का कोई दौरा सरकारी है या गैर सरकारी है, इस को तय करने के लिये कौन सी लाइन है? किस तरह से दोनों को अलग किया जायगा?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री चरणसिंह---

इसका क्या उत्तर दूं।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब-जब प्रधान मन्त्री उत्तर प्रदेश का निजी या सरकारी दौरा करेंगे, उसके लिये हेलीकोप्टर का प्रबन्ध किया जायगा और उसके लिये बांदा, अतर्रा और मऊ-रानीपुर में स्थान बनाया जायगा और उस पर लाखों रुपया खर्च किया जायगा? यह किस नियम के अनुसार किया जा रहा है?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रधान मन्त्री दौरे पर आती हैं और उनकी सुरक्षा के लिये सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, तो क्या उसके बारे में सूचना देना जनहित में न होगा तथा उस पर जो खर्च किया जाता है उस को दबाना जनहित में होगा अथवा उसको प्रकाश में लाया जाना जनहित में होगा?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने जवाब दे दिया कि जनहित में नहीं है।

(श्री अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देने के मंत्री को पुकारा)

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह कौन-सा नियम है कि प्रश्नकर्ता को ही प्रश्न करने का अवसर न दिया जाय? ऐसा कैसे किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष---

मैंने मौका काफी दे दिया इन सवालों के लिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं तो प्रश्नकर्ता हूं। आप नियम न तोड़ें। अगर आप नियम तोड़ते चले जायंगे तो हम क्या करेंगे? नियम है कि जो प्रश्नकर्ता हो उस को मौका मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि नियम से आप काम करें। नियमावली आप देखें, कहीं नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं बैठा जा रहा हूं। अगर व्यवस्था आप नहीं देंगे तो फिर उठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---

साधारणतया ६--७ सवाल हो जाने चाहिए, लेकिन इस पर तो १५ हो गये होंगे। इसलिए अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

श्री शम्भूनाथ चौधरी का खड़ा रहना, आप की व्यवस्था के बावजूद, यह नियमों के विरुद्ध है.....

हल्द्वानी में शराब के दुकानों के ठेके के खिलाफ सत्याग्रह

*६---श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी में जो दिनांक १३ मार्च, १९७० की शराब की दुकानों के ठेके होने वाले थे उसके विरोध में नैनीताल में मद्य-निषेध संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सूचना के अनुसार शराब की दुकानों का ठेका दिये जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था? यदि हां, तो सत्याग्रही कितने थे? क्या उनमें महिलायें भी थीं? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी में १३ मार्च, १९७० को देशी शराब की दूकानों के होने वाले ठेकों के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रहियों की संख्या लगभग २०० थी तथा उसमें महिलायें भी शामिल थीं। इन्होंने सी० आर० पी० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन किया। भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत ४४ व्यक्तियों, जिनमें ११ महिलायें थीं, गिरफ्तार किया गया।

श्री डूंगर सिंह विष्ट---

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो नशाबन्दी की है उसका आधार क्या रखा गया था और किन-किन जिलों की की गयी?

श्री चरणसिंह---

प्रश्न तो हल्द्वानी का है न कि जनरल पालिसी का। वह तो यह था कि हल्द्वानी में सत्याग्रह हुआ या नहीं हुआ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट---

हल्द्वानी में यह नहीं हुआ था। नैनीताल जिला मद्य-निषेध समिति जो पर्वतीय क्षेत्र की थी उसके तत्वावधान में हुआ। तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र का था या मैदानी क्षेत्र का? और आप को १३ तारीख को मद्य-निषेध समिति द्वारा आन्दोलन करने की सूचना मिली है उस में किस जगह के लोग सम्मिलित हैं?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो घोषणा की थी उसके लफ्ज तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर पहाड़ी इलाके में नशाबन्दी करने पर हम विचार कर रहे हैं, ऐसी मेरी घोषणा थी। तो उसमें हमने करीब-करीब सभी जिलों में कर दी है। एक तो अल्मोड़ा की एक-दो दूकान रखी गयी हैं और एक नैनीताल की। और नैनीताल जिले में हमने कोई बन्द नहीं की है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जिन जिलों का आपने नाम लिया है उनमें अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल शहर नहीं आते हैं ?

(उत्तर के लिये मुख्य मन्त्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने की थी कि पर्वतीय जिलों में नशाबन्दी करने पर सरकार विचार कर रही है उन्हीं भावनाओं का आधार ले कर उन लोगों ने सत्याग्रह किया था, क्योंकि सरकार का विचार था कि वहां पर नशाबन्दी होगी और इसी आधार पर उन्होंने सत्याग्रह किया, तो क्या यह वाजिब था कि उन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाय जबकि स्पष्ट घोषणा थी कि पर्वतीय जिलों में शराबन्दी की जायगी ?

श्री चरणसिंह—

मैं तो जवाब दे चुका। अगर मैंने कोई पर्वतीय जिले के लिए कहा तो कोई कानून ऐसा नहीं बना हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़े तो संशोधन नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि नैनीताल जिले की अधिकतर आबादी मैदान में बसी हुई है। तीसरे, नशाबन्दी करने का उद्देश्य सारे सूबे में है, उसमें पर्वतीय जिलों तक ही सीमित रखा जाय, ऐसी बात नहीं है । उसमें तो यह भी है कि मैदान में भी किया जाय। लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है और न उस पर कोई लम्बी बहस की जरूरत है।

श्री धर्मवीर— जितने सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे वे छोड़ दिये गये या अभी जेल के अन्दर हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ठेकों की नीलामी के फौरन् बाद उनको छोड़ दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुख्य मन्त्री जी के उत्तर का स्वागत करते हुए कि पहाड़ी जिलों से वह प्रयोग प्रारम्भ कर रहे हैं और पहाड़ी जिलों में देहरादून भी एक जिला है। तो क्या प्रारम्भ में देहरादून शहर से आबकारी की दुकानों को बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

जो सुझाव दिया है उस पर अमल करने से पहले यह मालूम करना पड़ेगा कि स्वामी जी के कांस्टीटुएंट्स कितनी ज्यादा या कम शराब पीते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर के किन-किन दफाओं में चालान किया गया और क्या क्या सजायें मिलीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब तो वे छोड़ दिये गये ।

जल विद्युत् विभाग, बुलन्दशहर, से किसानों को कनेक्शन न मिलना

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार को पता है कि जल विद्युत् विभाग, बुलन्दशहर, में किसानों का काम समय पर नहीं हो पाता और इस कारण १५ मार्च, १९७० से किसानों ने आन्दोलन करने का निश्चय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आन्दोलन के प्रारम्भ के पूर्व ही प्रश्नगत भ्रष्टचार को दूर करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जल विद्युत् विभाग द्वारा बुलन्दशहर में किसानों को नलकूपों व पम्पिंग सेटों के लिये बिजली देने का कार्य लक्ष्य के अनुसार समय पर किया जाता है। किसानों के १५ मार्च, १९७० से आन्दोलन करने के निश्चय के बारे में शासन को कोई सूचना नहीं है। भ्रष्टाचार से प्रतिशासन सतर्क है और जहां भी आवश्यक प्रतीत होता है, उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कनेक्शन के लिये किसानों की कितने समय की पुरानी दरख्वास्तें अब भी विचाराधीन हैं जिन को कनेक्शन नहीं मिले ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

१९६९–७० की दरख्वास्तें हैं जिनमें से काफी हो गयी हैं। एक हजार दरख्वास्तों में से कम से कम २६० कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

दो साल के अन्तर्गत जिन किसानों से ऐग्रीमेंट हुआ अभी उन को बिजली नहीं पहुंचायी गयी है क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

बात यह है कि एग्रीमेंट तो जरूर हो गया है लेकिन कुछ किसानों ने फार्म नहीं दिये हैं। फिर भी जल्दी की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इस देरी के कारण कि ऐग्रीमेंट होते हुये भी समय पर कनेक्शन नहीं मिलता इससे किसान मजबूर हो कर भ्रष्टाचार का सहारा ल रहा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

देरी की वजह से किसान भ्रष्टाचार का सहारा ले रहा है यह बात समझ मे नहीं आती। लेकिन देरी का कारण मैंने बताया कि कुछ सामान की कमी हो सकती है और कुछ उनकी तरफ से भी देरी हो सकती है क्योंकि फार्म तैयार नहीं होता।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायगे कि मार्च और अप्रैल में कितने नये कनेक्शन बुलन्दशहर जिले में दिये गये ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

३१ मार्च तक ७३३ कनेक्शन मंजूर हुये जिनमें से २०७ दे दिये गये हैं और १५७ जिलाधीश बुलन्दशहर के पास स्वीकृत हो गये हैं।

(उत्तर बिल्कुल सुनायी नहीं दे रहे हैं की आवाजें)

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एग्रीमेंट हो तो उसके कम से कम तीन महीने के अन्दर उन किसानों को बिजली मिल जाय, क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यह तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बिजली तीन महीने में दे देंगे और हम उसको तीन महीने के अन्दर देने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें कभी कुछ देरी होती है तो वह पी० एल० फार्म की वजह से होती है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि बुलन्दशहर के दोनों विद्युत् डिवीजनों में न तो सामान है और न रुपया है जिसकी वजह से सारा विद्युतीकरण नलकूपों का रुका हुआ है। तो क्या रुपये और सामान की व्यवस्था तुरन्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जिस साल का हमारा जो टार्गेट होता है उसे हम करते हैं। आज कल किसानों में जागृति इतनी आ गई है कि वह चाहते हैं ट्यूबवेल मिले। बिजली मिलने में जो थोड़ी बहुत कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री सत्यनारायण सिंह, अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् की नियुक्ति पर आपत्ति

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के पद पर एक अवकाश प्राप्त ६४ वर्षीय इंजीनियर की नियुक्ति की गई है और क्या यह भी सही है कि उनके सेवाकाल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जनहित में श्री सत्य नारायण सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, को राज्य विद्युत् परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका जन्म दिनांक १ फरवरी, १९०६ को हुआ था। उन के पूर्व सेवा काल में भ्रष्टाचार के किसी आरोप के सम्बन्ध में शासन में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि सन् ६२, ६३ और ६४ में जो इस वक्त चेयरमैन है वह उस समय मुख्य अभियन्ता थे और इलक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर भी थे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या उस समय ओबरा थर्मल प्लान्ट, मिर्जापुर बनाया गया जिसका ठेका कपूर ठेकेदार को दिया गया ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। जब आ जायगी, दे देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस सूचना को प्राप्त कर लें । जब यह मुख्य अभियन्ता थे तो उस समय इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर भी थे । उस समय सचिव श्री बी० बी० लाल थे। उन्होंने कपूर

को ठेका दिया ज्यादा दाम पर। सरकार के इन्टरवेन्शन से २० लाख रुपये कम किये गये और इस मामले को विजिलेन्स को दिया गया। तो क्या इन सारे तथ्यों की जांच करा के आप सदन को उत्तर देंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विवरण पूंछ रहे हैं, अगर लिख कर दें तो हम जांच करा लेंगे ।

श्री अवधेशकुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह इंजीनियर किस सन् में रिटायर हुये थे। कितने वर्ष रिटायर हुये हो गये यह मैं जानना चाहूंगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

१९६५ में रिटायर हुये थे ।

श्री अवधेशकुमार—

यह सन् १९६५ में रिटायर हुये। उस समय गिरधारी लाल जी विद्युत मन्त्री थे । उन्होंने उस पर डेफिनिट आरोप भ्रष्टाचार के लगाये थे। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने तय कर लिया है कि जो गुप्ता सरकार के भ्रष्ट अफसर निकाले गये थे और ५ वर्ष रिटायर हुये हो गये हैं उन सब की नियुक्ति की जायेगी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६५ के अवकाश प्राप्त यह सज्जन जिनकी आयु ६४ वर्ष की है उनको इस विशेष पद पर नियुक्त करने का विशेष कारण है या साधारण कारण है ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, विशेष कारण और साधारण कारण जो इन्होंने कारणों की तकसीम की वह मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। जनहित का कारण था। जितने हमारे चीफ इंजीनियर्स या इंजीनियर्स रिटायर हुये है उनमें वह अधिकतम योग्य है और उनकी ईमानदारी पर कोई स्तर नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी इजाजत से बता देना चाहता हूं कि यहां से रिटायर होते ही हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स कारखाना जो कि बहुत बड़ा कारखाना गवर्नमेंट आफ इंडिया का सोवियत रशा के कोलैबोरेशन से बन रहा है उसमें उनका एप्वायन्टमेंट हुआ और वहां से जब वह आये तो वहां के इंजीनियर ने जो उन्हें सर्टीफिकेट उनकी कार्यकुशलता और इन्टीग्रिटी के दिये है वह ऐसे है जो हिन्दुस्तान के किसी भी इंजीनियर को नहीं दिया गया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतावेंगे कि हेवी इलेक्ट्रिकल्स में वह केवल मेन्टेनेन्स के कार्य पर थे ? दूसरे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ही केवल योग्यतम समझा गया इस दृष्टि से जिसका जिक्र माननीय मुख्य मन्त्री ने किया ?

श्री चरणसिंह—

मैं तो जवाब दे चुका। हम चाहते थे कि एक टेक्निकल आदमी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हो तो हमारे अफसरान ने कहा कि योग्य से योग्य जो व्यक्ति यू० पी० में समझा गया हो उसको ढूंढा जाय पता नहीं दूसरी जगह से आदमी मिले या न मिले। तो सभी के कैरेक्टर रोल्स को देख

[श्री चरणसिंह]—

कर इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एक "ए" क्लास और इंटीग्रिटी के आफिसर थे और रिटायर हो गये हैं। इतनी उम्र हो गई ऐसा कोई प्रतिबन्ध रूल्स में इस पद के लिये नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो टेक्निकल है अगर उनकी सेहत इजाजत देती है तो उम्र का कोई लिहाज नहीं होता जिस तरह से हमारे मित्रा साहब थे उनको गवर्नमेंट ने ६६, ६७ साल की उम्र तक अपनी सर्विस में रखा।

श्री धर्मवीर—

क्या मुख्य मंत्री जी बतावेंगे कि जिस प्रकार कि उन्होंने कहा यह योग्य और कुशल इंजीनियर थे इसलिये रिटायर होने के ५ साल बाद उन्हें नियुक्त किया तो क्या यह सरकार की नीति है कि सरकार के जितने भी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनमें जो ईमानदार है और उनकी विभाग को जरूरत है तो उनकी नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अफसरान ५८ वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते है लेकिन जिनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है उनको गवर्नमेंट इग्जेम्पशन दे देती है। जहां तक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पद की बात है यह बोर्ड एटानमस बाडी है और उसके चेयरमैन के पद के लिये ऐसी उम्र की कोई शर्त नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री जी १९६३-६४ और १९६४-६५ में मंत्रि परिषद् में थे तो क्या उसके आधार पर उनकी जानकारी में है कि थरमल प्लान्ट और कपूर के ठेके को लेकर कोई मामला नन्दा जी के पास विजिलन्स जांच के लिये गया था जिसमें बी० बी० लाल साहब और इंजीनियर सत्य नारायण सिंह दोनों इनवाल्व थे?

श्री चरणसिंह—

मुझे कोई इल्म नहीं है। ऐसी बातें मंत्रिपरिषद् में आया नहीं करती हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब यह मामला श्री नन्दा जी के पास विजिलेन्स जांच के लिये पहुंचा तो मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस मामले में किसी सज्जन की सिफारिश भी की थी ?

श्री चरण सिंह—

मुझको तो यह मामला ही नहीं मालूम था इसलिये इस मामले में कोई सिफारिश की इसका सवाल नहीं उठता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शिकोहाबाद में शराब के ठेकेदार पर मुकदमें

*१—श्री मंसाराम (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद नगर में देशी शराब की कितनी दुकानें किन-किन व्यक्तियों के नाम से कितने समय से हैं और उन पर पृथक्-पृथक् शराब में गड़बड़ी करने के कारण कितने मुकदमें एक्साइज मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में चल रहे हैं?

श्री चरणसिंह—

मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद नगर में देशी शराब की केवल दो दुकानें हैं जो श्री प्यारेलाल अरोरा, पुत्र श्री बाबूराम अरोरा के नाम से १, अप्रैल १९६८ से है। श्री प्यारेलाल अरोरा के

विरुद्ध शराब में गड़बड़ी करने के कारण एक्साइज मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में इस समय चार मुकदमें चल रहे हैं।

*२—श्री मंसाराम (अनुपस्थित)—

उपरोक्त ठेकेदारों को १ जनवरी, १९६८ से ३० जुलाई, १९६९ तक उपरोक्त न्यायाधीश ने कितनी बार किन-किन केसों में दण्डित किया तथा जो दूकानदार दण्डित हुये हैं उनके शराब बेंचने के लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किये गये ?

श्री चरणसिंह—

उपरोक्त ठेकेदारों को १ जनवरी, १९६८ से ३० जुलाई, १९६९ की अवधि में उपरोक्त न्यायाधीश ने एक बार अभियोग संख्या ३५७ में दिनांक १ मार्च, १९६९ को २५ रुपया दण्ड, अर्थदण्ड से दण्डित किया। दण्डित होने की सूचना वर्ष १९६८-६९, जो ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होता था, के दौरान न मिलने के कारण इनका लाइसेंस रद्द न किया जा सका।

मंत्रियों के दौरे पर व्यय

*३—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाएगी कि १ नवम्बर, १९६९ से एक जनवरी, १९७० तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के किन-किन सदस्यों (मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री) ने किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा उसके अन्तर्गत अलग-अलग उनके दौरों पर कितना व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१७-८२३ पर)

[दिनांक ३० अप्रैल, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पुलिस कमीशन की सिफारिश पर पुलिस शक्ति में बढ़ती

*१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किस-किस रेंज के कितने-कितने पुलिस पर्सनल पिछली दो फेजेज में बढ़ाये गये और चालू वित्तीय वर्ष में कितने बढ़ाये जाने की योजना है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

सम्पूर्ण सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२४ पर)

एक सदस्य—

इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ दिया जाय ताकि हम उनके ऊपर पूरक प्रश्न कर सकें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह जो सूचना दी हुई है उससे जाहिर होता है कि कुछ रेन्जों में पुलिस पसनल्स की भर्ती हुई और कुछ में हुई ही नहीं। क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर इनकी भर्ती हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्राइम्स के आधार पर इनकी भर्ती की गई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्राइम्स के आधार पर तो इनकी भर्ती की गई परन्तु जो सूचना दी है उससे यह मालूम होता है कि एक स्थान पर तो भर्ती ज्यादा हुई है और दूसरे स्थान पर कम। इसका क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिन स्थानों पर क्राइम्स की संख्या अधिक है वहां पर अधिक भर्ती की गई है और जहां पर कम है वहां पर कम की गई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाल के जवाब में दिया है कि लखनऊ रेंज में १५ सब-इन्सपेक्टर्स सप्लस हैं। ये सब-इन्सपेक्टर्स कब से सप्लस हैं और कब तक इनको दूसरे रेंज में भेजा जायगा?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

कब से सप्लस हैं इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

एक सदस्य—

पुलिस चौकियों पर कब तक टेलीफोन लगाने की व्यवस्था हो जायेगी?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

टेलीफोन लगाने की व्यवस्था का प्रश्न भी विचाराधीन है।

बदायूं तथा अन्य स्थानों पर पुलिस थानों में जीपें तथा टेलीफोन

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के निर्णय के अनुसार पिछले तीन वर्षों में १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में कितने टेलीफोन पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर लगाये गये और कितनी जीप गाड़ियां थानों के लिये दी गईं और चालू वर्ष में कितनी जीप गाड़ियां थानों के लिये दी जाने की योजना तथा कितने फोन लगाने की योजना है तथा जिला बदायूं में कितनी जीप गाड़ियां तथा कितनी और नई जीप दी जायंगी तथा कितने फोन लगाये जायेंगे?

(श्री ओमप्रकाश सिंह द्वारा अन्य प्रश्न का उत्तर पढ़ने की चेष्टा करने पर)

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८, १९६८–६९ व १९६९–७० में क्रमशः २४, ५, ३९ व २२ टेलीफोन पुलिस थानों व चौकियों पर लगवाये गये। चालू वर्ष में १२४ अन्य पुलिस थानों पर टेलीफोन लगाये जाने की योजना है। जिला बदायूं में ६ पुलिस थानों पर टेलीफोन लगाने की योजना है। वर्ष १९६६–६७ में कोई गाड़ी स्वीकृत नहीं की गई किन्तु वर्ष १९६७–६८ में ५१ गाड़ियां तथा १९६८–६९ में ८१ गाड़ियां थानों पर दी गईं। चालू वर्ष में १८२ और गाड़ियां दिये जाने की योजना है। जिला बदायूं में कुल ५ जीप गाड़ियां हैं तथा और दिये जाने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

(श्री ओम प्रकाश सिंह की तरफ निर्देश करते हुये)

उनको आप आदेश दें कि प्रश्नों के उत्तर तैयार करके आया करें। उन्होंने दूसरे ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में कौन-कौन से पुलिस थाने हैं जहां पर आप टेलीफोन लगवाने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

जिस थाने में ज्यादा गड़बड़ समझते हो असरार अहमद साहब उसमें लगा दें।

(हंसी)

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के जिन थानों में आने जाने के साधन नहीं हैं और क्राइम बढ़ रहे हैं वहां टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं तो जवाब दे चुका।

श्री रियासत हुसेन—

प्रदेश में दिन व दिन संगीन जरायमों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और यह समझते हुए कि जब तक संगीन जुर्म में सी० ओ० नहीं पहुंचता तब तक इन्वैस्टीगेशन शुरू नहीं होता, मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सी० ओज० को जीप और टेलीफोन की सुविधा मिले ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, बात तो मेरे मित्र सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने लिमीटेशन है फायनेन्सल रिसोरसेज का।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि वर्ष १९७० में बदायूं के सब थानों में जीप पहुंच जाय ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

ऐसा कोई वायदा नहीं किया जा सकता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि थानों के अलावा पुलिस चौकियों पर टेलीफोन लगाने में क्या दुश्वारियां हैं ?

श्री चरणसिंह—

एक ही दुश्वारी है—जब इस सदन की तरफ से यह तकाजा और मांग बन्द हो जाएगी कि टैक्स न लगाओ और खर्चा बढ़ाओ।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जीपें उन स्थानों पर दी गयी हैं जहां अन्य यातायात के साधन उपलब्ध हैं और जहां यह साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां नहीं दी गयी हैं और क्या इस बात की जानकारी करने के बाद ऐसी जगहों पर जीप दिलाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जीपें जिस जिले को एलाट की गयी हैं उस जिले के अधिकारियों पर ही इस बात को छोड़ दिया गया था कि जिस थाने में देना चाहें दें। अभी महीना भर हुआ हमने आई० जी० को यह

[श्री चरणसिंह]--

आदेश दिया है कि जहां यातायात के साधन कम हैं वहां जीप दी जाय और ऐसी जगह को वरीयता दी जाय जहां जरायम ज्यादा हो ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि पर्वतीय जिलों के यात्रा मार्ग में जितनी चौकियां पड़ती हैं उन पर टेलीफोन लगाए जांय ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं, पर्वतीय जिलों के लिए कोई खास योजना नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जहां-जहां टेलीफोन और जीप का प्रबन्ध किया गया है वहां कुछ आनुपातिक दृष्टि से पुलिस की एफीशियेन्सी बढ़ी है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी तो जीप और टेलीफोन दिए हुए बहुत कम अरसा हुआ है और वैसे भी एफीशियेन्सी नापना मुश्किल होता है क्योंकि जरायम की स्थिति कोई स्टेशनरी नहीं होती कि सन् १९६५ में जितने हुए थे उतने ही सन् १९६७ में भी होते ।

*३-४-- श्री इन्द्रलाल--

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*५-६--श्री रियासत हुसैन--

[दिनांक १७ मार्च, १९७० को तां० प्र० सं० ५९-६० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है]

*७--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

मंसूरी कोआपरेटिव क्लब में मनोरंजन कर की चोरी

*८--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि मंसूरी कोआपरेटिव क्लब में हजारों रुपये के मनोरंजन कर की चोरी आडिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मंसूरी कोआपरेटिव क्लब के सहकारिता वर्ष १९६७-६८ (१ जुलाई १९६७ से ३० जून, १९६८ तक) के आडिट रिपोर्ट से प्रगट होता है कि क्लब द्वारा हाउजी के खेल से संबंधित अभिलेखों में असावधानी, शिथिलता तथा अनियमितायें बरती गयी। इसके कारण क्लब में हाउजी खेले जाने की आज्ञा शासन ने वापस लेने के आदेश दिये हैं और तत्कालीन मनोरंजन कर निरीक्षक को उस पद से हटा दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस आडिट रिपोर्ट में मनोरंजन कर की चोरी का भी जिक्र है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस आडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मनोरंजन कर की चोरी नहीं बल्कि इस तरह की गड़बड़ी जरूर है, इस प्रकार की गड़बड़ी की आपत्ति है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री गड़बड़ी और चोरी में थोड़ा अन्तर करते हुये क्या निश्चित सूचना सदन को देंगे कि वहां मनोरंजन कर के अन्दर भारी चोरी की गई है और बहुत से लोगों ने चोरी की है यह सूचना आडिट रिपोर्ट में ही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट में यह है कि वहां अनियमिततायें और गड़बड़ी हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जिस अधिकारी को पद से हटाया गया है उसकी चार्जशीट में क्या क्या गड़बड़ी लिख कर दी गई हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वह इन अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार हैं इसीलिये उनको हटाया गया है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

वह गड़बड़ी क्या हैं वह तो उसमें लिखी होंगी, वह बतायें?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंन उत्तर दे दिया कि अनियमिततायें हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जो भी गड़बड़ी हैं वह तो चार्जशीट में लिखी होंगी, वही बताने की कृपा की जाय?

श्री चरण सिंह—

इन अफसरों ने जो इर्रेगुलेरिटीज की हैं उन्हीं के मुताल्लिक आडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बहुत लम्बी फेहरिस्त इस सम्बन्ध में है आप आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दी जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तत्कालीन जिलाधीश ही उस क्लब के चेयरमैन थे, क्या उन पर भी कोई कार्यवाही की गई या सरकार का करने का विचार है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कोई कार्यवाही उन पर नहीं की गई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गड़बड़ी मनोरंजन कर में हुई वह कोई मामूली ऐसी गड़बड़ी नहीं थी बल्कि जितना मनोरंजन कर नियमत: बनता था वह कम दिखाया गया और गोलमाल किया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया उसमें अनियमिततायें हुई हैं, लेकिन कर की चोरी का मामला नहीं बन रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें, मैं निश्चित बात उनसे कहता हूं कि जितना मनोरंजन कर बनता था हर खेल में वह उससे कम दिखाया गया है और कम जमा किया गया है?

श्री चरण सिंह—

मालूम होता है कि हमारे माननीय मित्र को इस मामले में चोरी जो कर की हुई है उसका जाती इल्म है, वह अगर मुझे आकर बतलायेंगे तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा।

नोट—तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राज्य सचिवालय में अधिकारियों के पास कृषि फार्म

*९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सचिवालय, लखनऊ में कितने आई० ए० एस० या आई० सी० एस० अधिकारी हैं जिनके पास कृषि फार्म हैं तथा उनमें से कम से कम कितने एकड़ के और अधिक से अधिक कितने एकड़ के हैं ?

श्री चरणसिंह—

राज्य सचिवालय में सात आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास कृषि फार्म हैं। उनमें कम से कम तथा अधिक से अधिक रकबे के फार्म क्रमशः १·८ तथा ६० एकड़ के हैं।

*१०—श्री मंजूर अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

थाना, कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ के हिमाऊपुर की घटना

*११—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत कोतवाली थाने में ग्राम हिमाऊपुर के एक परिवार पर दिनांक १०–११ अप्रैल, १९६९ की रात में कुछ व्यक्तियों ने बन्दूक और लाठियों से लैस होकर आक्रमण किया और एक स्त्री गोली से आहत होकर मर गई ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ? कितने अभियुक्त जेल में हैं और कितने अभी तक फरार हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस आशय की एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में दिनांक ११ अप्रैल, १९६९ को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके जांच की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित सभी सातों अभियुक्तों के विरुद्ध जो फरार थे धारा ८७/८८ जा० फो० की कार्यवाही की गई। छः अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उन्हें जेल भेजा गया। बाद में वे जमानत पर छूटे। जांच से प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अभियुक्तों की नामजदगी सही नहीं पाई गई। मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त कर दी गई।

*१२–१३—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

*१४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[दिनांक २८ अप्रैल, १९७० प्र० सं० २५ के अन्तर्गत उत्तरित]

छिबरामऊ, थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*१५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक १३ अगस्त, १९६९ को फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ तहसील हेड क्वार्टर पर समस्त राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों की सभा में छिबरामऊ थाना इन्चार्ज के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर कोई प्रस्ताव पास किया गया है और उसकी प्रति जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को भेजी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। दिनांक १३ अगस्त, १९६९ को छिबरामऊ में हुई कुछ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की सभा में छिबरामऊ थाना के इन्चार्ज के विरुद्ध पारित प्रस्ताव की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव में उल्लिखित एक व्यापारी के साथ थानाध्यक्ष द्वारा किये गये कथित दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि इस मामले से संबंधित एक इस्तगासा न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस के विरुद्ध प्रस्ताव में अंकित सामान्य शिकायत जांच से सही नहीं पाई गई।

*१६—श्री महरम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान इंचार्ज थाना छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद कितने दिनों से फर्रुखाबाद जिले में हैं और किन-किन थानों में रहे हैं और क्या यह भी सही है कि जिन थानों में यह रहे हैं उन में इनके विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत रही है? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर तुरन्त विचार करेगी?

श्री चरण सिंह—

वर्तमान इन्चार्ज, थाना छिबरामऊ, फर्रुखाबाद जिले में ८ जुलाई, ६६ से से तैनात है। इस थाने पर तैनात होने के पहले वे थाना डठिया और राजेपुर में तैनात रह चुके हैं। उक्त तैनाती की अवधि में इनके विरुद्ध कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये इन में से अधिकतर में जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गईं, कुछ शिकायतों के बारे में अभी जांच नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन थे।

खेरा रायठोर थाने में श्री सुघर सिंह के कत्ल से सम्बन्धित श्री गोधन सिंह का प्रार्थना-पत्र

*१७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, १९६९ में श्री गोधन सिंह, निवासी चुन्नी का पुरवा, थाना खेरा रायठोर, जिला आगरा से उन्हें इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि पुलिस थाना खेरा रायठोर व हाकिम तहसील, बाह को श्री सुघरसिंह, निवासी चुन्नी का पुरवा की बार-बार यह सूचना कि उनकी जान को सख्त खतरा है, देने के बावजूद २८ अगस्त, १९६९ को श्री सुधर सिंह का कत्ल हो गया? यदि हां, तो श्री गोधन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह—

जी हां, इस आशय का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। तथ्यों की जांच कराई जा रही है।

*१८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६४ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१९—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

बलिया में कोतवाली पुलिस द्वारा फौजी जवान के साथ अमानुषिक व्यवहार

*२०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गत २३ मार्च, १९६९ को एक फौजी जवान श्री हरिशंकर प्रसाद गुप्त के साथ बलिया कोतवाली पुलिस द्वारा की गई अमानुषिक बर्ताव की घटना की सूचना प्राप्त हुई है?

श्री चरण सिंह—

इस आशय की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ।

*२१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त घटना के विरोध में क्षोभ प्रकट करने के लिये बलिया नगर में ३० मार्च, १९६९ को आम सभा और २ अप्रैल, १९६९ को व्यापक हड़ताल हुई जिसमें पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपियां मुख्य मन्त्री को प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया उक्त शिकायती-पत्र और पारित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

कथित घटना के संबंध में बलिया शहरमें दिनांक ३०-३-६९ को एक राजनैतिक पार्टी की सभा हुई थी । दिनांक २-४-६९ को आंशिक हड़ताल व सभा भी की गई । शिकायती तार तथा इन सभाओं में इस घटना से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२५ पर)

*२२-२३—श्री रामलाल राही—

[४थे सोमवार को प्र० सं० १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२४—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२५-२६—श्री नौनिहाल सिंह—

[दिनांक २९ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० २६-२७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२७-२८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

पंचवर्षीय मिलकियत का नकशा न देने वाले आबकारी इन्स्पेक्टर

*२९—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने आबकारी इन्सपेक्टर हैं जिन्होंने अपना पंचवर्षीय मिलकियत का नक्शा आज तक विभाग को नहीं भेजा ?

श्री चरण सिंह—

१५ (पन्द्रह) आबकारी इन्सपेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंचवर्षीय मिलकियत का नक्शा आजतक विभाग को नहीं भेजा ।

हाटा थानान्तर्गत डकैतियां

*३०—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के हाटा थाने के अन्तर्गत १ सितम्बर, १९६९ से २९ अक्तूबर, १९६९ तक कितनी डकैतियां किन-किन गांवों में पड़ी हैं ?

श्री चरण सिंह—

देवरिया जिला के हाटा थाने के अन्तर्गत १ सितम्बर, ६९ से २९ अक्तूबर, ६९ तक की अवधि में डकैती की केवल दो घटनायें हुई हैं, एक ग्राम नाऊ मुंडा में तथा दूसरी ग्राम सिंहपुर में ।

*३१—श्री बांकेलाल—

क्या मुख्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त डकैतियों में पुलिस ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री चरण सिंह—

दोनों डकैतियों की घटनाओं में जांच के उपरान्त चार्जशीटें न्यायालय को भेजी गई हैं।

शासन के अन्तर्गत अनुसूचित जातीय अधिकारी

*३२—श्री महीलाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के अन्तर्गत कुल कितने विभागाध्यक्ष व सचिव, विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिवों के स्थान हैं ? उनमें से कुल कितने स्थानों पर परिगणित जातीय अधिकारी नियुक्त हैं ?

श्री चरणसिंह—

शासन के अन्तर्गत कुल विभागाध्यक्ष व सचिवालय में सचिव, विशेष सचिव तथा उप सचिवों के कुल पद २५४ हैं और इनमें से ५ पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी नियुक्त हैं।

*३३—श्री महीलाल—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३४–३५—श्री गेंदासिंह—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६८–६९ के अन्तर्गत उत्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम धर्मखोर दुबे में दंगा

*३६—श्री गया प्रसाद जिला प्रतापगढ़ तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला, खाम्पार थानान्तर्गत धर्मखोर दुबे में गत २२/२३ नवम्बर, १९६९ की रात में पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई ? यदि हां, तो दोनों के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। २२/२३ नवम्बर, १९६९ की रात्रि में ग्राम धर्मखोर दुबे में पुलिस तथा ग्रामीणों के बीच कोई मारपीट नहीं हुई। एक औरत की गिरफ्तारी के लिये ए० डी० एम० (जे०) देवरिया द्वारा जारी किये गये एक वारन्ट की तामील के संबंध में थाना खामपार की पुलिस के कर्मचारी २१–११–६९ की रात्रि में ग्राम धमखोर दुबे गये थे। औरत पर दावा करने वाले व्यक्ति को जो उक्त गांव में उसी दिन गया था, ग्रामीणों ने मारा-पीटा था और बांध दिया था। पुलिस ने उसे छुड़ा दिया था और औरत को गिरफ्तार करके ले आई थी।

*३७—श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गांव में मारपीट के पहले कोई गांव में पंचनामा बना था ? यदि नहीं, तो क्यों मारपीट हुई ?

श्री चरण सिंह—

गांव में कोई पंचनामा बनाये जाने की सूचना शासन को नहीं है।

थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ में श्री धर्मदत्त गुप्ता पर प्रहार

*३८—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत थाना कोतवाली में २३ सितम्बर, १९६९ को वयोवृद्ध पत्रकार श्री धर्मदत्त गुप्त पर जो आक्रमण गुन्डों द्वारा हुआ था उसमें २९ नवम्बर, १९६९ तक सरकार की ओर से कौन-सी कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पत्रकार श्री धर्मदत्त गुप्त पर गुन्डों द्वारा जो प्रहार दिनांक २३/२४ सितम्बर, १९६९, की रात्रि में हुआ था, उसके सम्बन्ध में धारा ३०८ भा०दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना आरम्भ की गई। १० अक्तूबर, १९६९ को इस मामले को सी० आई० डी० को सौंप दिया गया। २९ नवम्बर, १९६९ तक इस जांच से श्री गुप्त को मारने वाले का पता नहीं लग सका है।

*३९–४०—श्री राम सागर—

[दिनांक १७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६१–६२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४१—श्री ईश्वर दयाल—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ७० के अन्तर्गत उत्तरित]

*४२—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[दिनांक १७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६३ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४४—श्री दलसिंगार—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ७२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४५–४६—श्री शिव कैलाश—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० सं० ७३–७४ के अन्तर्गत उत्तरित]

कानपुर जिले में मन्नीलाल यादव के कत्ल के अभियुक्त सूरज प्रसाद की फरारी

*४७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १४ मार्च, १९६८ को श्री मन्नी लाल यादव, ग्राम प्रधान मौजा गढ़ी महेरा, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर का कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कौन–कौन मुलजिम थे और उनमें से कौन–कौन जेल में हैं और कौन जमानत पर हैं ?

*४८—क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें का मुलजिम सूरज प्रसाद उर्फ लरकऊ की जमानत हाईकोर्ट से कई बार अस्वीकृत कर दी गई थी और बाद में उसे १९ अप्रैल, १९६९ को हाई कोर्ट के फर्जी आदेश पर कानपुर जिले से रिहा कर दिया है और वह इस समय फरार है ? यदि हां, तो इस फर्जी कार्यवाही में कौन–कौन व्यक्ति दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा फरार मुलजिम को १५ दिसम्बर, १९६९ तक पकड़ने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १४ मार्च, १९६८ को हुई श्री मन्नीलाल यादव की हत्या के मामले में सर्वश्री मुहम्मद इदरीस खां, सालिकराम, राम सुमिरन, शिवराम, रघुबीर सिंह और सूरज प्रसाद

उर्फ लरकऊ अभियुक्त थे। अभियुक्त सूरज प्रसाद उर्फ लरकऊ जिसकी जमानत हाई कोर्ट से अस्वीकृत कर दी गई थी, बाद में मुकदमे के ही दौरान हाई कोर्ट के फर्जी आदेश पर जेल से रिहा होकर फरार हो गया। शेष अभियुक्त न्यायालय से सजाय ब होकर जेल में हैं।

फरार अभियुक्त सूरज प्रसाद उर्फ लरकऊ को पकड़ने के लिये धारा ८७/८८ जा० फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है। अभी तक वह गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हाई कोर्ट के फर्जी आदेश पर रिहा होने के मामले में जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच समाप्त होने पर ही तथ्य का पता लग सकेगा।

पिपराइच थाने में विभिन्न अपराध

*४९--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में पिपराइच थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से ३० दिसम्बर, १९६९ तक कितनी डकैती, कितनी चोरियां और कितनी हत्या की घटनायें हुयीं ? कितने मुकदमें चलाये गये और कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चरण सिंह--

वांछित सूचना सलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८२६ पर)

दानपुर पट्टी, जिला अल्मोड़ा में नरभक्षी का आतंक

*५०--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला अलमोड़ा में दानपुर पट्टी में एक आदमखोर शेर ने दिनांक ३० दिसम्बर, १९६९ तक ४० मनुष्यों और औरतों की जानें ले ली हैं जिससे जिला अल्मोड़ा में आतंक व भय छाया हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त इस आदमखोर शेर को मारने के लिये क्या-क्या उपाय किये ?

श्री चरण सिंह--

जी हां, जिला अल्मोड़ा के मल्ला व विचला दानपुर पटिट्यों में एक आमदखोर बाघ लगा है जिसने दिनांक ३०-१२-६९ तक इस जिले में उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत २२ व्यक्तियों की जानें ले ली जिनमें ११ बालक, ७ बालिकायें और ४ महिलायें सम्मिलित हैं।

इस आमदखोर को मारने के लिये पहले २५०--रु० की धनराशि का पुरस्कार घोषित किया गया था जो अब शासन द्वारा बढ़ा कर २,००० रु० कर दिया गया है जिसका व्यापक प्रचार किया गया है ताकि इस आदमखोर को मारने के लिये जिले तथा जिले से बाहर के अनुभवी शिकारी आ सकें। इसके अतिरिक्त इस जिलें, प्रान्त तथा देश के अन्य प्रमुख शिकारियों से भी इस विषय में सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा उन से अनुरोध किया गया है कि वे योजना बना कर इस आदमखोर बाघ का शीघ्र अन्त करें। इस बाघ को मारने हेतु क्षेत्र के स्थानीय तथा अन्य शिकारी सक्रिय है।

*५१--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६९ तक प्रदेश में कितने आदमखोर शेर तथा कैटिल लिफ्टर टाइगर सक्रिय होने की रिपोर्ट सरकार के पास है और वह किस-किस एरिया में हैं ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ३१-१२-६९ तक प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में आदमखोर शेर तथा कैटिल लिफ्टर टाइगर के सक्रिय होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है :—

जिला बिजनौर—

ग्राम वीरभान में कैटिल लिफ्टर १ शेर तथा १ चीता ।

जिला पीलीभीत—

१ कैटिल लिफ्टर ।

जिला खीरी—

एक आदमखोर टाइगर, ग्राम मरोचा थाना पलिया में सक्रिय होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

*५२-५३—श्री रामचन्द्र विकल—

[दिनांक १६ मार्च, १९७० को प्र० स० ७५-७६ के अन्तर्गत उत्तरित]

*५४—श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

हाइडिल डिवीजन, मेरठ में उपभोक्ताओं से कनेक्शन खर्च जमा कराना

*५५—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाईडिल डिवीजन, मेरठ व गाजियाबाद में मार्च, १९६९ से जुलाई, १९६९ तक सरकार के आदेश के बावजूद कि ४ फर्लांग की दूरी में नलकूप के लिये तार व खम्भा सरकार लगायेगी, काश्तकारों से जमा योजना के अन्तर्गत रुपया वसूल किया गया ?

विद्युत् मंत्री (श्री राम लखन)—

निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए परिषद् चार फर्लांग प्रति १० हार्स पावर के अनुपात से लाइन अपने खर्च से बनाती है जिसकी अधिकतम सीमा चार फर्लांग है। जो उपभोक्ता शीघ्र कनेक्शन लेना चाहते हैं वह जमा योजना के अन्तर्गत लाइन तथा सब स्टेशन पर आने वाला पूरा खर्चा शुरू में जमा कर देते हैं। फ्री लाइन व सब स्टेशन की रकमें उपभोक्ता को ६ प्रतिशत ब्याज की दर से, पांच वर्ष में छमाही किस्तों में वापिस कर दी जाती हैं।

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर विद्युत् कर का बकाया

*५६—श्री नौनिहाल सिंह, (जिला मुरादाबाद), श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर २९ सितम्बर, १९६९ तक राज्य सरकार का कितना बिजली का बिल बकाया है और वह कौन-कौन से वर्ष से सम्बन्धित है ?

श्री राम लखन—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर २९ सितम्बर, १९६९ तक ७९.९ हजार रुपये की धनराशि विद्युत् शुल्क के प्रति बाकी थी जो वर्ष १९६८ व १९६९ से सम्बन्धित है।

*५७---श्री नौनिहाल सिंह, श्री महेन्द्र सिंह तथा श्री जितेन्द्रपाल सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बिल की वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन---

उक्त बकाया में से ३३,४०० रुपया वसूल हो गया और ४६.५ हजार रुपया बाकी है। मिल का बिजली का कनेक्शन काटने के आदेश अधिशासी अभियन्ता, मुरादाबाद द्वारा दे दिए गए हैं। बकाया की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

देव प्रयाग जल विद्युत् योजना

*५८---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में देव प्रयाग जल विद्युत् योजना से किन-किन गांवों को कब तक बिजली मिलेगी ?

श्री राम लखन---

देव प्रयाग जल विद्युत् योजना के पूर्ण हो जाने पर देव प्रयाग 'पौड़ी' श्रीनगर तथा कीर्तिनगर स्थानों का विद्युतीकरण किया जायेगा ।

*५९---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बैजरो, बीरोंखाल तथा थेलीसेंण ग्राम समूहों का विद्युतीकरण गोणी छीड़ा विद्युत् योजना से होगा या अन्य किसी योजना से तथा वह कब तक आरम्भ होगा ?

श्री राम लखन---

बैजरो, बीरोखाल तथा थेलीसेंण ग्राम समूहों का विद्युतीकरण, गौणीछीड़ा विद्युत् योजना के स्थान पर मासी (जिला अल्मोड़ा) से एक ११ के० वी० लाईन के निर्माण द्वारा वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के अन्त तक आरम्भ होने की आशा है ।

उन्नाव जिले को बिजली

*६०---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उन्नाव जिले में किन कस्बों या ग्रामों तक बिजली पहुंचाने की योजना है ?

श्री राम लखन---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में उन्नाव जिले के १४० ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है, जिसमें से ग्राम मोहन, न्योटनी, टेजरार, बन गांव, भवानीगंज, तकिया पाटन, वीधापुर, कुमेरपुर, सिगरौसी, मसवासी, दिवारा कला, वेहटा, शेखपुर, जोगी कोट, डगू तथा अचलगंज को योजना काल के प्रथम एवं द्वितीय वर्षों में बिजली देने की योजना है । योजना काल के शेष वर्षों में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा, इसकी सूची अभी तैयार नहीं की गई है।

*६१---श्री सजीवन लाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में बांगरमऊ-कुरसठ विद्युत् लाइन जो आसीवन तक आकर रुक गई है उसे आगे मियांगंज, हैदराबाद, औरास तक बढ़ाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

बागसऊ–कुरसठ विद्युत् लाइन को इस वर्ष आसोवन से आगे मियांगंज हैदराबाद एवं विनायक ग्रामों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिस पर कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। यह कार्य इस वर्ष १९६९–७० में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

घोसी मझवारा बिजली लाइन

*६२—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत घोसी से मझवारा तक इलेक्ट्रिक की कोई लाईन पास हुई है? यदि हां, तो अब तक उसमें कहां तक प्रगति हुई है?

श्री रामलखन—

जी हां। आजमगढ़ जनपद में घोसी से मझवारा तक ११ के० वी० लाइन १९६९ में बन कर पूरी हो गई है।

टाउन एरिया कमेटी, हल्दौर का स्ट्रीट लाइट के लिये जमा धन

*६३–कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्दौर टाउन एरिया, जिला बिजनौर द्वारा स्ट्रीट लाइट एक्सटेंशन के ९ तखमीनों के १२ बत्तियां बढ़ाने के ५,६०७ रु० दिनांक २२ जून, १९६७ को एक चेक द्वारा बिजली बोर्ड में जमा किये जाने पर भी बत्तियां नहीं लगाई गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

*श्री रामलखन—

जिला बिजनौर के अन्तर्गत टाउन एरिया कमेटी, हल्दौर के द्वारास्ट्रीट लाइट के १२ खम्भे बढ़ाने हेतु ५,६०७ रु० चेक द्वारा जल विद्युत खंड बिजनौर के कार्यालय में २२ जून, १९६७ को नहीं बल्कि ३० मार्च, १९६८ को जमा किया गया था। उपरोक्त कार्य पूरा हो चुका है।

*६४–कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

इस के लिये बिजली बोर्ड का कौन अधिकारी दोषी है और वह उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री राम लखन—

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले में बिजली कनेक्शनों की स्वीकृति

*६५—श्री रियासत हुसैन—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में १ जनवरी, सन् १९६९ से ३१ अक्तूबर सन् १९६९ तक कितने बिजली के कनेक्शन ५, साढ़े ७ और १० तथा उससे ऊपर के दस हार्स पावर स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने लगाये जा चुके हैं तथा कितन बाकी हैं?

श्री रामलखन---

जिला मुरादाबाद में १-१-६९ से ३१-१०-६९ तक की अवधि में स्वीकृत कनेक्शन एवं उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :--

क्रम-संख्या	विद्युत् भार	कुल स्वीकृत संख्या	कुल दिये गये कनेक्शनों की संख्या	शेष कनेक्शनों की संख्या
१	५ हा० पा०	११२०	४५०	६७०
२	७१/२ हा० पा०	५१६	२००	३१६
३	१० हा० पा०	९७	६०	३७
४	१० हा० पा० से अधिक	५४	४०	१४

*६३---श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम अगवानपुर, जिला मुरादाबाद में कितने बिजली के खंभे लगाने की स्वीकृति हुई है, उनमें से कितने लगाये जा चुके हैं, तथा बाकी के न लगाये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामलखन---

जिला मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर में बिजली पहुंचाने हेतु ३४ खंभों के लगाने का प्रस्ताव था जो सभी लगाये जा चुके हैं ।

शासन के विद्युत् विभाग से अंग्रेजी में पत्रादि

*६७---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या विद्युतमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक बिजली विभाग तथा राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री राम लखन---

प्रश्नगत अवधि में शासन के विद्युत् विभाग से लगभग ४८०८६ पत्रादि जारी किये गये जिनमें से लगभग १८५ पत्रादि की भाषा अंग्रेजी थी । राज्य विद्युत् परिषद् के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अधीक्षण अभियन्ता, हरदुआगंज पावर हाउस के विरुद्ध जांच

*६८---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हांउस, अलीगढ़ के अधीक्षण अभियन्ता के खिलाफ अराष्ट्रीय कार्य करने के सिलसिले मे कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और वे वहां पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री राम लखन---

जी हां । उक्त मामले की जांच के बाद आरोप निराधार पाये गये । सम्बन्धित अधिकारी हरदुआगंज में १४ जून, १९६२ से कार्य कर रहे हैं ।

*६९—श्री सुखपाल पाण्डेय—

*६९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज पावर हाउस, अलीगढ़ तृतीय चरण में २ ब्वायलर के स्थापित (इरेक्शन) में जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया गया उसमें कितना व्यय हुआ? उतनी क्षमता वाले उसी स्थान पर चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बनाये जाने वाले ब्वायलरों के इरेक्शन के लिये कितने रुपये का टेंडर ठेकेदारों द्वारा लिया गया? क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच लाखों रुपये का फर्क है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७०—श्री रामगोपाल संड तथा श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

श्री रामशंकर सिंह, थानाध्यक्ष, सचेण्डी का स्थानान्तरण

*७१—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर)—

क्या यह सत्य है कि श्री राम शंकर सिंह, थानाध्यक्ष, सचेन्डी, जिला कानपुर के विरुद्ध इस तरह के गम्भीर आरोप प्रमाणित होने पर कि वह किसी अन्तर प्रान्तीय कुख्यात दस्यु का सहयोग भ्रष्टाचार के बल पर देकर उसकी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण अविलम्ब गैर जिले के लिये उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर के द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष के उक्त गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दन्ड भी दिया गया अथवा नहीं?

श्री चरणसिंह—

यह बात सही नहीं है कि श्री राम शंकर सिंह, थानाध्यक्ष सचेन्डी, जिला कानपुर का स्थानान्तरण इस कारण किया गया कि वह किसी कुख्यात दस्यु को सहयोग दे रहे थे और उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। श्री रामशंकर सिंह का स्थानान्तरण केवल प्रशासनिक दृष्टि से तथा जनहित में किया गया था। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अतरौली क्षेत्र मे नलकूपों एवं पंम्पिग सेटों का विद्युतीकरण

*७२—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाईडिल विभाग के खण्ड अलीगढ़ के उप-खंड अतरौली में १ जनवरी, १९६९ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक निजी नलकूपों के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये, उनमें कितने स्वीकार हुये तथा स्वीकृत कनेक्शन में से कितनों को लाइन देकर कनेक्शन चालू किये गये? क्या सरकार ने कनेक्शन की स्वीकृति हेतु पूर्व बोरिंग करने का प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामलखन—

जल विद्युत् खण्ड, अलीगढ़ के उप खण्ड अतरौली में पहली जनवरी, १९६९ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक निजी नलकूपों एवं पम्पिग सेटों के विद्युतीकरण हेतु कुल ३६१ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। इनमें से ३४३ स्वीकृत हुए जिसमें से २८४ को कनेक्शन दिया जा चुका है।

कनेक्शन स्वीकृति हेतु पूर्व बोरिंग का प्रतिबन्ध नहीं है।

आर्म्स एण्ड अम्यूनीशन्स बेचने के लिये अलीगढ़ जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र

*७३—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६७ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक जिला अलीगढ़ में "आर्म्स एण्ड अम्यूनीशन्स" बेचने के लाइसेन्स प्राप्त करने के हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, अलीगढ़ को प्राप्त हुये तथा उसमें से कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके उक्त लाइसेन्स प्रदान किये गए और कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये ? अस्वीकार करने के क्या क्या आधार हैं ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में जिला अलीगढ़ में आर्म्स एवं अम्यूनिशन बेचने के लाइसेंस हेतु जिलाधीश, अलीगढ़ को कुल ७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

इनमें से २ प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए गए तथा ३ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किए गए। शेष २ प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं। प्रार्थना-पत्रों के अस्वीकार किये जाने का कारण यह है कि स्थानीय निरीक्षण तथा जांच से यह पाया गया कि प्रस्तावित दूकानें सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं।

हरदोई जिले में आर्म्स लाइसेन्स के लिए कथित चन्दा उगाही

*७४—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के जिलाधिकारी ने दिनांक १ फरवरी, १९६९ से ३१ मई, १९६९ तथा १ जुलाई, १९६९ से ३१ जनवरी, १९७० तक आर्म्स के लाइसेंसों के देने में कितना-कितना चन्दा उगाहा है ?

श्री चरणसिंह—

आर्म्स लाइसेंस देने में हरदोई जिले में कोई चन्दा नहीं उगाहा गया है।

श्री जदुवीरसिंह, निवासी हरदोई का कत्ल

*७५—श्री श्रीशचन्द्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यदुनाथ सिंह, पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी हरदोई का कत्ल अक्तूबर, सन् १९६९ में हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में हरदोई पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

अक्तूबर, सन् १९६९ में श्री यदुनाथ सिंह का नहीं वरन् श्री जदुवीर सिंह, निवासी हरदोई का कत्ल हुआ था। पुलिस ने अपराध की विवेचना की तथा एक अभियक्त के विरुद्ध चार्जशीट भेजी। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

मुगलसराय में रेल कर्मचारियों की हड़ताल

*७६—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शनिवार, रविवार दिनांक १०—११ जनवरी, सन् १९७० को मुगलसराय में कोई रेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। उक्त दिनांक को रेलवे कर्मचारयों पर पुलिस अथवा पी० ए० सी द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई।

जौनपुर जिले में डकैतियां

*७७—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर जिले में १ जनवरी, सन् १९७० से ११ जनवरी, १९७० के बीच भिन्न-भिन्न थानों में कहां-कहां और कितनी-कितनी डकैतियां पड़ीं?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२७ पर।)

जिला सूचना अधिकारी

*७८—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला सूचना अधिकारी पद को जो कि समाप्त कर दिया गया था, पुनः सृजित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

सूचना मन्त्री (श्री गेंदा सिंह)—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

एटा जिले में नवीन थानें

*७९—श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३४८ पटियाली क्षेत्र, जिला एटा में तराई एरिया सिकन्दरपुर वैश्य तथा थाना रिपायगंज, रेलवे स्टेशन पर थाना बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक थाने की इमारत बन जाएगी ?

श्री चरणसिंह—

जिला एटा में थाना सिकन्दरपुर वैश्य हाल में ही सृजित किया गया है। इमारत बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है। रिपायगंज रेलवे स्टेशन पर थाना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुबारकपुर थाने में पाही गांव की कथित डकैती

*८०—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या गृहमन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर थाने के पाही गांव में नन्दाराम के यहां ७–८ जुलाई, १९६९ की रात में डकैती पड़ी, यदि हां, तो स्थानीय पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ७/८ जुलाई, १९६९ की रात्रि में श्री नन्दा ग्राम निवासी पाही, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के घर डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

एटा जिले के गंगा व बूढ़ी गंगा क्षेत्र में विद्युत सर्वेक्षण

*८१—श्री तिरमल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र नं० ३४८ पटियाली, जिला एटा के गंगा-बूढ़ी गंगा के मध्य क्षेत्र में बिजली लगान की क्या योजना है तथा विभाग की ओर से इस क्षेत्र का कोई सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? सरकार कब-तक इस क्षेत्र में बिजली पहुंचायेगी ?

श्री रामलखन—

जिला एटा के क्षेत्र नं० ३४८ के गंगा व बूढ़ी गंगा के मध्य क्षेत्र में बिजली लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार पर्याप्त मांग नहीं है और उचित प्रतिलाभ मिलने की सम्भावना नहीं है । इस कारण अभी बिजली पहुंचाना सम्भव नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति में इ। क्षेत्र में विद्युत् पहुंचाने की अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है।

कादीपुर, जिला जौनपुर में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापा

*८२—श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २८/२९ जनवरी, १९७० की रात में कादीपुर थाना जलालपुर, जिला जौनपुर में वाराणसी पुलिस ने छापा मारा था ? उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । थाना बड़ा गांव, जिला वाराणसी पर दर्ज धारा ४५८ भा० द० वि० के एक मुकदमे के एक मुल्जिम से प्राप्त सूचना पर उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस ने २८/२९ जनवरी, १९७० की रात में ग्राम कादीपुर जिला जौनपुर में छापा मारा था परन्तु कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

श्री दयाराम भास्कर, मंत्री, जिला रिपब्लिकन पार्टी, आजमगढ़ का

*८३—श्री भाभी—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या दिनांक २० अगस्त, १९६९ को एक विधायक श्री दयाराम भास्कर, मन्त्री, जिला रिपब्लिकन पार्टी, आजमगढ़ का इस आशय का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है कि उसकी जान-माल खतरे में है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक २०-८-१९६९ को श्री दयाराम भास्कर, मंत्री, जिला रिपब्लिकन पार्टी, आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र एक विधायक द्वारा प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने श्री इन्द्रासन राय इत्यादि निवासी रायपुर से जान माल का खतरा होने की शिकायत की थी। इस पर जांच करने के उपरान्त श्री इन्द्रासन राय आदि के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० कार्यवाही की गई है।

निगोही ब्लाकमें नलकूपों का विद्युतीकरण

*८४—श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले के निमोही ब्लाक में जिन्दापुर से पूर्व उत्तर की ओर स्थित नलकूपों की श्रृंखला को आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली मिल सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*८५—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६९-७० में १५ मार्च, १९७० तक बक्सा, सिकरारांव जफराबाद, जिला जौनपुर के थानों में कुल कितनी डकैतियां व कत्ल हुये ? उनमें कितने लोग गिरफ्तार हुये जिन पर मुकदमें चलाये जाने वाले हैं अथवा चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ..८२८.पर)

देवरिया जिले में डकैतियां

*८६—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, में गत २६ फरवरी, १९७० से मार्च, १९७० के बीच लगभग तीन दर्जन डकैतिया पड़ीं और लाखों रुपये की लूट एवं चोरी हुई है ?

श्री चरण सिह—

देवरिया जिले के अन्तर्गत २६ फरवरी १९७० से १५ मार्च, १९७० के बीच ९ डकैतिया पड़ने की रिपोर्ट विभिन्न थानों पर प्राप्त हुई जिनमें लगभग २०,००० रुपये की सम्पत्ति लूटे जाने की सूचना थी ।

पूरनपुर थाने में इमाम हुसैन के लापता होने की रिपोर्ट

*८७—श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ जनवरी, १९७० को ईमाम हुसैन, अध्यापक का कस्बा पूरनपुर, जिला पीलीभीत को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश का भी अभी तक कोई पता नहीं है ? उसमें कौन-कौन मुल्जिम पकड़े गये हैं ?

श्री चरणसिह—

श्री इमाम हुसैन के १८-१-७० से लापता होने तथा उनकी हत्या हो जाने की आशंका के संबंध में थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत पर प्राप्त सूचना के आधार प धारा ३०२/२०१ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है । श्री इमाम हुसैन अथवा उनकी लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चला है । इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

बरेली जिले में रामपुर रोड पर पेट्रोल पम्प चौकीदार निसार अहमद खां का कत्ल

*८८—श्री अशफाक अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ सितम्बर, १९६९ को श्री निसार अहमद खां को पसलाखेड़ा पेट्रोल पम्प पर रामपुर रोड, थाना किला, जिला बरेली में कत्ल किया गया है ? इसमें कौन-कौन मुल्जिम पकड़े गये हैं ? क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिह—

जी हां । दिनांक १६/१७-९-१९६९ की रात्रि में जिला बरेली में रामपुर रोड पर ग्राम पसलाखेड़ा में स्थित पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल पम्प के चौकीदार श्री निसार अहमद खां की हत्या कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई । इस सम्बन्ध में थाना किला पर धारा ३९४/३०२ ता० हि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया । जांच से किसी अपराधी का पता नहीं लग सका । अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा कर जांच समाप्त कर दी गई ।

आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण

*८९—श्रीमती राजन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७ फरवरी, १९७० से १४ मार्च १९७० की अवधि में कितने आई० ए० एस०, अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके कार्यरत स्थान एवं पदों से किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस अवधि में ५ आई० ए० एस० अधिकारियों को अपने पद से स्थानान्तरित किया गया । एक अन्य अधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति के कारण अपने पद से हटे और ३ अन्य अधिकारी भारत सरकार को प्रतिनियुक्ति पर गये ।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—

* ९०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने दो वर्ष तथा कितने तीन वर्षों से कम समय से उन स्थानों पर कार्य कर रहे थे जहां से वे स्थानान्तरित किये गये हैं और क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने स्थानान्तरण शिकायतों पर किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

इन अधिकारियों में से एक अधिकारी ३ वर्ष से कम और शेष ८, दो वर्ष से कम अपने उन स्थानों पर कार्य कर रहे थे जहां से वे स्थान्तरित किये गये । सभी स्थानान्तरण प्रशासकीय दृष्टिकोंण तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए किये गये ।

मेरठ कालेज के कवि सम्मेलन में कवियों के साथ अभद्र व्यवहार

*९१—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ मार्च, १९७० को रात्रि के समय मेरठ कालिज मेरठ में आयोजितकवि सम्मेलन के दिन छात्राओं एवं आमंत्रित कवियों के साथ छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और छूरेबाजी भी हुई ? यदि हां तो जिलाधीश जो इस कालिज के अध्यक्ष भी हैं, ने अपराधी लड़कों के प्रति क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

मेरठ कालेज के दीक्षांत समारोह के संबंध में ५ मार्च, १९७० की रात्रि को आयोजित कवि सम्मेलन के अवसर पर छूरेबाजी की कोई घटना नहीं हुई । छात्राओं तथा कवियों के साथ अभद्र व्यवहार के बारे में पुलिस जांच कर रही है ।

विकास क्षेत्र मवाना में डकैती

*९२—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ९/१० दिसम्बर, १९६९ की रात्रि को विकास क्षेत्र, मवाना, जिला मेरठ पर सशस्त्र डाका पड़ा उसी रात्रि को ये ही डाकू अनेक स्थानों पर बहुत दूर तक लूट-मार करते चले गये ? यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—

९/१० दिसम्बर, १९६९ की रात्रि को नहीं बल्कि ९/१० जनवरी, १९७० की रात्रि को विकास क्षेत्र, मवाना, जिला मेरठ में सशस्त्र डाका पड़ा । उसी रात इन्हीं डाकुओं ने एक भट्टे के मालिक के ड्राइवर की घड़ी भी लूट ली । यह सही नहीं है कि उन्होंने अनेक स्थानों पर बहुत दूर तक लूट-मार की । इस डकैती के सम्बन्ध में ४ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और २ अभियुक्तों के विरुद्ध दफा ८७/८८ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । दो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

*१३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया]

अतारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले में नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र

१—श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत बिकास खंडवार कितने नलकूप को १ जनवरी, १९६९ से ३० जनवरी, १९७० तक बिजली के कनेक्शन दिये गये और इस समय कितने आवेदन-पत्र उनके पास पेंडिंग हैं ?

श्री रामलखन—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८२९ पर)

२—श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक सलोन व ऊंचाहार, जिला रायबरेली के कितने गांवों में, जून ६८ से जनवरी, ७० तक बिजली दी गई है, क्या मन्त्री गांवों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राम लखन—

रायबरेली जनपद के ब्लाक सलोन व ऊंचाहार के पांचों ग्रामों की हद तक जनवरी १९७० तक बिजली पहुंचाई गई है । इन ग्रामों के नाम यह है—डिलोली, पकसरावां, सहवाजपुर, मोहनगंज तथा कपूरापुर ।

३—श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९७०-७१ में उपरोक्त ब्लाक के कुल कितने गांवों को बिजली देने की योजना है ?

श्री राम लखन—

उपरोक्त ब्लाकों में कुल कितने गांवों को वर्ष १९७०—७१ में बिजली दी जा सकेगी, यह अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

फूड इन्स्पेक्टरों को रिवाल्वर के लाइसेन्स

४—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनस्वास्थ्य विभाग से फूड इन्सपेक्टर की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ--१४—१६/५९ पी० एच०, दिनांक जनवरी, १९७० के मातहत रिवाल्वर के लाइसेंस प्रदान करने के लिये राज्य सरकार से सिफारिश किया था ?

श्री चरण सिंह—

स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र संख्या एफ—१४—१६/५९—पी० एच, दिनांक जनवरी, १९६० राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था परन्तु आर्म्स एक्ट, १९५९ तथा आर्म्स नियमावली, १९६२ क १—१०—६२ से लागू हो जाने पर लाइसेंस प्रदान करन की कार्यवाही तदनुसार की जाती है ।

५—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६९–७० में इस परिपत्र के मातहत कितने फूड इंस्पेक्टरों ने रिवाल्वर के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये और कितने लाइसेंस प्रदान किये गये ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६९ में १० फूड इन्सपेक्टरों ने रिवाल्वर के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें चार प्रार्थना-पत्र १९६९ म और एक १९७० में स्वीकृत किया गया ? १९७० में ३१ मार्च तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नौतनवा तथा लक्ष्मीपुर क्षेत्र में शराब की दुकानें

६—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के तहसील फरेंदा, विकास क्षेत्र नौतनवा और लक्ष्मीपुर में मार्च, ६७ तक शराब की बिक्री की कितनी दुकान थीं ?

श्री चरणसिंह—

गोरखपुर जनपद की तहसील फरेन्दा के विकास क्षेत्र नौतनवां में मार्च, १९६७ तक शराब के दुकानों की संख्या ७ थी तथा विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर में शराब के दुकानों की संख्या ३ थी ।

हसनपुर तहसील में बिजली

७—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के दक्षिणी क्षेत्र खादर में किन-किन ग्रामों म बिजली पहुंचायी जायगी तथा नई लाइन हसनपुर से गंगेश्वरी ग्राम तक खींची जायगी ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा को बिजली

८—श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा के अन्तर्गत ४५ गांवों के समस्त क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली आने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और किन-किन गांवों में ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

अध्यक्ष महोदय, मुझे २ मिनट का समय दिया जाय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो बहुत जरूरी है । मैं आपके द्वारा एक बात माननीय मुख्य मंत्री और सदन क मम्बरान के नोटिस में लाना चाहता हूं । आज के प्रश्नों की जो सूची है उसको आप देखें, कल की सूची देखें और परसों की देखें । श्रीमन्, आज के एजेन्डे में ११३ प्रश्न ह, कल के एजेन्डे में ११४ और परसों के एजेन्डे में ११७

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

हैं। इतने प्रश्न आप रखते हैं जिनके कारण इम्पार्टेन्ट आदमियों द्वारा पूछ गये प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं लेकिन जिनके जिलों की बड़ी से बड़ी समस्यायें होती हैं, उनका नम्बर प्रश्नों के पूछने में नहीं आ पाता है। आपके दफ्तर वालों ने कुछ ऐसा रवैया बना रखा है कि ४–५ आदमियों के नाम फ्रंट पेज पर आ जाते हैं और तमाम सप्लीमट्रीज प्रश्न पूछने में ही सदन का समय नष्ट हो जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे प्रश्नों की संख्या कम हो और हम सबको भी प्रश्न पूछन का मौका मिले। आपका जो प्रश्नोत्तर का दफ्तर है, ऐसा मालूम पड़ता है, कि उसम सांठ-गांठ है। अतः मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप इसकी ठीक से व्यवस्था कर दें अन्यथा इससे असन्तोष बढ़ेगा और इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकगी।

सदन के समय में परिवर्तन का सुझाव

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि उपवेशन के वर्तमान समय के स्थान पर ७ बजे प्रातः से ११ बजे प्रातः तक कर दिया जाय।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के पारित हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों के मंत्रि–मंडल में बने रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह सर्वविदित है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने यह संकल्प पारित किया कि विधान परिषद् समाप्त कर दी जाय और यह भी सर्वविदित है कि विधान सभा की समाप्ति के संकल्प के पारित हो जाने के बाद जो माननीय सदस्य विधान परिषद् से यहां पर मंत्रि-मंडल में आते हैं, उनको यहां पर मंत्रि-मंडल में बने रहना नैतिक औचित्य नहीं रह जाता है। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि अभी उसके अन्दर लोक सभा से पास होने की औपचारिकता शेष है परन्तु वह केवल एक औपचारिकता है। आप को श्रीमन्, स्मरण होगा कि जब एक रल दुर्घटना हुयी थी तो माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था। इसी प्रकार से पंजाब में विधान परिषद् के उत्सादन के प्रस्ताव पास हो जाने के उपरान्त माननीय किशन लाल जी, जो वहां के मंत्री थे बिना इस बात की प्रतीक्षा किये हुये कि लोक सभा में यह संकल्प पारित होगा या नहीं अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था। उसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में भी विधान परिषद् के उत्सादन के प्रस्ताव के पास हो जाने के उपरान्त त्याग-पत्र दे दिया। मैं कोई यहां पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। क्या नैतिकता के आधार पर वह माननीय मंत्री जो विधान परिषद् से आये हैं, अपना त्याग-पत्र दे देंगे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के २ प्रश्न एक साथ नहीं हो सकते हैं। यह बात सही है कि सदन में अधिक सवाल नहीं आ पात हैं और अगर ज्यादा से ज्यादा पूरक सवाल पूछे जाते हैं तो जिम्मेदारी मरी बढ़ती है और मैं उसकी व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करता हूं। विधान सभा की जो कार्य-मंत्रणा समिति है उसमें भी इस बात पर विचार होता है कि कितने सवाल पूछे जायं। सवाल अधिक होते हैं। दूसरा आक्षेप जो आपने कहा है.....

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, विधान सभा के जो सदस्य आपके सामने बैठे हैं, हमेशा उनके ही नाम आ जाते हैं । बहुत से बैंक बेन्चर्स हैं, उनक प्रश्न नहीं आ पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपाध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं । इसके बारे में जांच उनके सुपुर्द करता हूं । क्योंकि उनको वे मंजूर करते हैं, सब सवाल मंजूर करते हैं इसलिये इसकी जांच कृपा करके वे कर ल कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि किसी व्यक्ति न किसी तारीख को एक प्रश्न लिया और वह आपके सामने रक्खा और बाद में जो लीडर लोग हैं उनके प्रश्न आए और वे पहिले मंजूर हो गए। ऐसी चीज बहुतों के सामने शंका के रूप में आ सकती है वह दूर हो सकती है जब आप रोज सवालों को मंजूर कर लें और इसकी व्यक्तिगत जांच कर लें और हम सदन को आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी जांच के बाद इस तरह का दूसरा रास्ता हमको अख्तियार करना चाहिये। या तो यह चीज हो कि प्रश्न कम पूछे जायं। जो प्रश्न जिस पार्टी की तरफ से उपस्थित किया जाता है वह नेताओं के सामने प्रश्न रख दें कि ये महत्व के प्रश्न हैं। उसके अन्दर जो पार्टी के प्रश्न नेताओं को बताकर दे दें वे दे सकते हैं। यह प्रश्न पहले आना चाहिये या यह प्रश्न महत्व का अधिक है। तो इस प्रकार यह चीज कम हो सकती है। लेकिन इसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। यह कहीं भी हो। मैंने लोक सभा में भी जाकर जांच की वहां भी छः या सात प्रश्न हो सकते हैं चाहे पचास प्रश्न हों। लेकिन लोग जिसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उसमें ज्यादा पूरक प्रश्न पूछते हैं। अध्यक्ष इतना नियंत्रण तो नहीं कर सकता कि दो या तीन प्रश्न हों। ऐसा भी समय रहा जब २०–२५ सवाल तक हो गये। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ऐसी तरकीब सोचें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मूल प्रश्न हो सकें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुझे यह अर्ज करना है कि आमतौर से इतने ज्यादा प्रश्न छपवाने के बाद भी ज्यादा मेम्बरों के प्रश्न वैसे ही चले जाते हैं। इसलिये आप कृपया तीस से अधिक प्रश्न न रक्खा करें बाकि बचे हुए प्रश्नों का नम्बर तो आ जाय। वे तो वैसे ही रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विचार कर लेंगे।

सदन के समय में परिवर्तन का सुझाव (क्रमागत)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि असेम्बली का समय ७ बजे से ११ बजे तक कर दिया जाय इससे माननीय सदस्यों को सुविधा हो जायेगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि . . . ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, हम लोगों को बड़ी तकलीफ है। हमारा तो सवाल अन्त में कर दिया जाता है और मुझे अवसर नहीं मिलता है। मुझे ही नहीं यह और भी माननीय सदस्यों को तकलीफ है।

[श्री बांकेलाल]

तो सब माननीय सदस्यों की तकलीफ सुनकर आप व्यवस्था दें ताकि हम लोगों को भी अवसर मिले और जो खास कर मुख्य मंत्री से प्रश्न हम पूछते हैं वह अन्त में रहता है जिसके आते-आते प्रश्नों का समय समाप्त हो जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनते नहीं हैं। मेरी अर्ज यह है कि जिसका सवाल होता है वह तो एक ही कर पाता है और सप्लीमेंटरी में आप गिने चुने ही सदस्यों को इजाजत देते हैं। इसके माने यह हैं कि आप कह दें कि हम लोग प्रश्न करें ही नहीं। पांच सप्लीमेंटरी होंगे परन्तु प्रश्नकर्ता को आप मौका ही नहीं देते हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसकी व्यवस्था कार्य-मंत्रणा समिति में हो जायेगी।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के पारित हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों के मंत्रिमंडल में बने रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं इस प्रश्न के औचित्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, कल सदन ने एक तरीके से एक प्रस्ताव सदन के अन्दर पास किया अपर हाउस के बारे में। मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव के पास हो जाने पर यह एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हमारे मंत्रि-मंडल के वे माननीय सदस्य जो अपर हाउस के सदस्य हैं इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सदन ने जो भावनायें व्यक्त की हैं वे पूरी नहीं होंगी। इस सदन की भावनाओं के अनुसार ही वह प्रस्ताव पास हुआ है। इसलिये उस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद अपर हाउस के जो मेम्बर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। यही परम्परा, जब बंगाल में अपर हाउस के बारे में प्रस्ताव पास हुआ तो वहां के अपर हाउस के मेम्बरों ने अपनायी थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में भी अपर हाउस के सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

इस प्रश्न पर जो माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने उठाया है, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल इस सदन ने मान्यवर एक प्रस्ताव पास किया। मंत्रि-मण्डल की ज्वाइन्ट रिसपांसिबिलिटी होती है। कुछ माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य न होकर, दूसरे अपर हाउस के सदस्य होने के नाते मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं। तो जैसा कि कानून में भी है, कोई भी मंत्रि-मण्डल में ६ महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुये भी रह सकता है। तो जो अपर हाउस के सदस्य हैं वे वहां से इस्तीफा देकर भी ६ महीने तक मत्रि-मण्डल में रह सकते हैं। तो अगर उनके अन्दर मंत्री पद से इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है तो उनको कौंसिल की सदस्यता से तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। उसके बाद भी वे ६ महीने तक मंत्रि-मण्डल में रह सकते हैं। यह ज्यादा उचित होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो माननीय नित्यानन्द जी ने, गोविन्द सिंह जी ने और माननीय रियासत हुसैन ने प्रश्न उठाया है तो मेरी उनको सलाह है कि यह प्रश्न तो नैतिकता का है, हैयायी का है, और उसी पर डिपेन्ड करता है। तो यह सम्बधित व्यक्ति पर ही छोड़ दें, यह तो बहुत स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं। उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दें।

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके सबध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री रहे और कौन न रहे इसका उत्तरदायित्व माननीय मुख्य मंत्री पर होता है। तो आप यदि निर्णय देना चाहें दे दें, लेकिन ज्यादा अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मत्री जी इस पर अपने विचार रख देते कि वे जबकि अपर हाउस के एबालिशन का प्रस्ताव इस सदन ने पास कर दिया है, वहां के सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में बैठने देना चाहते हैं या नहीं। माननीय मुख्य मंत्री के क्या विचार हैं मान्यवर, उससे इस सदन को अवगत करा दें।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल ही यह प्रस्ताव पास हुआ है विधान परिषद् के समापन का, लेकिन यह प्रस्ताव तब तक अधूरा है जब तक कि उसको पार्लियामेंट की स्वीकृति न मिल जाय। अगर कल के प्रस्ताव पर ही अभी से अमल होने लगे तो इसका अर्थ तो यह होगा कि अभी ही विधान परिषद् बैठने वाली है वह बैठ ही नहीं सकती। जब तक विधान परिषद् समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वहां के सदस्य मंत्रिमंडल में बैठ सकते हैं। इसलिये जो प्रश्न उठाया गया है वह औचित्य का नहीं है और न न्याय संगत ही है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, नियम की दृष्टि से जब तक विधान परिषद भंग नहीं हो जाती, तब तक माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं और रह गयी विरोध पक्ष से जो नैतिकता की बात कही जाती है तो राजनीति और नैतिकता में कोई सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। राजनीति में नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिये नैतिकता के औचित्य का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, यों तो हर चीज यहां पर उठाई जा सकती है, लेकिन कल ही यह प्रस्ताव पास हुआ है और आज ही नित्यानन्द जी सुझाव के साथ इस डिमांड को लेकर आ गये कि उस सदन से इस्तीफा देना चाहिये या नहीं देना चाहिये। उसका कानूनी क्या औचित्य है इसको भी समझना है या औचित्य या अनौचित्य की बात को देखना है। उसी सिलसिले में हमारे मित्र ने, उनसे आशा ही ऐसी की जाती है कि लब्ज हया या बेहया का इस्तेमाल कर दिया जिसका मतलब है कि अगर इस्तीफा दे दें तो हया और न दें तो बेहया.... ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यहां पर 'बेहया' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

श्री चरणसिंह—

आपने यह कहा कि अपनी-अपनी हया का सवाल है तो मैं क्या गलत बयानी कर रहा हूं? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको वह योग्य समझें चाहे वह किसी सदन का मेम्बर न भी हो...

श्री बांकेलाल---

हया शब्द का हमको मतलब समझा दीजिये।

(शोर)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, आप बांकेलाल जी को कंट्रोल में रखिये नहीं तो सदन का चलना मुश्किल हो जायगा।

(शोर)

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि रूलिंग पार्टी के लीडर या चीफ मिनिस्टर या प्रधान मंत्री को यह अधिकार होता है और संविधान के अनुसार अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको वह योग्य समझें चाहे वह लेजिस्लेचर का मेम्बर हो या न हो मंत्रिमडल में ले सकता है। जो लेजिस्लेचर का मेम्बर न हो वह ६ महीने तक मंत्रि परिषद् का मेम्बर रह सकता है। इसी के साथ यह भी है कि अगर कौंसिल के मेम्बर वह न भी होते तब भी वे दोनों जो आज कौंसिल के मेम्बर मंत्रि परिषद् के मेम्बर हैं, ६ महीने तक मिनिस्टर रह सकता है।

दूसरी बात यह है कि वे लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर हैं। लेजिस्लेटिव कौंसिल आज भी मौजूद है। यहां वह प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन वह प्रस्ताव तभी इम्पलीमेंट होगा जब कि वह पार्लियामेंट से पास हो जाय। अब यह जरूरी नहीं है कि वह पार्लियामेंट से पास ही हो जाय। सम्भव है कि पार्लियामेंट से न भी पास हो। यह लाजिमी नहीं है कि वहां से पास ही हो जाय। यह भी हो सकता है कि पास हो जाय। तो एक चीज जो यहां पर पास हुई है उसका यह लाजिमी नतीजा होगा कि वहां पर भी ऐसा हो जाय यह नतीजा एकदम नहीं निकाला जा सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों सम्भवनायें हैं। अधिक सम्भावना है कि वहां से मंजूर हो जाय लेकिन यह सम्भावना भी बनी हुई है कि चाहे कितना भी कमजोर केस हो वहां से नामंजूर हो जाय। इसलिये केवल इस प्रस्ताव के पास हो जाने मात्र से यह कोई औचित्य या अनौचित्य या नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि इस्तीफा दें तो यह बात नहीं बनती है।

तीसरी बात यह है कि हम यहां पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे आगे के लिये कोई गलत परम्परा हो। वह हमारी बात इससे भी जाहिर है कि अगर हमारी पार्टी चाहती तो यह नामंजूर भी हो जाता और इस प्रस्ताव पर दो तिहाई मैजारिटी होने वाली नहीं थी। मेरे मन में यह सवाल था ही नहीं। हमारे खामोश होने से और बिलकुल ऐसे खामोश होने से कि किसी साथी को मैंने कोई राय नहीं दी, नहीं तो यह दो तिहाई मत से किसी तरह भी पास नहीं हो सकता था, यह पास हुआ यदि मेरे मन में कोई ऐसी बात होती तो मेरे जरा से भी प्रयत्न से यह पारित नहीं हो सकता था। किन्तु मेरे मन में ऐसी कोई बात तो थी ही नहीं। यह यहां से पास होने पर पार्लियामेंट से स्वीकृत होना है, यह जानते हुए हमने फ्रीडम आफ वोट की बात की। तो उसमें कोई प्रभाव मैंने अपने मित्रों पर नहीं डाला नहीं तो यह पास न होता। यदि यह दृष्टिकोण हमारा है तो इससे अन्दाज लगाया जा सकता है और हमारे साथी को कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे आगे के लिए कोई गलत मिसाल, प्रिसीडेंट कायम हो जाए। तो मेरी राय में उन मित्रों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जब तक लोकसभा से प्रस्ताव पास न हो जाए। यदि वे देंगे तो भी मैं बाध्य नहीं हूंगा कि मैं उसे स्वीकार करूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर देने का मौका दें। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं---

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, व्यवस्था के प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं होता।

मैं संविधान के अनुच्छेद १६९ को आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं :---

१६९--"(१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुये भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो।"

यानी यह संविधान में दिया गया है कि परिषद् का उत्सादन करने और नई का सृजन कर ने का, दोनों का अधिकार लोक सभा को है। यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद् ऐसा कर सकती है, तो संसद कब करती है ? जब यहां पर जो विधान सभा बन हुई है वह ऐसा चाहे और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को पास करे सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई के बहुमत से। तो इतना आप कर चुके हैं। आपने अपना कर्तव्य करके संसद के पास प्रस्ताव भेज दिया है---यानी मैं भेजने वाला हूं, वह चला जाएगा और केन्द्र अब अधिकारी हो जा वेगा यानी संसद अधिकारी होगी कि वह चाहे तो, उसको मंजूर करके एक अधिनियम बनाए और परिषद् का उत्सादन करे। जब तक अधिनियम नहीं बनता तब तक यहां की परिषद् यथापूर्व बनी रहेगी और जब तक बनी रहेगी तब तक वह चलेगी। नैतिकता की बात आप कह सकते हैं, तो आपको चाहिये कि आप कहें कि हर एक मेम्बर को इस्तीफा देना चाहिये। जिस तरह से आपने इसे रखा है, नैतिकता का सवाल लगता है, नैतिकता के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं यह सवाल तब उठता जब इस सदन को यह अधिकार दिया होता कि जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होगा वैसे ही संसद् समाप्त हो जाएगी। अभी एक कार्य होना बाकी है, संसद को इस विषय में सोचना है और निश्चित करना है। तो आप अभी किसी सदस्य से यह नहीं कह सकते कि चूंकि प्रस्ताव पास हो गया है अतः वे इस्तीफा दे दें। इसलिये न नैतिकता की दृष्टि से न औचित्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कोई भी परिषद् का सदस्य इस्तीफा दे दे, बगैर कानून पास किये हुए परिषद् का उत्पादन नहीं हो जाता, हमको जरूर प्रयत्न करना चाहिए कि हम वहां पर भेज कर, संसद को संतोष दे सकें कि यह प्रस्ताव आवश्यक था और हमने ठीक किया। ऐसा न हो कि वहां भी यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि जल्दी में हो गया है, फिर वह विचार करने के लिए चला जाय। ऐसी चीज न होने पाये। इस बात की जरूर फिक्र आपको करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि परिषद् को भंग कर दिया जाय जैसे बंगाल में या दूसरी जगह भंग किया है। हमारा और आपका यह कर्त्तव्य होगा कि हम इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं उनसे कहें कि जो आवश्यक चीज थी उसको आप सपोर्ट कीजिये। स्वयं हर एक मंत्री आजाद है, बंगाल की तरह इस्तीफा देने के लिए। आप रोक नहीं सकते किसी को लेकिन वह चाहे रह सकता है वैसे भी। मेम्बर न रहते हुये भी छह महीने रह सकता है। यह भी वह कर सकता है। कोई भी तरीका वह स्वयं चाहे अख्तियार कर सकता है। आत्मा की आवाज जो बोले वह करे। वह ठीक बात है। लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से सदन में विधान परिषद् के उत्सादन की बात सुनता रहा और जो आपने कहा उसको भी सुनता रहा। कुछ व्यक्तिगत बातों को मैं कहना चाहूंगा। मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में कभी काउंसिल की उम्मीदवारी क लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया, मैंने जितन चुनाव लड़े हैं, आम चुनाव लड़ कर आया। इस चुनाव म भी पार्लियामट का चुनाव लड़ कर जीत कर यहां आया हूं। बड़ी कृपा मेरे नता की थी जो उन्होंने मुझे यहां बुलाया। उससे ज्यादा कृपा है जो उन्होंने यह कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो वह मंजूर

[श्री श्रीपति मिश्र]
नहीं करेंगे । लेकिन आप लोगों का और इस नैतिकता का भी चैलेंज है, मैं कभी स्वीकार करने से भी नहीं रह सकता । केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि इस प्रजातन्त्र के लिए नैतिकता का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है और आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर आप हमेशा ध्यान रखें । और आपकी भावनाओं को देखते हुये और जो यहां प्रस्ताव पास हुआ है उसको देखते हुए और इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा को देखते हुए मैं चाहूंगा कि वह मेरे ऊपर कृपा करें और मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस्तीफा दूंगा और वह उसको मंजूर कर लें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, रीजन के स्थान पर कुछ भावना प्रधान बातें हो गयीं । मैं श्रीमन्, पूर्णतया सहमत हूं कि इस प्रकार का कोई औचित्य नहीं था कि श्रीपति मिश्र जी कोई इस प्रकार का त्याग-पत्र देते । मान्यवर, यही नहीं बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इस सदन में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं हुईं तो उससे बहुत से लोग हैं जो अपने को सम्बद्ध नहीं करेंगे । उनमें से मैं भी । मैं अत्यन्त नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक राजनीतिक वातावरण बना कुछ यहां पर कि काउंसिल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ । लेकिन जैसा कि श्रीमन् ने कहा कि वह एक अधूरी बात है जब तक वह संसद में जाकर स्वीकार न हो । इन परिस्थितियों में सचमुच इसका न कोई औचित्य है न नैतिकता का ही तकाजा है कि माननीय श्रीपति जी या अन्य सज्जन इस सम्बन्ध में कुछ भावनाओं से उभरें और किसी प्रकार से अपना त्याग-पत्र दें । यह सही है कि उनको हमारे नेता सदन ने बाहर से बुलाया और वह हमारे इस सदन की सेवा करते हैं और इस प्रदेश की सेवा करते हैं । मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह जरा अपनी भावनाओं को दबाएं और इस दृष्टिकोण से यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि वह किसी प्रकार से अपना त्याग-पत्र दें और मेरा निवेदन होगा नेता सदन से भी कि उनके त्याग-पत्र को स्वीकार न किया जाय ।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीपति मिश्र जी ने यहां पर जो घोषणा की है मैं नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि उनका हरगिज त्याग-पत्र स्वीकार न किया जाय और जो भावना उन्होंने त्याग-पत्र देने के लिये व्यक्त की है उसकी मैं कद्र करता हूं ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन जिस प्रकार माननीय श्रीपति मिश्र जी ने घोषणा की है हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को उस पर गर्व है । आज जो नैतिकता का उन्होंने उदाहरण दिया है वह एक ऐतिहासिक उदाहरण है और उससे हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा होता है । मैं मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय श्रीपति मिश्र का त्याग-पत्र किसी भी कारण वह स्वीकार न करें और उन्हें मंत्री रहने दें यह हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, जौनपुर आदि सभी जनपदों के विधायकों की इच्छा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का प्रथम प्रतिवेदन, जो तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) क सहकारिता विभाग क अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दुग्ध वितरण योजना से संबंधित सत्रहवें प्रतिवदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दुग्ध वितरण योजना से संबंधित प्राक्कलन समिति का मूल प्रतिवेदन विधान सभा में दिनांक १३ अप्रैल, १९६६ को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन के उत्तर सहकारिता (ख) विभाग से दिनांक, २४ अक्तूबर, १९६७ तथा २७ जनवरी, १९६८ को प्राप्त हुए। समिति ने शासन से प्राप्त उपर्युक्त उत्तरों पर अपनी बैठक में दिनांक, २२ जनवरी, १९७० को विचार किया तथा दिनांक १३ अप्रैल, १९७० की बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप को स्वीकार किया।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दुग्ध वितरण योजना से संबद्ध मूल प्रतिवेदन में समिति ने कुल २४ संस्तुतियां की थीं। इन में से १८ संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार कर लिया है। शेष सिफारिशों में से तीन सिफारिशों के संबंध में शासन से जो अनुकूल उत्तर प्राप्त हुए हैं उनसे समिति ने अपनी सहमति प्रकट की है। तीन सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त अननुकूल उत्तरों से समिति ने अपनी असहमति प्रकट की है और मूल सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर बल दिया है।

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)---

मैं, सभापति विशेषाधिकार समिति, पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन*

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)---

मैं, सभापति विशेषाधिकार समिति, पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन*

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)---

मैं, सभापति विशेषाधिकार समिति, पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर, प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसकी मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित कर दी जायेंगी। आज इसके ऊपर विचार होने वाला नहीं है। आज यह सदन में रख दिया गया है और किसी रोज हर एक प्रतिवदन आपके सामने आयेगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास कुछ विशेषाधिकार की अवहेलना के ४–५ प्रश्न आ गये हैं। पहले का संबंध विधान सभा की कार्यवाही से है। चूंकि हमारे पास रिपोर्टर्स की कमी है और रिपोर्टर्स की

---

*छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]
कमी होने से और नई भरती होने से अभी तक रिपोर्ट उनके पास से लौट कर आई नहीं है। आज फिर उनको काम पर लगा दिया गया है। अतः मैं इसको देख लूंगा। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हर एक ने क्या कहा इसको देखने की आवश्यकता होती है।

दो विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे पास कल आए थे। एक महीलाल जी का था और वह जायसवाल जी के खिलाफ था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें वह मिल गया अथवा नहीं? यदि नहीं मिला, तो शाम तक मिल जायेगा। (थोड़ा रुक कर) जायसवाल जी इस समय यहां नहीं हैं, इसको मैं कल ले लूंगा।

इसी तरह से दूसरा श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी का था जो कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री के खिलाफ था। उसमें बहुत-सी सूचनाएं दी हैं। अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्री कल इस पर तैयार होकर आयेंगे। इसमें थोड़ा डिस्कशन का समय दिया जायेगा। इसमें प्राइमा फेशार्ड केस विशेषाधिकार की अवहेलना का है या नहीं। यदि है तो यह विशेषाधिकार समिति के पास चला जायेगा और अगर रिग्रेट कोई व्यक्ति एक्सप्रेस कर लेता है तो वह समाप्त भी हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न को कल लूंगा। आज कोई और विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लेना चाहता।

मेरठ के प्रथम मुंसिफ, श्री कालरा, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक प्रश्न ऐसा है कि जो इस सदन से संबंधित नहीं है, बिलकुल बाहर का है। एक शख्स ने मुंसिफी में मुकदमा दायर कर दिया कि अमुक आदमी अपना दल बदलना चाहता है और दल बदलने का उसको अधिकार नहीं है क्योंकि वह जनता द्वारा चुना गया है, उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई निकाला जाय कि वह दल न बदले। इसके ऊपर उस सदस्य का कहना यह है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, हम चाहें तो दल बदल सकते हैं। इसलिये मैं उनको हिदायत कर दूं कि तुम अदालत में न जाओ। जैसे कि लोक सभा के स्पीकर ने कह दिया था कि सदन की कार्यवाही के संबंध में हाई कोर्ट में मुकदमा चल गया है, जिस कोर्ट का अधिकार नहीं है कि सदन की कार्यवाही में मदाखलत करे। उन्होंने सदस्यों से कहा कि तुम कोर्ट में मत जाओ। लेकिन मौजूदा सवाल है कि बाहरी व्यक्ति को रोका जाय या नहीं रोका जाय। दल बदलना रोकने के लिये वह मुंसिफी में जाता है। वह जायज है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। आपको जो कुछ कहना है तो वहां जाकर चाराजोरी करें। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

*श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा–फतेहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है। माननीय प्यारेलाल जी हमारे यहां के सदस्य हैं। उनको मुंसिफी से एक नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे कहा गया है बताइए आप दल क्यों बदल रहे हैं। वहां पर उनकी बेइज्जती करने के लिये उनके ऊपर यह मुकदमा लगा दिया गया है। यह उनके अधिकारों में नाजायज हस्तक्षेप है और सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है तथा उनको नाजायज तौर पर परेशान करना है। माननीय प्यारेलाल जी को इससे बहुत आघात पहुंचा है। यह केवल एक सदस्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है बल्कि सदन क सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसा एक केस लोक सभा में भी आया था और शंकराचार्य जी के विषय में उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया था। उनसे कहा गया कि आपने सदन में ऐसा क्यों कहा? इस पर लोक सभा में विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ और लोक सभा के स्पीकर महोदय ने कह दिया कि आपको ऐसे मामलों में ऐसे आदेश न देने चाहिये। वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और नाजायज तौर पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है। इसलिये आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन के कार्य में हस्तक्षेप है। किसी भी सदस्य को किसी भी दल में रहने का पूरा अधिकार है। मैं प्यारेलाल जी के दल बदलने या न बदलने के ऊपर कुछ नहीं कहता लेकिन यह सदन के प्रत्येक सदस्य के विशेषाधिकारों की अवहेलना है। आप इस पर पूरे तौर से विचार करें और अपना निर्णय दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, इस पर जरा गौर कर लिया जाय। मान लिया मुंसिफ ने यह आज्ञा दे दी कि इसको फांसी की सजा दे दी जाय, तो क्या यह ठीक होगा ? मुंसिफ ने ऐसा नोटिस इश्यू करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न किया है। इसको कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार से दल बदलने को प्रोत्साहन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दल बदलने के लिये कानूनी रोक लगा दी जाय। लेकिन अगर कोई मुंसिफ किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार का नोटिस जारी करता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। मैं समझता हूं कि उसको इस प्रकार का नोटिस इश्यू नहीं करना चाहिए। यह करके मुंसिफ ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन किया है। प्राग्दर्शन में यह माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप कोई निर्णय दें। आपने कहा कि यह बाहर का मसला है, यह चीज बहुत पेचीदगी पैदा कर देगी। दल बदलने का जो भी प्रभाव पड़ता है वह सब विधान सभा में ही पड़ता है। कोई भी सदस्य विधान सभा के अन्दर ही किसी दल में रह कर काम करता है अथवा उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है। इसलिये दल बदलने की प्रक्रिया का पूरा असर विधान सभा में ही पड़ता है। श्रीमन्, आप यह तो जानते ही हैं कि आज के युग में दल बदलना सदस्यों के लिये बहुत ही आवश्यक और तरक्की का साधन हो गया है। दल बदल कर जाने से कोई भी सदस्य मुख्य मंत्री तक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अतः दल बदलने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र विधान सभा के सदस्यों के पास है।

श्री अध्यक्ष---

क्या आपका यह कहना है कि यह उनका फन्डामेंटल राइट हो गया है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

फण्डामेंटल राइट सा ही समझिए। दल बदलने से कोई भी सदस्य मुख्य मंत्री या मंत्री बन सकता है तथा और ऊंचे-ऊंचे पद प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार उसको मिला हुआ है। अब इस अधिकार को कोई मुंसिफ या जज छीन लेगा तो हम लोगों की सदस्यता बेकार हो जायेगी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसको आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से माननीय कृष्णानन्द राय के तर्क सुने.....

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

बहुत से सदस्यों को दल बदल कर तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीशिप भी नहीं मिल सकती।

श्री मैनेजरसिंह---

दल बदल के ऊपर बहुत बेचैनी हमारे कांग्रेस के दोनों पक्षों में है। श्रीमन्, आप देखें दल बदल का इतिहास तो कांग्रेस संस्था में ही इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया है . . .

श्री अध्यक्ष---

लम्बा इतिहास मत कहिए, संक्षेप में कहिए।

श्री मैनेजरसिंह---

तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति इस देश में बन गई है और इस दल बदल के कारण ही आज देश की राजनीतिक गाड़ी फंस गई है और उसी के कारण आज प्रजातांत्रिक ढांचा देश का बिखरने वाला है और देश का बहुत अनहित हो रहा है। यदि कोई मतदाता हमें किसी दल के उम्मीदवार के रूप में चुनता है तो हम कह दें कि हमारे यह सिद्धान्त हैं और इन सिद्धांतों के आधार पर मतदाता अपना मत देता है और जब हम दल बदल करते हैं तो उस मतदाता को न्याय कैसे मिले ? उसके लिये तो राजनीतिक दल मिल कर कोई हल निकालें। अगर नहीं निकाल रह हैं तो मतदाता न्याय की भीख न्यायालय से मांगेगा और अगर वह मांगता है तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं ? न्याय आप होने दीजिए। यहां न्याय नहीं हो रहा है तो वहां होने दीजिए और अगर वहां भी नहीं होगा तो फिर जनता के न्यायालय में हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का सवाल नहीं है, यह मतदाता को न्याय देने का सवाल है और यह जो मुकदमा हुआ है ऐसे हजार दो हजार मुकदमें हों तो अच्छा है और केवल प्यारेलाल पर ही नहीं इधर-उधर बैठने वालों पर भी हों और मतदाता अपने अधिकारों को समझें तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति स्वच्छ होगी और सुधरेगी।

इसलिये मेरा कहना है कि यह विशेषाधिकार का सवाल नहीं है बल्कि यह प्रस्ताव पारित करके मतदाता को जिसने मुकदमा किया है हमें धन्यवाद देना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य को अदालत द्वारा "शो-काज नोटिस" देना कि आप दल बदल करने जा रहे हैं इसलिये जवाब दो अदालत में आकर, मैं समझता हूं यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन गया। इसलिये बन गया कि माान्यवर, आपन एक सूची अपने यहां डिक्लेअर की कि कौन सदस्य किस पार्टी का है। आपने एक पार्टी से दूसरी में जाने का नियम बनाया है कि किस वक्त हम दूसरी पार्टी में जायेंगे और किस तरह जायेंगे ? यानी वह पूरा अधिकार अपनी प्रणाली के मुताबिक उसके अन्दर है। अब कोई भी आपकी व्यवस्था हो, इलेक्शन पेटीशन की शक्ल में होता तो जो ट्रिब्यूनल होता वह इस बात पर विचार कर सकता था। लेकिन एक दूसरा आदमी कोई भी हो---चाहे मुंसिफ हो या जुडीशियरी का हो वह इस चीज पर शो-काज नोटिस दे दे कि तुम दल बदल नहीं सकते तो यह आपके अधिकारों का, सदन के विशेषाधिकारों का प्रश्न बन गया। इसलिये आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय कृष्णानन्द राय ने जो विचार प्रकट किये हैं और जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मैं तो मानता हूं कि न केवल विधायक के रूप में ही बल्कि एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता या राजनीतिक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने राजनीतिक विचारों में किसी समय भी परिवर्तन ला सकता है अथवा विचारों को बदल सकता है। यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार संविधान के अन्दर हम सबको मिला है। जिस मुंसिफ ने इस मौलिक अधिकार के विरुद्ध निषेध आज्ञा दी है उसने न केवल हमारे अधिकारों का बल्कि संविधान का भी उल्लंघन किया है। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवदन है कि उसके खिलाफ विशेषाधिकार की कार्यवाही अवश्य की जाय और उसको विशेषाधिकार समिति क, बल्कि सदन के सामने अवश्य बुलाया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

सच्चाई की बात तो श्री महीलाल जी ने कही है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई का प्रतिपादन किया है। क्योंकि दल बदल लिया और उस दल बदलने के पीछे कोई कारण हो जिनका कि उन्होंने जिक्र किया तो उसकी तो आज्ञा दी ही जानी चाहिये जैसा कि श्री महीलाल जी ने कहा। मैं यदि अपनी ओर से यह कहूं तो मैं यह कहूंगा कि शायद राजनीतिक अनैतिकता इससे बड़ी कोई होती नहीं। लेकिन अगर माननीय महीलाल जी ने जैसी कि अंग्रेजी की कहावत है कि "दि कैट इज आउट आफ दि बैग" तो उन्होंने ही जिस चीज का प्रतिपादन किया...

श्री अध्यक्ष—

आप उनके व्यक्तिगत बारे में न कहिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उन्होंने, श्रीमन् मेरे बारे में कहा इसलिये मैं कह रहा हूं। वह मेरे ऊपर तो यों नहीं लागू होता, क्योंकि मैं दल बदलने के लिये नहीं बल्कि यहां अपोजीशन में बैठने के लिये हूं। रह गये महीलाल जी। तो अभी न मालूम जीवन में कितने प्रकाण्ड अध्याय उन्हें पूरे करने है और कितनी बार दल बदलना है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत बात है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उन्होंने मेरे लिये कहा इसलिये मैं कह रहा था। बहरहाल, कुछ विचारणीय बात है और इसलिये है कि आप जो यहां निर्णय देते हैं हम सब उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिये यदि, श्रीमन्, पुनर्विचार करें तो शायद उचित हो। एक बड़ा सवाल यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों के कार्यों में यदि बाधा पड़े और उसके लिये कानूनी कार्यवाही हो तो उस कानूनी कार्यवाही के संबंध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है या नहीं। मैं अभी "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" पढ़ रहा था कि यदि कोई ऐसे मुकदमें दायर किये जायें जिससे माननीय सदस्यों के कार्यों में बाधा पड़े तो क्या वह अवमान की हद तक पहुंचता है या नहीं और मेरा अत्यन्त नम्र निवेदन यह है कि तनिक इसको दोबारा विचार कर लें और इस पर जो भी साहित्य उपलब्ध हो, वह देख लें क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई भी कार्य सदन के बाहर जो कि सदन के कार्य में बाधा डालता है, अवमान की हद तक पहुंचता है। कानूनन कोई मुकदमा चलाये तो वह वैधानिक चीज है। तो क्या कोई वैधानिक कार्य भी अवमान की हद तक पहुंचेगा या नहीं? मेरा नम्र निवेदन है कि कृपा करके इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

इस समय सदन के सम्मुख जो प्रश्न है वह बहुत मौलिक प्रश्न हैं बदकिस्मती यह है कि इसमें दलगत राजनीति लायी जा रही है.....

श्री अध्यक्ष—

आज और भी काम है। मैं किसी और रोज इसके लिये बहस रख दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह खत्म नहीं होगा। और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री गोविन्द सिंह--

मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न न केवल इस सदन के सामने है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोविन्द सिंह--

मैं एक मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

इसको यहां समाप्त कर दीजिए । इस पर विचार करने के लिये मैं समय दूंगा तब विचार कर लीजिएगा । मैं समझता था कि इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं होगी । अगर आप बहस करना चाहते हैं तो मैं इजाजत दे दूंगा ।

अब १ मई को बैठक के बारे में पूछा गया था तो कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया है कि १ मई को बैठक रहेगी ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा की कार्यमन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक २९ अप्रैल, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं ।

१--१ मई, १९७० को बैठक हो ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं आपत्ति करना चाहता हूं, मुझे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपत्ति बाद में ली जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

उस कमेटी के द्वारा जो निर्णय हुए हैं वह सदन में प्रस्तुत करने के पहले मेरी आपत्ति उस कमेटी के गठन के बारे में आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

देखिये, दिनांक २३ व ३० मई और ६ व ११ जून को पड़ने वाले शनिवारों को विधान सभा की बैठक नहीं होगी । कमेटी ने तय कर लिया है कि इनको नहीं लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो एक महीने का लेखानुदान ले लिया जायगा । २२ मई और १२ जून के असरकारी दिवस पर आय-व्ययक की मांगों पर मतदान लिये जायेंगे और उनके स्थान पर आय-व्ययक समाप्त होने के तुरन्त बाद के दो दिन, जिनमें कोई शनिवार न हो, असरकारी कार्य के लिये नियुक्त किये जाते हैं ।

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव, उनमें से प्रत्येक के सामने दिये हुये समय तक लिये जायेंगे :--

(१) उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

१ मई, १९७० को ढाई बजे अपरान्ह तक ।

(२) उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (सशोधन) विधेयक, १९७०
१ मई, १९७० को ४ बजे अपरान्ह तक ।

(३) उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०
४ बजे अपरान्ह से प्रारम्भ हो कर ४ मई को ढाई बजे अपरान्ह तक ।

(४) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०
४ मई, १९७० को ३ बजे अपरान्ह तक ।

(५) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोघन विधेयक, १९७०
४ मई, १९७० को ४ बजे अपरान्ह तक ।

(६) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (सशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०
५ मई, १९७० को सायंकाल ५ बजे तक ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

हम लोगों को जो जानकारी है वह यह है कि ८ तारीख को बजट पेश किया जायेगा और यह असेम्बली कंटिनुवस्ली मई और जून में बैठेगी और यह बजट १८, २० जून तक पास हो जायेगा लेकिन, श्रीमन्, आपने यह भी संकेत किया कि वोट आन एकाउन्ट एक महीने का लिया जायेगा । तो क्या हम यह समझें कि गवर्नमेंट की यह राय है कि ८ मई को बजट पेश करने के बाद एक महीने का वोट आन एकाउन्ट ले रहे हैं और असेम्बली एडजर्न कर रहे है ?

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त चार शनिवार ले लिये थे और दो असरकारी दिन ले लिये थे। असरकारी दिनों के बारे में तय हुआ कि बाद में भी ले सकते हैं लेकिन शनिवार अगर ले लेंगे तो उसके एवज में दूसरे दिन नहीं मिलते हैं । यह समस्या खड़ी हुई कि १३ तारीख को बजट पास होकर जो विधेयक आते हैं वह पारित होंगे । पहले उन्होंने जो लेखानुदान लिये थे वह जून के आखिर में लिये थे। यह जो परिस्थिति है उसको १४ रोज तक रोक सकते हैं । तीन, चार जुलाई तक वह रोक लेंगे तो पारित नहीं हो पायेगा । इसलिये यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो कुछ दिनों के लिये वह लेखानुदान लेकर पारित १९ तारीख को ही करेंगे चाहे कुछ भी रिस्क लेना पड़े रिस्क उसमें न हो इसके लिये हैं । बजट चलता रहेगा, बजट रुकेगा नहीं और आवश्यकता हुई तो लखानुदान ले लेंगे और कार्यक्रम चलता रहेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरी आपत्ति यह है कि, श्रीमन्, आपको अधिकार है अपनी बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी को गठन करने का और कुछ नियम और तरीके जो पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी के हैं वह चले आ रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का जो आपने गठन किया है और जिसके प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश हैं .....

श्री अध्यक्ष—

यह आपको कल कहना चाहिये था जब मैंने घोषणा की थी ।

श्री रियासत हुसैन—

शाम को उसका ऐलान हुआ । उस वक्त मैं कैसे करता ?

श्री अध्यक्ष—

वह पहले एनाउन्स हो चुका है ।

श्री रियासत हुसैन—

अभी आपने मत तो लिया नहीं है । मेरी आपत्ति तो उस कमेटी के द्वारा जो पारित किये गये प्रस्ताव हैं उनके बारे में है ।

श्री अध्यक्ष—

उसके पारित करने का कमेटी का अधिकार था और उसने पारित कर दिया है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरी बात आप सुन लें दो मिनट में । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं इस कमेटी के बनाने के सिलसिले में कि मेज पार्लिलयामेन्ट्री प्रैक्टिस जिसके आधार पर सारी कार्यवाही चलती है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कांस्टीट्यूशन को बदलना चाहते हैं । आप मेरे कमरे में बात कर सकते हैं !

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपके कमरे में बात कर लूंगा, लेकिन आधा मिनट में मैं बतला देना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि इससे लम्बा सवाल हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण विधेयक, १९७०

राजस्व उपमन्त्री (श्री राम किंकर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकण) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने क अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकिंकर—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर देश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८३०–८३२ पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर: स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८३३ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण विधेयक, १९७०

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन प्रसाद रावत---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८३४ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

परिवहन मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामजी लाल सहायक---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८३५ पर)

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९†

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस लिये लाया गया कि दफा १०३ जो दंड संहिता है और उस में जो आत्म रक्षा, (सेल्फ डिफेन्स) के बारे में बताया गया उसको मैं सदन में सम्मुख थोड़ा-सा बतला दूं । उसमें जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करने के लिये एक संशोधन, क्लाज ५वां यहां पर जोड़ दिया गया है जिसकी यहां पर जरूरत पड़ी है । दफा १०३ दंड संहिता में यह है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रापर्टी को बचाने का अधिकार दिया गया है और उसको बचाने में जो चीजें हैं, वस्तुयें हैं उस सिलसिले में उस व्यक्ति को गोली चलाने का भी अधिकार है और अभियुक्त की हत्या करने का अधिकार है । जब कोई अभियुक्त उसके घर में घुस कर लूटमार करे, रात में उसके दरवाजों को तोड़ कर घुस जाये तो उसको इसका प्रयोग करने का अधिकार है । तीसरा क्लाज है कि भवन या तम्बू जिसमें वह व्यक्ति रहता है या उसकी उसमें सम्पत्ति है उसमें आग लगाता है तो उस व्यक्ति को अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये अभियुक्त पर गोली चलाने और उसको जान से मारने का अधिकार है ।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

चौथे क्लाज में है कि चोरी, आरिष्ट या गृह अनिधिप्रवेश जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे कि युक्ति युक्तरूपेण आशंका होती है कि यदि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या गम्भीर चोट होगी । ऐसी चीजों को देखते हुये ऐसी परस्थितियां आती हैं कि उनकी रक्षा करना आवश्यक है । कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि अगर कोई सरकारी चीज है, बस है, कोई सरकारी संस्था है और उसमें कोई आग लगा दे तो उसको बचाने का अधिकार १०३ में नहीं है, तो इसकी पूर्ति करने के लिये एक पांचवां क्लाज दफा १०३ में जोड़ दिया गया है और वह यह है कि अगर कोई आदमी अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति को जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन अन्य निगम के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो अथवा प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हो । इसका दूसरा क्लाज जो सब क्लाज है कि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० की धारा ३ के खंड (छ) में परिभाषित है अथवा रेलवे स्टोर्स को जैसा कि रेलवे स्टोर्स (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट, १९५५ में परिभाषित है । या किसी ट्रांसपोर्ट वेहिकिल को जैसा कि मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा २, खंड ३३ में परिभाषित है ।

इस पांचवें क्लाज के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से इन चीजों को नष्ट करता है तो पुलिस या पब्लिक का कोई भी आदमी उस पर गोली चला सकता है और आग लगाने वाले को जान से भी मार सकता है । इस क्लाज की जरूरत इसलिये पड़ी कि आजकल के समय में अक्सर कोई न कोई आन्दोलन होता है, कहीं विद्यार्थियों का, कहीं कर्मचारियों का, और उसमें बैड एलीमेन्ट्स घुस कर सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करते हैं, मसलन किसी इंस्टीट्यूशन को जला दिया, मोटर गाड़ियों को जला दिया, उसकी रोक के लिये एक क्लाज पांचवीं धारा १०३ में जोड़ना है ताकि सरकारी सम्पत्ति नष्ट होने से बचाई जा सके ।

---

† २६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सवाल है कि एक समिति बनायी जाय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि १९६६ में मुख्य मंत्रियों की एक कान्फ्रेन्स हुयी थी। उसमें और विचार के साथ-साथ यह भी विचार किया गया था कि सरकारी सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिये कोई बात सोची जाय उसमें यह पास किया गया कि धारा १०३ में पांचवां क्लाज इस तरह का जोड़ दिया जाय। उसी वक्त पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने, जो इस क्लाज को पहले जोड़ चुके थे, सबके सामने रखा था। पुरानी गवर्नमेन्ट के सामने भी केबिनेट में यह मामला दो बार आया था। एक बार तो टाल दिया गया, दुबारा तय हुआ कि इस पर और विचार किया जाय। फिर सन् १९६९ की गवर्नमेन्ट ने इस प्रस्ताव को मानकर विधान परिषद् में इसे रखा और वहां पारित हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर काफी विचार हो चुका है, अब कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको पारित करने की आज्ञा दें।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बातें बड़े गौर से सुनीं। उनके भाषण से एक निचोड़ निकलता है कि जब यह भारतीय दंड संहिता बनी उस समय इस बात का मूल्यांकन नहीं किया गया था कि कभी कोई राजकीय अधिष्ठान अथवा सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाये जाने की भी सम्भावना हो सकती है, और इस बात को ही ध्यान में रख कर धारा १०३ में संशोधन की बात कही जा रही है। मेरा यह कहना है कि आज के समाज का जो ढांचा बना हुआ है, जिस प्रकार की देश की और प्रदेश की स्थिति है, उसका सही मूल्यांकन करने में मंत्री जी असफल हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति समाज में व्याप्त हो गयी है कि कोई आदमी न अपनी जान की सुरक्षा समझता है और न माल की सुरक्षा समझता है। जब से श्रीमान जी लोगों का कदम सरकार में पहुंचा है तब से ही यह बीमारी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। मंत्री जी आज मेहरबानी करके इस स्थिति पर गौर करें, सोचें और समझें कि इसको इस समय प्रवर समिति में भेजने में हर्ज क्या है ? उन्होंने कहा कि इस पर बड़ा विचार हुआ, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ लेकिन इस में क्या हर्ज है कि यह सदन भी विचार करे और इस की प्रवर समिति भी विचार करे। आप का कहना है कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने पहले ही जोड़ दिया है, केवल बंगाल के मुख्य मंत्री से ही तुलना करते हैं ऐसा क्यों ? वह मुख्य मंत्री तो स्वयं मजबूर थे और जिन को कहना पड़ा कि हम अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारी सरकार अब सरकार नहीं रह गई है और न मालूम क्या—क्या। वह मुख्य मंत्री अगर कहते हैं तो बेसब्री के नाते यह कि यह छोटा-सा क्लाज जोड़ दो। मेरा आप से निवेदन है कि कतई-कतई बंगाल के मुख्य मंत्री की हैसियत में अपने मुख्य मंत्री को लाने की कोशिश न करें या बंगाल की स्थिति में उत्तर प्रदेश को लाने की कोशिश न करें।

मेरा निवेदन है कि आप पूरी भारतीय दंड संहिता को देखें, सोचें, उस पर विचार करें कि उस में किन-किन धाराओं में संशोधन की आवश्यकता है। आज यहां की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बीमारी चली बंगाल से, फिर वह आई बिहार में। एक ओर तो लोकतांत्रिक सम्मेलन हो रहा था और दूसरी ओर बम फेंके जा रहे थे और यह श्रीमान् जी लोग आज भी बिल्कुल सोये हुये हैं जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। किसी तरह से जोड़तोड़ लगा कर तो मिनिस्ट्री बनी, यह गया वह आया, यही होता रहा कि दिल्ली कैसे खुश हो और लखनऊ कैसे खुश रहे, इसी में वह लगे रहे। चाहे तो मंत्री जी आज इस विधेयक को वापस कर लें और उस पर फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह---]

से सोच-विचार कर लें और देखें कि क्या यह विधेयक आज की परिस्थिति के अनुरूप है ? अगर वह ऐसा नहीं करते तो कल फिर वह इस संहिता में संशोधन लाने को तैयार हो जायेंगे और फिर कहेंगे कि बड़ा ओटा-सा विधेयक लाये हैं। इस चीज को या इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता हुई, क्यों उन्हें यह आशंका हुई ? मंत्री जी कहते हैं कि कर्मचारी आन्दोलन कर देते हैं और उससे नुकसान हो जाता है। लेकिन आप कर्मचारियों की बात क्यों करते हैं ? हरगिज-हरगिज कोई शायद सिर फिरा सरकारी कर्मचारी भी सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा। कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं और ऐसे कामों में घुस जाते हैं, वह कौन हैं, उनका नाम लेने की आप में हिम्मत नहीं है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर मंत्री जी के अन्दर रत्ती भर भी वस्तुस्थिति के मूल्यांकन की समझ है तो उन को साफ कहना चाहिये कि आज सूबे में विषम स्थिति है, लेकिन इस नाते कि कहीं उनके दिल्ली के नेता नाराज न हों जिन के बल पर दिल्ली टिकी है, वह नाराज न हों इसलिये वह उनका नाम नहीं ले सकते।

इस वास्ते मैं सदन से कहूंगा कि आज की देश की और इस प्रदेश की स्थिति को देखते हुये स्पष्ट शब्दों में आप को कहना चाहिये कि इस विधेयक को वापस लिया जाय और उसके बाद चाहे आप फिर इस पर पुनर्विचार करके अपने मंत्रि मंडल में फिर इस को ले आयें, या अपने दलों में विचार कर के आप इसको ले आयें और अगर यह सब भी सम्भव न हो तो मेरी प्रार्थना मंत्री जी स्वीकार करें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और मैंने तो समय भी अधिक नहीं मांगा है केवल एक सप्ताह के बाद विचार करके यह फिर यहां आ सकता है, इसमें मंत्री जी को क्या दिक्कत है, वह मैं नहीं समझ पा रहा हूं जबकि आप कहते हैं कि खतरा पैदा हो गया है। सरकारी अधिष्ठानों, सरकारी सम्पत्तियों को कुछ लोग नुकसान पहुंचाते हैं। उनको वे अधिकार देना चाहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए अगर उस पर कोई गोली चलाता है तो उसे गोली चलाने का अधिकार देते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कुछ लोग नुकसान पहुचाने वाले हैं या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया चालू है। तो जब सरकार के मन में यह बात आये तो सरकार को जनता को अगाह करना चाहिये, यही नहीं जनता को इसके लिये सूचित भी करना चाहिए। हिन्दुस्तान की सरकार को लोग दूसरे नम्बर का भगवान समझते थे। अगर इस जनता पर यह विश्वास हो जाय कि हमारी सम्पत्ति का नुकसान करेगी तो इसका क्या कारण है ? अगर ऐसा हो तो काम चलने वाला नहीं है। सही मूल्यांकन होना चाहिए और इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न केवल आप का या आप के दल का नहीं है, न यह प्रश्न किसी राजनीति का है, आप को इसमें तो कतई एतराज नहीं होना चाहिये और भारतीय दण्ड संहिता में कहां-कहां संशोधन की आवश्यकता है उस को देख लिया जाय। सी० आर० पी० सी० में भी जहां-जहां संशोधन करने की आवश्यकता हो, वह भी करें। आर्म्स ऐक्ट में भी जहां-जहां संशोधन की आवश्यकता महसूस हो, वह भी करें परन्तु मिल कर बैठें और इन बातों पर विचार करें। आंखों पर पट्टा बांध कर न चलें.....।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने इस विधेयक को पढ़ा है अथवा नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मैंने पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके उद्देश्य और कारणों को तो पढ़ें.....

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मैंने इसीलिए तो कहा है कि इस पर बैठकर विचार करने दिया जाय। मेरा अभिप्राय है कि जो कारण दिए जा रहे हैं, वह उपयुक्त नहीं हैं और और अगर कारण सही

नहीं है तो फिर वह तत्व, वह बात निकाल दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को सरकार प्रवर समिति को सुपुर्द करने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले ताकि इस पर पूर्णतया विचार करने के उपरान्त यह बिल सदन में आये और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर जो माननीय कल्पनाथ सिंह जी का प्रस्ताव है कि इसे सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उनके मन में भय और शंका है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस प्रदेश की सरकारी सम्पत्ति को, राजकीय सम्पत्ति को या किन्हीं व्यक्तियों की सम्पत्ति को हानि पहुंचाते हैं और भारतीय दंड संहिता में इस बात का प्राविधान है कि राजकीय सम्पत्ति, राजकीय इमारतों की सुरक्षा की जा सके। हमारे प्रदेश या देश के अन्दर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश की सम्पत्ति को, इस सम्पत्ति को राजकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उन शक्तियों को, उन तत्वों को, कानून में परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते हैं। हमें उन शक्तियों के प्रति, उन तत्वों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि देश में कुछ ऐसे शक्तियां पनप रही हैं, जो इस राष्ट्र की सारी सम्पत्ति को ही नष्ट नहीं करना चाहती हैं बल्कि देश में जो लोकतंत्र का ढांचा बना है, उस पर भी कुठाराघात करना चाहती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें धारा १०३ जो है यह किस बात को प्रकट करती है? बंगाल के अन्दर जो शक्तियां बढ़ीं और आये दिन लूटमार और आगजनी की वारदातें हुयीं उनसे मुकाबिला करने के लिये और उस राजकीय सम्पत्ति की हिफाजत के लिये जो संशोधन किये गये उन्हीं संशोधनों को हम को करने की जरूरत पड़ रही है। संशोधन मात्र से ऐसी शक्तियों को दबा नहीं सकते और राजनैतिक स्तर पर भी जनता के क्षेत्र में जाकर हमको जनता को आगाह करना होगा कि हम ऐसी गतिविधियों का बहिष्कार करें और सक्रिय रहें और राजनैतिक क्षेत्र में भी अपनी स्थिति बनाये रखने के लिये, अपनी कुर्सी बनाये रखने के लिये हमें जनता को जागरूक करना होगा।

जहां तक संशोधन का सवाल है हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय भी कई बार कह चुके हैं कि भारतीय दंड संहिता में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है जिससे काम काज भलीभांति से चल सके, अपराधों को भली प्रकार रोका जा सके। यदि यह बात सत्य है तो मैं चाहूंगा कि माननीय कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वह इस पर गम्भीरता से विचार कर सके कि कहां-कहां पर संशोधनों की आवश्यकता है और कहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे हम ऐसे संशोधन कर सकें जो अराष्ट्रीय तत्वों का मुकाबला कर सके। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जहां राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिये हम पुलिस को अधिकार देना चाहते हैं कि वह गोली से भी मार सकता है। परन्तु हमें भय होता है कि कहीं हमारी पुलिस उसका दुरुपयोग न करे। पुलिस को अधिकार देकर कि किसी भी राजकीय सम्पत्ति, किसी बस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को, वह किसी भी प्रकार बचा सकते हैं, हमें भय होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को या आन्दोलन को किसी भी समय यह भय दिखा सकते हैं कि ये आग लगाना चाहते थे, लूट करना चाहते थे और इस तरह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके प्रति भी शासन को जागरूक रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्पनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

जो धारा १०३ हमारे भारतीय दंड विधान में दी गई है उस के कुछ सब-क्लाज हैं। उसमें हम एक और जोड़ना चाहते हैं। अब तक हमको जो अधिकार मिले हुये थे अपनी

[श्री अनीसुर्रहमान—]

सम्पत्ति की रक्षा के उसमें हम कुछ और चीज जोड़ना चाहते हैं। उसका कारण भी माननीय मंत्री जी के एक शब्द से, बंगाल के नाम जोड़ देने से वह बात स्पष्ट हो जाती है। हम एक तरह से अधिकार दे रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कारिन्दों को जिन्होंने फार्म खोल रक्खे हैं। अगर कोई एक छोटा काश्तकार कभी उसको बांटने की बात करे तो उसको गोली मारी जा सकती है। श्रीमन्, बंगाल के साथ-साथ हम जब इस चीज को सोचते हैं तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस क्लाज से हम उस दिमाग की तरफ जा रहे हैं जो बसों को जलाने और रेलवे स्टेशनों को जलाने की आशा में पुलिस को अधिकार देने की बात हो रही है जिससे कि गोली मारी जा सके। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों माचिस और लोहे की तीली रख कर पुलिस वाले चालान नहीं करते? श्रीमन्, इन चार-पांच क्लाजेज के होते हुए उस पूरी क्लाज का दुरुपयोग नही होता है? मैं तो उस भावना का विरोध करता हूं जिस भावना को लेकर छठी-क्लाज को जोड़ा जा रहा है कि गोली मारने का अधिकार दे दो। अहिंसावादी देश और समाजवादी रास्ता पर वाणी से जो न मर सके उसको गोली से मारेंगे। इस मनोवृत्ति का क्या बनेगा, प्रवर समिति को सौंप कर सोचें, पार्टी में समितियों के अन्दर बैठ कर सोचें कि यह मनोवृत्ति उभर क्यों रही है? चाहे जितने क्लाज जोड़ दिये जायं उसको नहीं रोक सकते। राष्ट्र की सम्पत्ति को हथिया लीजिये और गोली मार कर जनता की सम्पत्ति कह कर रोकना चाहें तो नहीं रोक सकत। पहले जनता को बतलाइये कि यह उसकी सम्पत्ति है, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकेगा तो फिर गोली की जरूरत ही नहीं है।

श्रीमन्, मैं आप से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। रेलें किस वक्त चली थीं? किस समय रेलों पर गुस्सा उतरा? अग्रेजों के समय में किसी ने बम फेंका? उस वक्त चन्द्रशेखर और सुभाषचन्द्र बोस की पूरी फौज मौजूद थीं तोड़-फोड़ वाली। उसको कभी गोली से नहीं रोका जा सका। उस को विचारों से ही रोका जा सकता है, गांधी जी के विचारों से, गोली, आदि से नहीं। तो यह जो क्लाज आप जोड़ रहे हैं उस से समस्या हल होने वाली नहीं है, उसके लिये आपको अपने दिमाग को और अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जब तक जनता की सम्पत्ति जनता के पास नहीं पहुचेगी, आप उस कार्य को नहीं कर सकेंगे। मैं अपने स्वर्गीय नेता की बात कहना चाहता हूं कि पहले पूंजीपतियों के हाथों से सम्पत्ति को लीजिये, जितनी जल्दी हो सके उसको उनसे छीनिये। छोटे-छोटे क्लाजों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा। सोचें यह राज्य कर्मचारी आखिर करते ही क्यों गड़बड़ हैं? छात्रों में क्यों गड़बड़ी है? वे क्यों गड़बड़ करते हैं? आप को उसके समाधान के लिये पहले उसके कारणों का पता लगाना होगा। उनके अन्दर कौन से तत्व ऐसे हैं जो गड़बड़ पैदा करते हैं, पहले यह पता लगाना होगा। और इन बातों को पता लगाने के लिये आपको उस चीज को प्रवर समिति को सौंपना होगा। दंड विधान अंग्रेजों ने बनाया था। उसे बदलने की जरूरत है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस पर पूरी तरह से विचार न हो। विचार प्रवर समिति में ही हो सकता है। क्लाज जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा।

मैं अखबार में पढ़ रहा था कि शायद माननीय मुख्य मन्त्री ने देखा या नहीं मुझे पता नहीं, मथुरा के एक थानेदार को गोली अलीगढ़ में मार दी, निश्चय ही वहां कोई नक्सली नहीं है। आप अब उस की खोज करायें या न करायें, लेकिन उसके तो गोली लग गयी। आप इस क्लाज से उस चीज को नहीं रोक पायेंगे। आज पुलिस के अन्दर यह चीज घुस गयी है कि वह गोली और डंडे के जोर से शासन कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि जनता के राज्य में जनता अपनी सम्पत्ति की खुद हिफाजत करे तो उसके लिये अपने विचारों को बदला पड़ेगा। हम महात्मा गांधी के फोटों के नीचे गोली चलवाने की बात तो कर रहे हैं मगर अपने विचारों को बदलने की बात नहीं करते। विचार तभी बदलेंगे जब हम छोटी-छोटी कमेटियां बना कर बैठ कर विचार करेंगे। तानाशाही तरीके से नहीं सोचेंगे। जनता की सम्पत्ति जनता को सौंप कर सोचेंगे। क्लाज तो अंग्रेजों ने भी बहुत बनाये थे। वे चले गये। आपने भी २२ वर्षों में बहुत से क्लाज बनाये और राज्य को चौपट कर के रख दिया। इसलिये मैं इस १०३

के अन्दर छठी उपक्लाज को जोड़ने का घोर विरोधी हूं। साथ ही जो प्रवर समिति को भेजने का हमारे इधर के साथी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं इस मनोवृत्ति के साथ कि वहां इसके कारण खोजे जायं जिससे कि जनता की सम्पत्ति की रक्षा हो सके। इन कारणों को खोजने के बाद विधेयक सदन के सामने लाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने आया है, उस पर गम्भीरता के साथ तथा विशेष रूप से विचार होना चाहिये। आजादी मिलने के पहले हम जानते हैं कि अगर किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचायी गयी थी तो वह किसी एक भावना से और वह यह थी कि अंग्रेजी शासन खत्म होना चाहिये और उस समय इस प्रकार का जो कार्य किया जाता था उसका एक प्रकार से औचित्य समझा जाता था। रेलगाड़ियों को तोड़ना, और ऐसे स्थानों को तोड़ना जो सार्वजनिक लाभ के होते हैं, एक प्रकार से उपयुक्त समझा जाता था, लेकिन आजादी आने के बाद उन सब प्रवृत्तियों में परिवर्तन होना चाहिये। आज २० वर्ष हो गये हैं, इन २० सालों में इस शासन में इस भावना को आना चाहिये कि यह हमारी सम्पत्ति है, इस सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि पिछले २० वर्ष के अन्दर लगातार इस भावना को छोड़ कर खास कर हमारे देश में कतिपय नेता ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि तोड़-फोड़ की जाय, जो इस बात में विश्वास करते हैं कि हिंसा की जाय और हिंसा कर के किसी तरह से शासन को पलटा जाय। उनका यह हौसला पिछले २० साल के अन्दर देश में बढ़ा है। हम किसी भी प्रान्त की बात को ले लें। आन्ध्र के अन्दर क्या हुआ? केरोला के अन्दर क्या हुआ? तामिलनाडु के अन्दर, बंगाल के अन्दर या कश्मीर के अन्दर यों कहिये कि हर प्रान्त के अन्दर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को उभारा गया है। किसानों को उभारा गया है। वहां पर उन को लड़ाने के लिये उभारा गया है जिनको गुन्डा कह सकते हैं। ऐसे लोगों को उभार कर देश की सम्पत्ति को नष्ट कराया गया है जो बहुत मूल्य रखती थी। आज ऐसी परिस्थिति में जब कि हम देखते हैं कि बंगाल के अन्दर आग लगी हुई है, बिहार के अन्दर आग लगी हुई है वहां पर जनता को उभार कर सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट कराया जा रहा है और लोग जोश में आकर आग में कूद पड़ते हैं।

इस प्रकार की शिकायत पिछले दिनों से बहुत हो रही है। आज यह कहा जाता है कि पुलिस को अधिकार दिया जा रहा है लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको प्राइवेट प्रापर्टी के रक्षा करने का पूरा अधिकार है कि अगर कोई हमारी सम्पत्ति को लूटता है, तो हम उस की रक्षा करें। उसके लिये पूरा अधिकार हम को संविधान देता है कि हम उस व्यक्ति के ऊपर गोली दाग सकते हैं जो सार्वजनिक सम्पत्ति को लूटने के लिये आये। उसके ऊपर हथियार उठाने का हम को पूरा अधिकार यह संविधान देता है। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या उस की रक्षा करने के लिये पुलिस को अख्तियार नहीं है। आखिर इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है? पुलिस के ऊपर क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार के ऊपर नहीं है? यदि हम निजी सम्पत्ति की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। उसकी रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि पुलिस को अधिकार दिये जायं और सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करनेवाले को गोली से दाग दिया जाय। आज आप जाइये बंगाल के अन्दर और बिहार के अन्दर, देखिये वहां पर क्या हो रहा है? वहां की सरकारों ने छूट दे रखी है कि मारो, लूटो और जिस तरह से चाहे लूट करो। लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि हम उत्तर प्रदेश में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]]

ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के हर प्रान्त में लोकतन्त्र को पनपते देखना चाहते हैं। लोकतन्त्र के पनपने के रास्ते में जो भी रुकावट पैदा होगी, उसको नापने की बात होनी चाहिये। हम अहिन्सा का प्रण लेकर देश में काम करना चाहते हैं किन्तु यदि देश की रक्षा के लिय, देश की सम्पत्ति की रक्षा के लिये हिन्सा की भी आवश्यकता होगी तो उसको भी अपनाने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिये। देश की रक्षा के लिये आवश्यकता पड़ेगी तो एक नहीं सैकड़ों व्यक्तियों को भी गोली के घाट उतारने के लिये तैयार होना चाहिये। इन बातों को लेकर ही यह मूल विधेयक सामने आया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसमें एक बात और है। यह कहा भी गया है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर दुरुपयोग की बात कही जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि आज कोई भी कानून ऐसा नहीं है, जिसका दुरुपयोग न होता हो। क्या पुलिस किसी भी धारा को लेकर उसका दुरुपयोग नहीं करती है? गलत रिपोर्ट लिखी जाती है। लोगों को झूठे केसों में फांसा जाता है। लोगों को चोरी और डकैती में फांसा जाता है। इस विधेयक के बनने के बाद भी यह सारी बातें हो सकती हैं। इसके पीछे बुरी भावना दबी रहती है। हमारी अच्छी भावना होगी तो देश की सम्पत्ति को हम अपनी सम्पत्ति समझेंगे और उस को नुकसान पहुंचाने पर अपना नुकसान ही उसको मानेंगे। यह भावना रही तो मैं समझता हूं इसका सही उपयोग होगा। दुरुपयोग तभी होता है जब बुरी भावना रहती है। जब हम समझते हैं कि शासन को गिराना है, देश जाय चूल्हे भाड़ में तो शासन को गिराने के लिये हिंसा करना चाहते हैं और अपने विचारों को लादने के लिये ऐसा करना चाहते हैं तभी यह बात हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती। दुरुपयोगिता का जहां तक सवाल है हर चीज की ही दुरुपयोगिता और उपयोगिता दोनों ही हो सकती हैं। जैसे कि बंदूक से हम अपने जान-माल की रक्षा कर सकते हैं, उससे डाकू को भी मार सकते हैं और दुश्मन को भी मारने के लिये उससे काम ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसका इस्तेमाल हम चोरी-डकैती और लूट करने के लिये भी कर सकते हैं, तमाम ही चीजों के दोनों पहलू हो सकते हैं। हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती हैं। अच्छाई लाने के लिए ही कानून बनाये गये हैं। हम भी अच्छाई ही देखते हैं। इस मूल भावना से मैं समझता हूं, यह बिल लाया गया है और वह सही विधेयक है, इसे हमें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, इस बिल का स्पष्ट अर्थ है प्रच्छन्न डिक्टेटरशिप आ रही है। हमारे प्रदेश में आजतक धारा १०३ में सभी को अपनी सम्पत्ति की रक्षा का अधिकार है। उसका यह तात्पर्य था कि कोई व्यक्ति यदि अनधिकृत रूप से किसी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो चूंकि हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी सम्पत्ति को बचाने का प्रयास करें और प्रयास में यदि गोली भी चलानी पड़े तो चलायें। इस प्रकार का अधिकार जनता को इसलिए मिला है कि वह अकेला हो सकता है और चोर डाकू कई हो सकते हैं, दो चार हो सकते हैं। लेकिन जहां पर ऐसे ऐसे वाक्यात हुए हैं सरकारी सम्पत्ति को लूटने के लिए तो पुलिस को यह अधिकार है कानून में, पुलिस उसकी रक्षा करती है, गोली भी चलाई गई है और उस की जांच भी हुई है। गोलियों से मौतें भी हुई हैं और सरकार की तरफ से उसे जस्टीफाई भी किया गया है। इसे संदन ने भी ठीक माना है और जनसाधारण ने भी माना है कि परिस्थितियों वश पुलिस को गोली चलाना आवश्यक हो गया था। तो मेरा निवेदन है कि इतना अधिकार होते हुए भी, उसे फिर एक विशेष पावर देने का, गोली चलाने की पावर देने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किन्तु आज पुलिस द्वारा हर कानून का अन्धाधुंध दुरूपयोग किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि इसका भी दुरूपयोग होगा। इस जमाने में

अनेक घटनाएं ऐसी हुआ करती हैं। अभी दिल्ली में हमारे एस० एस० पी० के नेताओं पर लाठी चार्ज हुआ, उनकी टांगें तोड़ी गयीं, जो कि न कोई लूट करने जा रहे थे, न कानून तोड़ने जा रहे थे और न किसी सम्पत्ति को आग लगाने जा रहे थे, फिर भी उन पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चलाई गई। किन्तु सरकार उसे सही मानती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में गोलियां चलीं उसको शासन ने जस्टीफाई किया। तो जब हर लाठी चार्ज को सरकार सही मानती है, ऐसी शक्ति उसे विशेष रूप से दी जाएगी, तो इसकी मंशा, उस की मेंटल्टी डिक्टेटरशिप लाने की मालूम पड़ती है। इसके होने से कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपने विचारों को प्रकट स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगी, आन्दोलन और प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। सरकार उन्हें अपने इस कानून द्वारा पुलिस से कठोरता से दबवा देगी।

कोई प्राणी यों तो अपनी सम्पत्ति को नष्ट नहीं करना चाहता। आज हर आदमी यह समझ चुका है कि सरकारी सम्पत्ति अपनी सम्पत्ति है, इसको नष्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन वह प्रदर्शन-आन्दोलन करना चाहता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिये। जो इसकी मेंटिलिटी है, उससे मालूम पड़ता है कि आगे चलकर शाशक वर्ग अपने हाथ में पूरी शक्ति लेकर हर जनतांत्रिक आन्दोलन का दमन करना चाहता है।

यदि यह मान लिया जाए कि कानून किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक है, तो यह स्पष्ट जाहिर करता है कि हमारे शासक वर्ग में काफी कमजोरी आ गई है कि अब तक जो आधार था सम्पत्ति की रक्षा करने का उससे उसे हम रोक नहीं पाये हैं। तो हिंसा और लूटपाट केवल कानून द्वारा नहीं रोकी जा सकती, इसके लिए आत्मबल की भी आवश्यकता है। इट इज नाट दि गन दैट फाइट्स, इट इज दि आर्म दैट फाइट्स, ऐण्ड इट इज नाट आलसो दी आर्म दैट फाइट्स, बट इट इज दिहार्ट दैट फाइट्स। जब तक आप के पास करेज नहीं है, आत्मबल नहीं है तब तक आप कानून बनाकर किसी चीज को नहीं रोक सकते हैं। वही कानून बहादुरशाह जफर के पास था, उसको एग्जिक्विट करने की उसमें शक्ति नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अराजकता पैदा हूई और वही कानून क्षत्रपति शिवाजी ने, महाराणा प्रताप, चन्द्रगुप्त मौर्य और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया, वह अच्छा निकला। तो कानून बनाते वक्त यह देखना चाहिये कि उसको एग्जिक्विट करने वाला कौन है। ऐसा तो नहीं कि वह कानून गलत तरीके से अर्थ निकाल कर पब्लिक को दबाता रहा है। व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी सम्पति की रक्षा कर सके। उसके लिये एक व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है। लेकिन सरकारी सम्पति की रक्षा करने के लिये पूरा विभाग है जिसके बारे में एक मत से सबकी राय है कि वह भ्रष्ट हो चुका है। उसके हाथ में आप यह शक्ति देना चाहते हैं। वह ऐसा है जेई छिनरा तेई डोला के साथ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है-क्रशिंग मेंटलिटी। यह कानून बड़ा गैरजिम्मेदारी का बनाया जा रहा है। इससे लोगों को गलत तरीके से दबाया जायेगा। इसलिये मैं कल्प नाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपर्द करके यह कानून रखा जाय।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कानून जो यहां पेश किया जा रहा है हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि इसके पहले जो बर्तानिया सरकार थी तो इस तरह का कानून वह बनाकर इस्तेमाल करती थी। इस कानून के पीछे कुछ सियासी चाल है और वह सियासी चाल अभी हमारे भाई साहब ने बताई। ६ तारीख को हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं पर जो प्रहार हुआ है शायद इस जमहूरियत में यह पहला वाकया है। आप तवारीख उठा कर देखें गोली से तो बहुत लोग मरे। लेकिन लाठी से तो केवल लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई और उसके बाद एक दूसरी हत्या हमारे शहीद बिहारी लाल जी की हुई और वह एक कानून का शिकंजा था। उसी तरह का यह कानून पेश किया गया है। मेरे खयाल से हमारे चौधरी साहब के पैर खिसक उठे हैं जिस तरह से इंदिरा गांधी का पैर खिसक गया था। इस बर्बरता का व्यवहार ६ तारीख को बिहारी लाल जी

[श्री राजितराम पांडेय]

के साथ किया गया। मेरे दिमाग में यह बात आती है कि शायद वही रवैया आप के उत्तर प्रदेश में अख्तियार किया जायेगा। । मैं खुल्लमखुल्ला यह बात कहना चाहता हूं। आप गांवों में, शहरों में जाकर देखें, बड़े स्वच्छ प्रशासन की डींग हांकी जाती है लेकिन कानून में पुलिस को जो अख्तियार दिया गया उसका कितना बेजा इस्तेमाल वह कर रही है। चरण सिंह की हुकूमत उसको संभाल नहीं पा रही है। पुलिस वाले जिसको चाहते हैं, फर्जी मनमाने ढंग से कहीं दफा २५, कहीं गुंडा ऐक्ट में बन्द कर देते हैं। अभी गुंडा ऐक्ट ईजाद किया है। लिख कर गया है। आप देखें तो गांवों में एक तरह से सनसनी फैल गई है। पुलिस मनमाने ढंग से जिसको चाहती है बन्द कर देती है। मेरे दिमाग में आता है कि हमारे माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं यह कानून उन्हीं पर लागू होने वाला है, क्योंकि जमीन खिसक रही है और यह सरकार लड़खड़ा रही है। आखिर फिर इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी ? देश का हर इंसान समझता है और जानता है कि सार्वजनिक सम्पति उसकी है, बंगाल में जो दुर्दशा हुई वह क्यों हुई। ६ अप्रैल को जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यह चाहा कि गरीबी दूर करो और हम उसको सरकार के सामने जा कर रखना चाहते थे तो बिहारी लाल जी की हत्या कर दी गयी।

बंगाल में जब इस तरह के हंगामें हो रहे थे तब इन्दिरा गांधी की जबान से कुछ नहीं निकला कि क्यों वहां इतना अत्याचार, लूटपाट हो रही है, लोग सताये जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है ? बंगाल की पुलिस ने वहां कुछ नहीं किया। सोशलिस्ट पार्टी के ही लोगों ने वहां के पुलिस मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठाई कि पुलिस की ज्यादती नहीं चलेगी। लेकिन इन्दिरा गांधी ने कुछ नहीं कहा। लिहाजा मैं सदन से दरखास्त करूंगा कि सियासत की आड़ में जो यह कानून बनाया जा रहा है इससे जम्हूरियत खत्म होगी। सरकार अगर तानाशाही चलाना चाहती है तो वह चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश हमेशा आगे रहा है और वह चन्द्र शेखर आजाद, भगत सिंह जैसे जवानों को याद करता है। महात्मा गांधी का फोटो इस सदन में टंगा है। वह रामराज्य का स्वप्न देखा करते थे लेकिन रामराज्य कायम न होकर यहां रावण राज्य इस प्रदेश में कायम करना चाहते हैं, यह सरकार इस कानून को बनाकर, तो यह होने वाला नहीं है। हमारे साथी ने जो यह प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति में जाना चाहिये तो मैं उसका समर्थन करता हूं, जहां पर इस पर पुनः विचार हो।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है मैं कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमने जितने भी अधिनिमय बनाये हैं उनमें हमेशा संशोधन हुए हैं, क्योंकि वे अल्दी में बनाये जाते हैं और उनसे बचने के लिये कोई न कोई तरीका निकाल लिया जाता है। लिहाजा जो प्रस्ताव कल्पनाथ सिंह जी का है उसे मान लेना चाहिये क्योंकि इस तरह के नियम लाकर यह सरकार जिस तरह से काम करना चाहती है उससे जनतंत्र की हत्या होती है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने जिला परिषदों को खत्म कर दिया, उनके अध्यक्षों को हटा दिया, इससे जनतंत्र की हत्या हुई है। इस तरह का नियम बनाकर भी सरकार जनतंत्र की हत्या करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का यह सदन समर्थन करे और इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, लार्ड मेकाले द्वारा फ्रेम की गई भारतीय दंड संहिता कानूनी किताबों में एक बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी उसमें संशोधन नहीं किये गये। अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ यह कानून और उस जमाने में भी जब यह फ्रेम किया गया उस वक्त यह आवश्यक नहीं समझा गया कि राजकीय प्रतिष्ठानों या आस्थानों को बचाने के लिये उसे सेल्फ डिफेंस का राइट जो किसी व्यक्ति विशेष को अपनी जान की सुरक्षा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये दिया गया है, दिया जाय। लेकिन समय, परिस्थिति और वक्त के हिसाब से कानून भी बनाये जाते हैं और उनमें संशोधन भी किये जाते हैं किन्तु उसमें देखने की बात यह है कि जो अधिकार पुलिस को राजकीय प्रतिष्ठानों को बचाने के लिये दिये जा रहे हैं उसमें निरंकुशता तो नहीं आयेगी और बेगुनाह लोग उसमें नहीं फंस पड़ेंगे। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि विस्तार से और बहुत ही सूक्ष्मता से इस पर विचार होना आवश्यक है। हम और कोई भी सभ्य देश का नागरिक यह नहीं चाहेगा कि उस देश और प्रदेश की राष्ट्रीय सम्पति का ह्रास और विनाश हो। यह सही है और जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि और दिल्ली का उदाहरण दिया कि वहां पर बड़ी निरंकुशता से बिहारीलाल जी को पीटा गया और वह जान से मर गये।

आज आप ऐसा कानून बनायेंगे और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक दल जा करके कहीं पर आन्दोलन करता है तो इस बात का डर है कि आज जो सरकार है या कल हमारी सरकार रहे या कोई भी सरकार रहे इस कानून को बनाने के बाद उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसकी आड़ लेकर कि अमुक लोग प्रतिष्ठानों को हानि पहुंचा रहे थे बेगुनाह फंस सकते हैं। राजकीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही रहती है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पुलिस की सहायता नहीं मिल सकती और रात में या किसी वक्त में उसकी जान का खतरा हो सकता है उसके घर पर लूटमार या आग लगाने की बात हो सकती है तो वह अपनी प्रापर्टी और अपनी जान की सुरक्षा के लिये दूसरों की हत्या तक कर सकता है। किन्तु राजकीय प्रतिष्ठान जहां भी हैं यहां तक कि सड़कों में जहां पुल हैं, कई माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि पुलिस वहां भी खड़ी रहती है उसकी सुरक्षा के लिये। तो माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके जरिये से निवेदन कर दूं कि इस कानून का जो खंड इसमें जोड़ा जा रहा है उस पर गंभीरता से विचार किया जाय। इससे जनतंत्र और जनता के फंडामेंटल राइट्स में कमजोरी आती है और उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस विचार को दृष्टिगत रखते हुये इस पर अवश्य विचार होना चाहिये और इसको अवश्य संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, ताजी रात हिन्द १८६० में वजूद में आई थी। पूरे ११० साल के बाद वर्तमान सरकार को यह जरूरत महसूस हो रही है कि वह ताजीरात हिन्द की धारा १०३ में संशोधन करे। मान्यवर, धारा ९६ से लेकर धारा १०३ तक किसी आदमी को या हिन्दोस्तान के साधारण नागरिक को अपने शरीर और अपनी सम्पत्ति को बचाने का अधिकार दिया गया है और यह भी कि अपने शरीर और सम्पत्ति के बचाने के अधिकार के तहत्, हम किस हद तक दूसरे पर वार कर सकते हैं, किस हद तक उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह एक व्यवस्था इसम है। १०३ म यह किया गया है कि अगर किसी आदमी की निजी संपत्ति को आग से या डकैती के जरिये से या नकबजनी के जरिये से कोई नुकसान पहुंचाने जा रहा है तो जिसकी संपत्ति है, वह उसके प्राण तक ले सकता है। अब उसके आगे यह संशोधन किया जा रहा है कि जो अधिकार एक शहरी, एक व्यक्ति को है, एक स्वतंत्र व्यक्ति को है वह अधिकार सरकार की सपत्ति जैसे रेलवे, बस, अथवा सरकारी इमारत की रक्षा करने वालों को भी हो जाय। मान्यवर, इस पूरे ११० साल में १८५७ के गदर के बाद जब कि चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह द्वारा दहशत पसन्द आन्दोलन चलाया गया था, तब भी अंग्रेजी सरकार को इसके संशोधन करने की आवश्यकता न पड़ी। उसके बाद सन् ४२ का देशव्यापी आन्दोलन चलाया गया। उसमें रेलवे स्टेशन फूंके गये, पुल उड़ाये गये, कारखानों को लूटा गया, माल गाड़ियों को लूटा गया उस पर भी अंग्रेजी सरकार को इस कानून के संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन आज इस सरकार को उसके संशोधन की आवश्यकता पड़ गयी है।

मैं चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात पर गौर करें कि यह जो संशोधन पेश हुआ है, क्या उससे यह जाहिर नहीं होता कि अंग्रेजों के वक्त से साधारण नागरिक की जान

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

की कीमत, पिछले २२ सालों में धीरे-धीरे करके इस तरह से गिरी है कि आज उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं रह गयी है। स्वतंत्र भारत में साधारण आदमी की जान की कीमत कीड़े-मकोड़ों जैसी हो गयी है। यह तो समझ में आता है कि आदमी आदमी में रोटी के मामले में फर्क हो लेकिन बंदूक और गोली के मामले में आदमी आदमी में फर्क तो कोई क्रूर शासन ही कर सकता है। आखिर यह सरकार क्यों इस नौबत पर पहुंची है। एक और सबसे बड़ा कारण है और वह यह कि हिन्दुस्तान के कुछ विशिष्ट लोगों की जान की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि हमारे यहां साधारण शहरी की जान की कोई कीमत नहीं रही है। सुवह उस समय आप यहां शायद मौजूद थे या नहीं जिस समय मैंने माननीय मुख्य मंत्री से एक सवाल किया था कि जब प्रधान मंत्रीजी हमारे सूबे में दौरे पर पधारती हैं तो उनकी हिफाजत पर कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने उसको जनहित में बताना उचित नहीं समझा कि उनके ऊपर कितना खर्चा किया जाता है। मेरा अपना अनुमान है कि प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी पर या उत्तर प्रदेश में उनकी किसी सभा में भाषण पर कम से कम ? एक लाख रुपया व्यय होता है। जब हिन्दुस्तान के शासकवर्ग की सुरक्षा पर इस तरह से रुपया खर्च किया जायगा, उनकी जान की कीमत जब इस कदर बढ़ा दी जायगी तो रावत जी, हमारे यहां के मामूली आदमी की जान की कीमत बहुत कम हो जायगी।

एक उदाहरण देना चाहता हूं। शायद आपको याद होगा। एक दफा हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब एक जगह तशरीफ ले गये। वह बेचारे अपनी कार से आधा पूरी तरह उतर न पाये थे और आधा या एक पैर कार में ही था उस वक्त वह हिन्दुस्तान की हुकूमत के मंत्री थे। उसी बीच प्रधान मंत्री की गाड़ी वहां आ जाती है और जो वहां के मुन्तजिम और पुलिस वाले दूसरे अफसर थे वह इतनी जल्दी-जल्दी और दहशत के साथ उस गाड़ी को पोर्टिको से हटाने में जुट गये कि हाफिज जी बेचारे जो पूरी तरह उतर भी न पाये थे उनकी टांग टूट गयी, ऐसी दुर्घटना हो गयी। तो यहां तो मंत्री मंत्री में बड़े छोटे का इस तरह का फर्क हो गया है कि जवाहरलाल जी की मोटर भी तो कुछ देर रुक सकती थी, लेकिन फौरन ही वहां पर पहुंच जाय इसलिये हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की टांग टूट गयी और वह काबीना रैंक के मंत्री थे। तो मैं स्वामी प्रसाद जी जो वकील हैं से यह कहना चाहता हूं कि वह तथ्य को न भूलें कि आज हिन्दुस्तान में बड़े आदमियों की जान की कीमत इतनी बढ़ गयी है कि लाखों रुपया रोज उनकी सुरक्षा पर खर्च करते हैं और कहा जाता है जनहित में बताना उचित नहीं होगा। उसी का नतीजा है कि साधारण आदमी की जान की कीमत घटती जा रही है और अंग्रेज ने भी यह बात सोची नहीं कि अगर किसी सरकारी बस को कोई आग से जला रहा है तो उसे गोली मार दी जाय ? आखिर आप उन वजूहात को क्यों नहीं सोचते कि क्यों सरकारी सम्पत्ति को लोग नष्ट कर देते हैं ? उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अपने प्रदेश से होकर सीमान्तर सड़क बनायी जा रही है जो कि तीसरी प्लान की, डिफेंस प्लान की सड़क है। इसके बनाने में यहां के इंजीनियरों ने दूसरे लोगों ने इस तरह से धन को लुटाया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गोरखपुर डिवीजन में पिछली दफा मेरा सवाल था कि जब यह मामला खुला कि इस तरह से धन को लूट रहे हैं तो मैंने सवाल किया और लखनऊ से जो लोग इन्क्वायरी के लिये वहां गये थे जब उन्होंने कागजात पकड़े तो वहां पर उनको छोड़ आये जब कि लाखों रुपये गबन से वह सम्बन्धित थे। दूसरे आदमी लाये उस बन्डल को, कुछ क्लार्क्स लोग, जिसमें मास्टर रोल थे। स्टेशन पर जब वह आ रहे थे तो रास्ते में लुट गये और नतीजा यह हुआ कि वह कागजात गायब हो गये जोकि लाखों रुपये के गबन के कागजात थे। अब ऐसा कानून बना होता कि गोली न मारी जाती, हंटर ही लगवा देते, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा। उसी तरह से हमारे जो मंत्रिगण हैं—या इसके पहले एक अफसर का उदाहरण दे दूं।

यहां पर कृषिविभाग के अन्तर्गत एक प्लान्ट प्रोटेक्शन सेंन्टर है। उसके उप-निदेशक, प्यारे लाल चतुर्वेदी थे। पिछले साल उन्होंने ऐसी दवाएं जो फसल को बचाती हैं कीड़े-मकोड़ों से, या सूखा के समय दवाओं के खरीदने, मशीनरी के खरीदने में अगर करोड़ों का नहीं तो लाखों रुपयों की लूट की। अगर उसमें सचिवालय स्तर और जो उत्पादन कमिश्नर हैं ऐसे लोग शामिल न होते तो लाखों रुपये की लूट चल नहीं सकती थी। मैं रावत जी से कहूंगा कि कभी मुझे धन्यवाद भी दिया करें। मेरे इस विषय के उठाने से कम से कम इस प्रदेश का १० लाख रुपया बचा होगा। जो गायब था, वापस आया और कम से कम ४-५ हजार रुपया महीना की बचत हुई जो मोटरों के नाजायज इस्तेमाल से गड़बड़ी होती थी। अभी तक आप कुछ कर नहीं पाये हैं, खाली उनका स्थानान्तरण किया है। यह मामला अभी पड़ा हुआ है खटाई में कि गरीब आदमी की तो आप ऐसी बेदर्दी से जान ले रहे हैं, लेकिन जो सचमुच सम्पत्ति की बरबादी कर रहे हैं उनके लिये आपने क्या कानून बनाया है। क्या ये लोग इस लायक नहीं हैं कि इनमें से दो, एक को सड़क पर खड़ा कर के गोली मार दी जाय? अगर ऐसा किया होता तो आज हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन आप भी तो वही हैं। जिस तरह से मंत्री सरकारी बिजली का, सरकारी सामान का, सरकारी मोटर का इस्तेमाल करते हैं और जो उनके ऊपर खर्च होता अगर आप इस मामले को किसी एक्सपर्ट कमेटी के सिपुर्द कर दें--अभी इसी महीने में "नेशनल हेराल्ड" और "टाइम्स आफ इंडिया" में एक खबर छपी थी, उनके अपने अनुमान से करीब साढ़े ७ हजार रुपया खर्च होता है महीना भर में एक मंत्री पर। कागज पर तो हजार, बारह सौ रुपए ही तनख्वाह है लेकिन वैसे साढ़े ७ हजार रुपया महीने खर्च होता है उनके अनुमान से। लेकिन मेरे अनुमान से कम से कम एक हजार रुपया रोज खर्च होता है। इसका नतीजा क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय भंडार जो पहले से ही छोटा है आज उस राष्ट्रीय भंडार को बढ़ाने पर कोई सोच विचार नहीं कर रहा है, किसी को चिन्ता नहीं होती है। नतीजा यह है कि हमारा राष्ट्रीय भण्डार रात दिन छोटे से छोटा होता जा रहा है। जब सार्वजनिक सम्पत्ति से आपको कोई मोह नहीं होगा, आपके बड़े अफसरों को कोई मोह नहीं होगा तो साधारण जनता को कैसे हो सकता है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि आप सरकारी सम्पत्ति से मोह पैदा करें। आपके अपने निजी मकान में जरा सा खरोच होता है तो आपको दर्द होता है लेकिन सरकारी सम्पत्ति का जब दुरुपयोग होता है तो कोई दर्द नहीं होता क्योंकि आपकी निगाह में सरकारी सम्पत्ति की कोई कीमत नहीं है। अगर आपने ऐसे उदाहरण पेश किये होते कि सचमुच यह सम्पत्ति हमारी है तो शायद आज यह नौबत न आती।

दूसरा कारण जो है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस प्रदेश के तीन बदनसीब जिले हैं--मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा। सन् ४६, ४७, ४८, ४९ और ५० की हाउस की प्रोसीडिंग्स मंगा लें। तब यह सवाल उठता था कि गर्मियों में वहां पानी नहीं मिलता, पीने को भी पानी नहीं मिलता। और तब से २२ साल बीत गये लेकिन इस सरकार की यह हालत है कि उन जिलों को पानी नहीं दे पायी और हमेशा आरजी इन्तजाम किया जाता है कि जब लोग प्यास से व्याकुल होने लगते हैं तो वहां ट्रक और गाड़ियों से पानी लाया जाता है। लेकिन मुस्तकिल कोई इन्तजाम आज तक नहीं सोचा। आपकी यह आदत पड़ गयी है कि जब कोई समस्या खड़ी हो जाय तो किसी तरह से फौरी तौर से उससे छुटकारा पा लें, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकालते। नतीजा यह होता है कि हर साल वह समस्या बार-बार सिर उठाती है। तो ऐसी हालत में बांदा और इलाहाबाद के लोगों को गुस्सा आ जाय कि यह सरकार कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है इसलिये चलो हम प्रदर्शन करें और यह कानून अगर आपका बना है और वह थाने पर चले गये तो ये पुलिस अफसर आपके इशारे पर कि यह लोग आग लगा रहे थे यह झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। कभी-कभी हमको ताज्जुब होता है कि आखिर है यह क्या बात। [मान्यवर, जो दुनिया के बड़े-बड़े देश हैं उनमें ज्यों-ज्यों सम्पन्नता बढ़ी त्यों-त्यों वहां लोगों ने मांस खाना छोड़ा। हम बड़ी

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

दुर्दशा में हैं लेकिन साथ ही क्रूर इतने हो गये हैं कि शायद दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसके नागरिक इतने बुजदिल और क्रूर होंगे। कभी आमने-सामने नहीं लड़ते हैं लेकिन अगर कोई निहत्था मिल जाय तो इस देश के नागरिक और नेता दोनों उसको पीटते हैं और प्राण तक ले लेते हैं।

इसी तरह से मान्यवर इस प्रदेश के मुख्य मंत्री या देश के प्रधान मंत्री ने कभी ध्यान दिया कि जितनी जमीन पर खेती हो रही है उसका एक छोटा सा भी हिस्सा सिंचित है, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं? पिछली बार मैंने यहां बहस चलाई थी और मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री इस बहस में शामिल हों। आजादी के बाद इतने वर्षों में जिस रफ्तार से पानी दिया गया अगर यही रफ्तार रही तो १०० साल लग जायेंगे और आबादी थोड़े समय में तीन गुनी हो जायेगी। तो जो यह बीमारी है उसमें और इजाफा हो जायेगा और उस इजाफे के साथ लोगों में असन्तोष बढ़ेगा और आन्दोलन होंगे और जन शक्ति का उभार होगा और आप उस समय कुछ नहीं कर पायेंगे। आप कभी सोचते नहीं हैं। आपने क्या समझ रखा है कि मुख्य मंत्री बन गये तो क्या यही काम रह गया है कि अपनी पसन्द का आई० जी० हो जाय, अपनी पसन्द का मुख्य सचिव हो जाय और एक अफसर इस तरफ से उस तरफ चला जाय और दो अफसर उधर से इधर आ जायें और हमारे जो लोग हैं वे मंत्रि परिषद् में शामिल हो जायं, किसी को कोटा मिल जाय और किसी को परमिट मिल जाय। सरकार का तो मतलब मैं यह समझता हूं कि जो ज्वलन्त समस्यायें हैं उनका समाधान करें। यहां जितने मुख्य मंत्री हुए हैं मान्यवर, मैं सबको कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम अपने प्रदेश की सिंचाई की योजना को किस तरह से बनावें जिससे ६, ७, ८ सालों में पूरे प्रदेश को पानी मिल जाय और अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा? आन्दोलन होंगे। कभी थानों पर आन्दोलन होंगे, कभी सचिवालय के सामने आन्दोलन होंगे, कभी कचहरी के सामने आन्दोलन होंगे। उनके धरना होंगे, तब आप क्या करेंगे? आप कानून का सहारा लेंगे और लोगों की जान ले लेंगे क्या?

मैं खुद अपनी मिसाल देकर पूछना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि १२ जुलाई, १९६६ को उत्तर प्रदेश बन्द का नारा दिया। उस दिन हमारे दल और दूसरे दल के लोग चाहते थे कि बाराबंकी बाजार बन्द रहे। मुकम्मल हड़ताल हुई। हमारा जुलूस कचहरी होता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा बिना किसी सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये हुये। जब जुलूस रेलवे पुल के पास पहुंचा, कुछ लोग पुल पर चढ़ गये थे, उस समय बड़ी गर्मी थी। मैं बम्बे से पानी पीने लगा। इतने में इन्सपेक्टर और पुलिस के जो लोग थे वे छा गये और लाठी चार्ज किया। इसमें सैकड़ों आदमियों को चोटें आईं, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी किसी का सिर फटा, इस तरह से बहुत से आदमी मारे गये। वहां का यह आलम था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जुलूस शांतिपूर्ण था, किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई थी। लेकिन पुलिस वालों ने इस लाठी चार्ज के जुर्म जिसको उन्होंने किया था से बचने के लिए ट्यूब लाइटें तोड़ दीं और जिस तरह की कभी घटना नहीं हुई वह हमारे सिर मढ़ी गई और कहा गया कि इन्होंने ट्यूब लाइट तोड़ीं तब लाठी चार्ज किया। एक और मान्यवर, उदाहरण बताऊं। सन् १९६० में सोशलिस्ट पार्टी ने सिविल डिसओबिडिएन्स की लड़ाई छेड़ी और मैं कचहरी में था। २८ अप्रैल या २९ अप्रैल को मुझको कचहरी से पकड़ ले आये और उसके बाद पुलिस वाले रिपोर्ट क्या भेजते हैं कि फलां गांव में यह भाषण कर रहे थे कि नहर का कर मत दो, इसको यह कर दो उसको वह कर दो और जितनी हिंसा की शिकायतें हो सकती हैं उनको लगा कर कहा कि यह भाषण कर रहे थे और हमको जेल भेज दिया।

मान्यवर, उसके बाद जब यह मामला अदालत में गया तो जिस हाकिम तहसील के सामने यह मामला था जिस दिन हमारी पेशी हुई तो उसके यहां पूरे जिले की पुलिस इकट्ठी थी और उसके चेम्बर में थी। तो कभी मजिस्ट्रेट अपने चेम्बर में जाते थे तो कभी आपकी

तरह जो प्रेजाइडिंग आफिसर की कुर्सी थी उस पर बैठ जाते थे। तो हमने उसके यहां एक दरख्वास्त दी कि कम से कम इस न्यायालय की मर्यादा की ओर ध्यान दें आप बार-बार चले जाते हैं पुलिस वालों को सलाह देने के लिए फिर लौट आते हैं। आप कम से कम अदालत को तो अदालत बनाए रखें। तो चूंकि वह आमने सामने की बात हुई इसलिए उस कागज पर मजिस्ट्रेट ने एक आर्डर लिखा "कीप आन फाइल" और उस पर दस्तखत बना दिया और तारीख डाल दी। उसी आधार पर जब मैंने अपने मुकदमे के लिए ट्रांसफर अप्लीकेशन मूव की सेशन जज के यहां कि इस आदमी के यहां मुकदमा नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह इस तरह से पुलिस वालों के असर में काम करता है तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? जहां "कीप आन फाइल" लिखा था वहीं बढ़ा दिया "एलीगेशन्स फाल्स"। तो मैं कहना चाहता हूं कभी-कभी शर्म भी होनी चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र है और हम अपने देश में अपनी पुलिस से अपनी मजिस्ट्रेसी से इस तरह झूठ बुलवाते हैं और विशेष कर राजनीतिक विरोधियों को दबाने और कुचलने के लिए। कहां हमारा देश जायगा? उन्हीं अधिकारियों को यह ताकत दे रहे हैं कि वह जाकर अगर कहीं शक भी हो, न भी होगा तो मान्यवर, वह बना लेंगे और उसके बहाने से हिन्दुस्तान के गरीब लोगों पर गोली चला कर उनकी जान ले लेंग। वह अपनी मुसीबत से राहत के लिए आपके सामने आता है या कहीं प्रदर्शन या धरना करता है या अपनी गिरफ्तारी करवाता है और आप इस हथियार से लैस कर रहे हैं पुलिस वालों की और उनको मौका देंगे कि वह दनादन बगैर कुछ सोचे समझे उन पर गोली चलावें और उनकी जान ले लें। अगर किसी विद्यार्थी ने जो अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहा है और वह गुस्से में किसी सरकारी बस में आग लगा देता है तो उसमें यह सजा दे दी जायगी बजाय इसके कि उसकी जायज मांग को सुना जाय। आज हमारे नौजवान शिक्षित लोग इंजीनियर्स बेकार घूम रहे हैं लाखों और करोड़ों की तादाद में। अपने सूबे में ऐसे बेकारों की संख्या सभी की मिलाकर कम से कम एक करोड़ होगी। तो उनको आप काम नहीं दे सकते हो, रोजी नहीं दे सकते हो और कभी उसने प्रदर्शन किया और जुलूस में आवाज कर दी या किसी ने आपकी बस को जला दी तो आप उसकी जान ले लेंगे।

दूसरे देशों में देखें जो सभ्य देश हैं। १९५७ के आसपास की घटना है। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजन हावर ने यह फैसला लिया था कि हम जापान जायंगे। जापान के लोगों ने कहा कि हम जापान की धरती पर उतरने नहीं देंगे और अपनी सरकार पर वहां के लोगों ने दबाव डाला और इतना जबरदस्त आन्दोलन किया कि एक मंत्री को छुरा लगा था। परन्तु कहीं पर गोली नहीं चली। यह सभ्य देशों की मिसाल है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवायें कि अंग्रेजों ने कितनी गोलियां चलवाई हैं। उन्होंने भी इतनी गोलियां नहीं चलवाई होंगी जितनी कि इन २२ सालों में उससे कई गुना ज्यादा आपने गोलियां चलवाई हैं। कल ही सदन में क्या घटना घटित हो गई? क्या गलती थी शम्भूनाथ चौधरी की? उन्होंने एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था। बलिया का वाटर वर्क्स एकाएक फेल हो गया, उसने काम करना बन्द कर दिया। वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है वहां पर त्राहि-त्राहि मची है और जब माननीय सदस्य ने उसको दिया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको टर्न डाउन कर दिया।

श्री उप ध्यक्ष—

आप अपने विषय को लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस तरह की घटनायें हो रही हैं, इससे जाहिर है कि उन लोगों के लिये आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। इस सदन में यहां पर हम लोग सभ्य लोग बैठे हैं हम लोगों को इस कानून को बरदास्त नहीं करना चाहिये और इसको फेंक देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में जाय लेकिन इस कानून को किसी भी हालत में पास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कानून जन विरोधी है और इस प्रकार के कानून को अंग्रेजों ने भी कभी नहीं बनाया और ये लोग तो अंग्रेजों के भी दादा हो गये। अंग्रेजों ने कभी सिविल

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

नाफरमानी के खिलाफ जाब्ता फौजदारी का माल नहीं किया, लेकिन हमारे जो भाई हैं उन्होंने साढ़े चार महीने के लिये इस कानून में पकड़ कर बन्द रखा। उनसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं हो सकती है। ये शासक जो हैं वे देश व प्रदेश को सड़ा रहे हैं, जनता की मजबूरी को बढ़ा रहे हैं, जनता को गोली से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से अपील करता हूं कि जो प्रस्तुत विधेयक है और उसमें जो संशोधन दिये हैं उसको प्रवर समिति में भेजा जाय और जो हमारे विधान सभा के साथी हैं और उनसे पूरी आर्जी के साथ अपील करूंगा कि वह इस काले कानून को किसी हालत में पास न होने दें। जो कल्पनाथ जी का संशोधन है उसके पक्ष में हम सब मतदान करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवत: मैं न खड़ा होता परन्तु जो विधेयक में संशोधन आया है उसकी जो मूल भावना है उस भावना से किसी को विरोध नहीं हो सकता है। मूल भावना तो है कि जो सरकारी सम्पत्ति है, जो इस देश की सम्पत्ति है जो हमारे और आपके पसीने से बनी है, उस सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिये। लेकिन जो संशोधन माननीय कल्पनाथ जी ने रखा है कि उसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय मैं उसको स्वीकार करता हूं। जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने संकेत किया कि यदि विद्यार्थियों को असन्तोष हो जाय या फिर कर्मचारियों को असन्तोष हो जाय तो वे मोटर जला दें और कुछ कर दें इस बात से मैं असहमति प्रकट करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं कर पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि यदि किसी सम्पत्ति के क्षय के मुकाबिले मनुष्य का जीवन.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके लिये तो उसमें धारा ४२६ पहले से ही मौजूद है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं सुधार कर लूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भाषण का असर है, जो बात वह कह रहे थे, जिससे बड़ी विनम्रता से मैं असहमति प्रकट करता हूं। इससे ऐसा लगा कि जैसे हम इस बात का जस्टिफिकेशन कर रहे हों, किसी न किसी अंश में, चाहे १००वें अंश में ही सही, कि बड़ा गुस्सा आ गया और ऐसा कर दिया, तो फिर आप यह कानून बनाएंगे तो उचित न होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। जैसा जायसवाल जी ने कहा, आज हम अपनी सरकार कहते हैं और कहते हुए थोड़ा संकोच भी होता है, ब्रिटिशर्स की गोरी सरकार ने अपनी पूरी हुकूमत में इस देश के नागरिकों पर इतनी बार गोली नहीं चलायी जितनी बार अपनी इस काली सरकार ने चलायी। कानून का सदुपयोग या दुरुपयोग, यह सब तो करने वाले पर होता है। कभी जायसवाल जी भी उन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं। इसके अन्दर जो सन्देह है वह यह है कि जितनी अधिक ताकत सरकार के हाथ में देते चले जाएंगे उतनी ही दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ती जाएगी।

इसके दो हिस्से कर लीजिए। एक तो पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना। पुलिस तो आज भी, अगर कोई आग लगाए, कोई रेलगाड़ी में आग लगाता है तो अनलाफुल एसेम्बली डिक्लेयर करने के बाद गोली चला सकती है। परन्तु इस संशोधन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी को अगर आग लगाई जा रही है—जैसा दक्षिण में तेलंगाना आन्दोलन में देखा, देश की सम्पत्ति के प्रति शायद लोगों को मोह नहीं रहा, किसी और की चीज समझते हैं, हर जरा सी बात पर आग लगाने की बात करते हैं—तो कोई भी नागरिक उसे रोक सकता है और आवश्यकता हो तो उसे मार भी सकता है। इसीलिये इस संशोधन को लाने की शायद

आवश्यकता पड़ी। मैं फिर कहता हूं कि कानून जितने कम हो, अच्छा है। इससे सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत जाती है। लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है उसके अन्दर हमको सन्देह नहीं होना चाहिए। मूल भावना तो यही है कि देश की सम्पत्ति की रक्षा हो और जैसे सेल्फ-डिफेन्स में मैं गोली चला सकता हूं वैसे ही उस सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलाने का अधिकार रहेगा। लेकिन इस संशोधन का दुरुपयोग भी होगा। एक आदमी किसी से दुश्मनी रखता है और दुश्मनी के कारण किसी एक मौके पर गोली चला दी और डिफेन्स ले लिया कि यह व्यक्ति मालगोदाम के पास खड़ा था और दियासलाई जला रहा था, तो मैंने गोली चला दी। यह सारे डिफेन्स आज भी लिये जाते हैं कि मैंने तो मारा नहीं, यह घर पर आया था, छुरा निकाला, मैंने अपने को बचाने के लिए गोली मार दी। तो यह जो संशोधन आया है इसकी भावना का समर्थन करते हुए, परन्तु बड़ी तेजी के साथ हमारे द्वारा यह निकल न जाय---अब तो हम विधान परिषद् को भी समाप्त कर चुके, अव्वल तो वह लोग कुछ करते ही नहीं थे लेकिन अगर कोई बात पुनर्विचार की रहती थी वह भी अब नहीं रहेगी---इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। एक सप्ताह का समय वह मांगते हैं। एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जाय और विचार हो जाय। मैं केवल इसीलिए खड़ा हुआ कि इसके अन्दर हमारे दल की ओर से जो एक विचार है वह स्पष्ट रूप से आ जाय। जो देश की सम्पत्ति है हम उसकी रक्षा के लिए चाहेंगे कि सरकार के हाथ भी मजबूत हों। व्यक्ति भी उनकी रक्षा के लिये खड़ा हो लेकिन दुरुपयोग के लिये यदि प्रवर समिति में जायगा तो अवश्य संशोधन आ जायंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय जायसवाल जी के भाषण के कुछ अंश को सुना लेकिन उसको सुनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि यह विधेयक जो प्रस्तुत है जिसमें केवल एक धारा बढ़ाई जा रही है उससे कोई ऐसा बड़ा जनविरोधी विधान निर्मित किया जा रहा है कि जिससे साधारण जनता को बहुत बड़ी हानि हो जायगी। साथ ही उन्होंने इस सरकार के सम्बन्ध में जो कि जनतांत्रिक सरकार है, अथवा जनता के मत के आधार पर निर्मित हुई है उस सरकार के संबंध में भी शंका प्रकट की है। उनको आशंका है कि इस विधेयक को अधिनियम बनाने के बाद सरकार इसका कुछ दुरुपयोग करेगी अथवा सरकार के अधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे। यहीं तक वह सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े खेद की बात है वो यह कह रहे थे कि राजनैतिक विरोधी लोगों को मिटाने के लिये भी गोली चलाई जा सकती है और इसका इस्तेमाल किया जायेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कुछ राजनैतिक विरोधियों को किसी कानून में बन्द कर दिया गया, जनता की भावनाओं को प्रकट करने से रोका गया। जन भावनायें यदि कहीं जागृत होती हैं शासन के किसी कार्य के विरुद्ध तो उनको रोकने के लिये इसका इस्तेमाल होगा। मैं उनकी इस उक्ति को कि किसी काम को करने में यह भय हो कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और काम तो अच्छा है तो वह अच्छा काम भी नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिये अगर उनके घर की रक्षा के लिये बन्दूक रखना जरूरी है लेकिन केवल इतने भय से कि उससे कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है इसलिये वह उस रक्षा की चीज को भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से आज हमारे समाज में स्वतन्त्रता के नाम पर या स्वतन्त्रता के अधिकारों के नाम पर जनतन्त्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं जिनका दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव जो निकल रहा है इससे हम सभी लोग अच्छी तरह से अवगत हैं। राजनीतिक आंदोलन के नाम पर बसों को फूंका जायेगा, राजनीतिक आन्दोलन के नाम पर, या राजनीतिक झगड़े के नाम पर सार्वजनिक या शासन की सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि जो जनतंत्र के उपासक होंगे वे कभी भी और किसी भी शक्ल में भी इस बात के हामी नहीं हो सकते हैं। हम राजनीतिक आन्दोलन के नाम पर, किसी राजनीतिक लाभ के ऊपर अपनी ही सम्पत्ति में आग लगा लें, अपने ही राज्य को हानि पहुंचाएं।

[श्री महीलाल]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय जायसवाल साहब और उनका दल अपने को जनतंत्रीय नहीं मानता है, क्या उन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना मुनासिब समझता है कि देश में निरंकुशता बढ़ती जाय राजनीतिक अधिकारों के नाम पर और राष्ट्र को कमजोर करते जायं ? इससे जनता को शक्ति नहीं मिलेगी परन्तु कमजोर ही होगी । अगर जनतंत्र की प्रणाली कमजोर होगी और समाज में निरंकुशता बढ़ती जायेगी, उससे प्रदेश को ही नहीं अपितु राष्ट्र व समाज को भी हानि पहुंचेगी बल्कि जनता त्रस्त और दुखी होती जायेगी और ऐसे लोगों का जीवन भी संकट में पड़ जायेगा, जो जनतंत्रीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय जायसवाल जी विचारें और गंभीरतापूर्वक विचारें कि क्या वह इन चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं कि जिनसे हमारे राष्ट्र की संपत्ति, समाज की संपत्ति, जिसमें वे भी हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, उसको नष्ट किया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि जनता का असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, हल नहीं हो पाता है । क्या माननीय महीलाल जी बतायेंगे कि बांदा, मिर्जापुर और इलाहाबाद की प्यास बुझाने के लिये स्थायी रूप से आपने क्या किया है? दूसरे मैंने कहा था कि जिस रफ्तार से आप सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं, उससे खेतों को पानी देने में सौ साल लगेंगे तो क्या आपकी कोई योजना है कि ६-७ साल में सारी खेती को पानी मिल सकेगा और अगर उधर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इस प्रदेश में असंतोष बढ़ेगा ।

दूसरी बात जो मैं कह रहा था वह यह है कि यह जो आपके बड़े-बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वे धन का बहुत अपव्यय करते हैं, लाखों और करोड़ों रुपया वे बरबाद करते हैं जो एक बस या एक इमारत की कीमत से कहीं ज्यादा होता है । तो क्या उन लोगों के लिये गोली मारने वाली सजा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री महीलाल---

प्रसन्नता की बात है कि माननीय जायसवाल जी नेता हैं, परन्तु खेद इस बात का है कि समय हो या न हो, अवसर हो या न हो, कुछ बातें उनकी रटी रटाई हैं, जिनको वे हर मौके पर कहना उचित समझते हैं ।

(श्री रामप्यारे के खड़े होने पर)

माननीय राम प्यारे जी, जिस सरकार के आप समर्थक थे, उसी सरकार ने इसे विधान परिषद् से पास करवाया था और माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के शासन काल में ही यह छपा था । अधिकारी कुछ गलत काम करते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय महीलाल जी ने कहा कि गुप्ता जी के समय का बिल है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार भी उनकी पथगामिनी हो गई है ?

श्री महीलाल---

जो मुनासिब होगा उसको नामुनासिब नहीं कह सकते और जो नामुनासिब होगा उसको मुनासिब नहीं कह सकते ।

मैं यह कह रहा था कि ८ तारीख को जनरल बजट आने वाला है और माननीय जायसवाल जी को मौका है कि वे चाहे जिस विभाग की बात पांच दिन तक जो चाहें कहें, वे तो दस महीने तक अंग भी रह चुके हैं सरकार के । तो मैं यह कह रहा था कि क्या मौके बेमौके के कुछ रटी

हुई बातों को दोहराते रहना चाहिये कि अधिकारियों की मनमानी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, पक्षपात है, इसका दुरुपयोग होगा, केवल एक धारा है वही बढ़ाई जा रही है। वह भी सरकार नहीं बढ़ा रही है, भारतीय सरकार ने इसकी आवश्यकता की ओर इस शासन का ध्यान दिलाया है और संविधान के अनुकूल है, आवश्यक है इस सदन से उस धारा का पास होकर जाना जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं उन पर यह विश्वास रखता हूं कि उन्हें सहर्ष इसका समर्थन करना चाहिये था और इस बात के लिये कि इसकी आवश्यकता की ओर भारत सरकार का ध्यान गया इस पर बधाई देनी चाहिये थी कि जिस तरह समाज की सम्पत्ति लूटी जा रही है उसको रोकने के लिये प्रयास होना चाहिये, शक्ति देनी चाहिये ऐसे लोगों को जो राष्ट्रविरोधी कार्यों को रोकने में सहायक हो सकें। केवल शासन पर ही बोझ डाल दें तो शासक लोग बिना जनता के सहयोग के सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिये मुझे आशा है कि यह मानते हुए जानते हुए कि जनतंत्रीय सरकार है जनता के वोट के आधार पर चुनी गई है, फिर जनता के बीच में जाना है तो जन विरोधी आन्दोलनों का उन्हें ही ख्याल नहीं, शासक दल भी ख्याल है। जनता की तकलीफ का उन्हीं को अहसास नहीं है। जो शासक दल के लोग बैठे हैं वे जनता के प्रति उतने ही उत्तरदाई हैं। मुझे आशा है कि माननीय कल्पनाथसिंह जी अपने संशोधन को वापिस लेंगे और इसे बिना किसी विलम्ब के पास होने में सहायक होंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, यह बिल जो प्रस्तुत है और जिस पर प्रवर समिति के लिये माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने सशोधन प्रस्तुत किया है मैं यह समझता हूं कि इसको एक हफ्ते की अवधि रक्खी है, गहराई से विचार के लिये मंत्री जी भेज दें कि गुप्ता जी के जमाने का बिल है और किसी मिनिस्टर स्टेट साहब ने प्रवर समिति के लिये कहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। कहना मेरा यह है कि देश की आजादी के बाद इस डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र में हर शख्स हर स्फीअर में आजादी से फायदा उठाने की कोशिश की। एक बात निश्चित हो गई कि समाज के हर हिस्से में इलेक्शन का जो सिस्टम या प्रक्रिया चली चाहे वे ग्राम सभा क इलेक्शन हों, चाहे वे स्टूडेंट्स वर्ग के अन्दर इलेक्शन हों, उनसे हमारे समाज के कुछ लोगों की मुखालिफत एक दूसरे से ज्यादा चल पड़ी यानी पार्टीबन्दी और मुखालिफत की बातें ज्यादा चल पड़ीं। यह जरूर इसमें है कि आज अगर सारे लोगों को इस बात का अहसास हो जाय कि जो प्रापर्टी सरकार की है या सरकार की समझ कर हर शख्स की है जो टैक्सपेयर हैं, चाहे वह बस हो रेलवे हो चाहे वह सरकारी इमारत हो तो जो इस देश के हर टैक्सपेअर का बराबर हिस्सा उसमें है उसकी रक्षा करने का भी हर शख्स का फर्ज है और यह देखा गया है और कोशिश भी इस बातकी की जाती है कि आज देहातों के अन्दर ला ऐन्ड आर्डर कायम रखने के लिये डाकुओं से मुकाबिला करने के लिये गांव-गांव में डिफेंस सोसाइटी तब बनाने की कोशिश की जा रही है और वक्तनफवक्तन उनसे काम लिया गया है और उन्होंने काम भी किया है। ऐसी हालत में आजादी के बाद समाज के हर वर्ग ने अपने-अपने हकूक की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन कर्त्तव्यों की तरफ ध्यान थोड़ा दिया और उसकी बहुत सी बजूहात है जिसमें डिससैटिसफैक्शन भी है।

बावजूद तीन प्लानों में सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने के जनता में डिससैटिफैक्शन बढ़ा है। यह भी कहा जाता है कि हर विभाग ने इतनी-इतनी तरक्की की है। उस सबके होते हुए भी हर हिस्से में असंतोष दम ब दम बढ़ रहा है। आज बेरोजगारी के कारण तथा लोगों की आय इतनी कम होने के कारण कि वे अपने बाल बच्चों तक का पोषण नहीं कर सकते, तथा जो छात्र हैं उनमें भी यह विश्वास पैदा न होने के कारण कि कल को शिक्षा से निकल वे कुछ होने जा रहे हैं या नहीं, उन में संतोष नहीं होता और कभी उनका दिमाग बसों को तोड़ने की तरफ जाता है तो कभी रेलवे की जजीर खींचने की तरफ। आजादी के बाद जो यह उम्मीद थी कि

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

हम दूसरे मुल्कों से मदद लेकर समाज के हर क्षेत्र में कुछ सुधार करेंगे कुछ तरक्की करेंगे, वह चीज पूरी नहीं हो पाई और इसके कारण आज हम देखते हैं कि ला ऐन्ड आर्डर की हालत खराब है। जिस प्रकार हम अपनी निजी सम्पत्ति की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमें देश की सम्पत्ति की भी रक्षा करना चाहिये, वह हमारा फर्ज है, और उसके लिये जो यह विधेयक माननीय मन्त्री जी लाए हैं उसकी भावना बहुत अच्छी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस पर विचार ठण्डे दिल से करना चाहिये। चूंकि आजादी के बाद समाज के हर हिस्से में पार्टीबन्दी बढ़ गई है, मास्टरों में, गांव के प्रधानों में, शिक्षा संस्थाओं में, तथा हर तबके में पार्टीबन्दी बढ़ गई है, इस अमेन्डेड धारा का मिसयूज भी हो सकता है। इसलिये इस पर गहराई से और ठंडे दिल से हमें विचार करने की जरूरत है। अभी कहा गया कि यह माननीय सी० बी० गुप्ता के जमाने का बिल है, मैं चाहता हूं कि इसलिये भी इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मंत्री जी बड़े उदार हैं, एक हफ्ते का टाइम देकर वे इसको प्रवर समिति में भेजने के लिय मुझे आशा है वे राजी हो जायेंगे।

*श्री मैनेजरसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संशोधन देखने में बहुत ही सरल और आवश्यक प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। हमारी सत्तारूढ़ पार्टी के साथी माननीय महीलाल जी ने इसकी बड़ी अच्छी वकालत की। उनको सार्वजनिक सम्पत्ति के लिये बड़ा मोह है, हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि उसकी रक्षा हो। यहां यह भी कहा गया कि यह बिल उन्हीं के नेता के जमाने का पेश किया हुआ है। बात सच्ची है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया उनके तथा विरोध पक्ष में बैठे हुए माननीय साथियों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर नहीं है। यह सारे लोग एक ही जवाब दे रहे हैं और उस जवाब के द्वारा ही इन्होंने देश और प्रदेश में शासन किया है। इनके शासन करने का नजरिया एक ही रहा है। पिछले २२ साल में चाहे वह माननीय नेता सदन हों या हमारी दूसरी पार्टी के नेता हों इन सारे नेताओं ने मिलकर इस प्रदेश के शासन को बिगाड़ा है। दोनों पक्षों का एक ही नजरिया रहा है। इसी नजरिये को लेकर इन्होंने इस प्रदेश का शासन चलाया है। इनके ऊपर जनता का भरोसा है ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जन मानस आज बेचैन हो गया है और जनता के अन्दर एक बेचैनी पैदा हो गई है। एक असन्तोष फैल गया है उसको दूर करने के लिये आपने कौन सा कदम उठाया है। सरकार यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश की हालत वही हो जो आज बंगाल की है। वह दिन दूर नहीं है कि इस प्रदेश में भी वही हालत होगी और यहां पर अफसर लोग छिपकर आफिस में आयेंगे और मंत्री लोग भी कमरों के अन्दर छिपकर रहेंगे। ये छोटे मजदूर, किसान, चपरासी और छोटे बाबू शासन को अपने हाथ में लेंगे। और आपके ऊपर हकूमत करेंगे जैसा कि आज बंगाल में हो रहा है। बड़े शौक के साथ अतुल्य घोष वहां पर सवारी में चला करते थे और उनके पीछे ५० कारें चला करती थीं। आज हालत यह है कि अतुल्य घोष छुपकर चलते हैं। आज वहां पर बड़े-बड़े अफसर अदब के साथ आफिस में जाते हैं। कोई बड़ा अफसर आज वहां पर चपरासी और छोटे बाबू से नफरत नहीं करता है। आपके यहां हालत क्या है। आपके जितने चपरासी और सिपाही हैं उनको सारे अफसर आर्डर देते हैं। अफसरों को सरकार ने अय्याश बना दिया है। जिलाधीश और कप्तान जितने भी हैं वे सारे पुलिस के सिपाहियों से अपने बंगले की जमीन गुड़वाते हैं, खुदवाते हैं और खेती कराते हैं। आलू पैदा करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। सरकारी पानी, सरकारी चपरासी, सरकारी बीज, प्राप्त करके वे अपने बगलों में खेती कराते हैं। वे चपरासी, सिपाही, और मजदूर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर काम करते हैं। वह यह समझते हैं कि ये एस० पी० हमारा शोषण कर रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। तो एक जमाना आयेगा जब कोई रास्ता दिखायेगा और ये पुलिस अफसर और बड़े अफसर और बड़े नेता, जो देश को लूटते हैं अपने घरों में घुस जायेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की गोली और डण्डों से आप शासन नहीं रख सकेंगे। जब आपको विश्वास गोली पर है तो गोली से ही सत्ता से अलग हो जायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करें और सरकार के प्रति आशा पैदा करें। जब आशा और विश्वास पैदा होगा तब प्रदेश की गरीब जनता के लिये कोई रास्ता दिखाई देगा और तब आप जनता की तकलीफ दूर करेंगे। आप भारतीय दण्ड विधान में कितना ही संशोधन करें और गोली चलाने का कितना ही अधिकार प्राप्त करें आप शासन कायम नहीं रख सकेंगे। आप स्वयं के लिये यदि गोली का अधिकार लेना चाहते हैं तो स्वय भी गोली से ही सत्ता से अलग हो जायेंगे, आप बहुत ही खतरनाक बात बदल रहे हैं। आप पुलिस को यह अधिकार देना चाहते हैं कि यदि सम्पत्ति का नुकसान हो और रेल का नुकसान हो तो पुलिस गोली चला दे। इस अधिकार देने का मतलब यह है कि किसी पर भी वह गोली चला सकते हैं। माना की भारतीय क्रान्ति दल की आज सरकार है, उसके शासन में कहीं यदि बस जलाई जायेगी तो उनके आदमी बन्दूक लेकर आ जायेंगे और अपने विरोधियों को मारेंगे और कहेंगे कि हमने बसों की रक्षा के लिये बन्दूकें चलाई थीं। किन्तु फिर दूसरे दल के लोग आयेंगे तो क्या होगा? जब दूसरे दल की सरकार होगी, उसके आदमी आयेंगे और आपके आदमियों को मार डालेंगे और कहेंगे कि ये बसें जला रहे थे। तो इससे देश में अमन और चैन को खतरा पैदा हो जायेगा। चारो तरफ हिंसा का बोलबाला हो जायेगा और एक प्रकार का गृहयुद्ध शुरू हो जायगा। मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजना भी ठीक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार को इसको वापस लेना चाहिये। यदि आप केंद्रीय सरकार की राय पर करते हैं और इसलिये करते हैं कि मद्रास ने किया है, तो उत्तर प्रदेश पर आप कृपा किये रहिये। उत्तर प्रदेश को संभालने के लिये आप उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास करें। जनता के ऊपर यदि आप विश्वास करेंगे तो यहां पर शान्ति कायम रहेगी और बदअमनी नहीं फैलेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप जनता पर विश्वास करके गोली और डण्डा पर से विश्वास हटाकर जनतन्त्रात्मक प्रणाली को मजबूत बनायें।

(श्री कल्पनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह--

अभी तो बहुत लोग बोलने वाले थे, उनको आप बोलने दें।

कई सदस्य---

मुझे आप २---४ मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं अब समय नहीं है। आप ही बोलें।

*श्री कल्पनाथसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रस्ताव के पक्ष में अनेक भाषण सुने और विपक्ष में केवल एक श्री महीलाल का भाषण सुना और वह भी यह कहते हैं कि अच्छा ठीक है प्रस्ताव वापस ले लिया जाय। आधा भाषण तो वह कर गये हमारे पक्ष में, किन्तु जब मुख्य मंत्री जी आ गये तो उनको सुनाने के लिये उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन एक बात जरूर है आप देखें कोई भी भाषण उधर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मन्त्री जी की बगल में बैठे हुए इन लाल टोपी वालों से यह बात मालूम हुई कि गुप्ता जी के जमाने का यह है। किन्तु यदि आप पूरा भाषण मन्त्री जी का सुन

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

लिये होते तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होती। मन्त्री जी से मालूम हुआ कि यह सबसे पहले बंगाल से चला और शायद मैं उस समय रहा या नहीं रहा, लेकिन मेरा अन्दाज यह है कि आज के मन्त्री भी तब मन्त्री रहे होंगे। तो मैं यह नहीं जानता कि क्या स्थिति थी। सवाल यह है कि अगर हमारे मुख्य मन्त्री की बात थी तो आपकी राय क्या है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी राय बताइये ?

मैंने पहले ही कहा कि आज सारे समाज के अनुकूल जो भी संशोधन इस भारतीय दण्ड विधि संहिता में होना चाहिये, उसके अनुसार वह नहीं हो रहा है। इसका जवाब उधर से नहीं दिया गया। मैंने एक बार अखबार में यह भी पढ़ा कि कोई ला-कमीशन मुख्य मन्त्री जी ने मुकर्रर किया है। भगवान जाने उस ला-कमीशन को इसमें संशोधन का कुछ अधिकार है या नहीं है, इंडियन पेनल कोड में कोई संशोधन करने का इरादा है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन है तो यह उसमें, यह संशोधन करने का इरादा क्यों है ? केवल दिल्ली वालों को खुश करने के लिये। या बंगाल के मुख्य मन्त्री की नकल करने के लिये किया, क्या इरादा है ? मकसद साफ नहीं होता है आपका। आप किधर जाना चाहते हैं ?

माननीय मैनेजर सिंह ने कहा मैं उनका शुक्रगुजार हूं, बड़ी कृपा की कि उन्होंने इस बिल को पढ़ कर अपनी बात कहने की कोशिश की। कहा यह कि इसको वापस ले लिया जाय। एक राय उनकी है कि वापस ले लें। एक राय मन्त्री जी की है कि तुरन्त पास कर दिया जाय। एक राय एक सज्जन की है। वह कहते हैं कि मंशा की दृष्टि से यह ठीक है किन्तु इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या सरकारी पक्ष से प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव नहीं आता है ? अगर हमारे कह देने से सरकार के इरादे में गड़बड़ी पैदा होती है तो सरकार यह कह दे कि हम इसको प्रवर समिति में सुपुर्द कर रहे हैं, मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा। वह अपना संशोधन ले आयें। महीलाल जी की बात मान लेने में कोई ऐतराज नहीं है इस बात में, प्रवर समिति में सुपुर्द करने के बाद ले आएं ताकि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण जो हैं उनके आधार पर इसको निश्चित किया जाय। आज की मौजूदा हालत में, क्योंकि मैं यह भी समझता हूं कि जिस विधि का जिक्र माननीय रियासत हुसैन ने किया था उससे ज्यादा चोरी, डाके, कत्ल, रहजनी, सारे जुर्म माननीय मुख्य मन्त्री जी के काल में बढ़े। इसलिये उसमें भी अधिक संशोधन की आवश्यकता है। जुर्म इतने बढ़े हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो रहा है, दिन पर दिन। मुख्य मंत्री जी को हंसी आ रही है। फीगर मंगा लीजिये। आप फीगर के खेल के बड़े माहिर हैं। अगर हमारी राय गलत होगी तो आप हमको बता दीजियेगा मैं अपनी बात में सुधार कर लूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तब की और आज की परिस्थिति में अन्तर हुआ है। इसीलिये इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत है। कोई ऐसी बात होनी चाहिये जिससे हमारे मन के ऊपर जो यह बात उठी है, हम अपनी राय बदल दें। सभी माननीय सदस्यों ने, जितने लोग बोले, उनमें से केवल एक वाक्य महीलाल जी ने यह कहा कि हम वापस ले लें, बाकी सभी ने प्रवर समिति के संशोधन का समर्थन किया और एक स्वर से कहीं न कहीं इसमें अपनी शंका व्यक्त की। चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं इस लिए मन्त्री जी क्या चर्चा करू वह बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि उन की अपनी कोई राय नहीं। माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या चाहते हैं ? जितने माननीय सदस्य बोले हैं उनकी भावनाओं का आदर करना चाहते हैं अथवा अपनी जिस बात के लिये वह मशहूर हैं उसी पर अडिग रहना चाहते हैं ? मैं नहीं जानता, उधर के लोग जानें, कहने वाले लोग जानें। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर इस बिल की मंशा को देखा जाय और आज के समाज का सही विश्लेषण किया जाय और उन बातों की ओर देखा जाय जो माननीय जायसवाल या दूसरे लोगों ने कहीं, मान लें कि किसी तरह भी यह बिल पास हो जाय तो क्या हालत होगी जायसवाल जी के उस तक का किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब तो देता कि ऐसा नहीं हो सकता है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहते, इस सदन को आश्वस्त करते कि कभी भी इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने में नहीं होगा तो बात समझ में आती । अगर यह कह दिया जाय कि एक बस जली जा रही है और मैं वहीं खड़ा हूं। पुलिस की हालत सबको मालूम है। आज की पुलिस की हालत को देखकर मैंने यह जिक्र किया कि क्रिमनल प्रोसीजर ऐक्ट में या कहीं भी चेंज होना चाहिये तो मैं इसके बहुत सख्त मुखालिफ हूं। १०९ का वही तरीका इस्तेमाल किया जाय तो क्या होगा ? वही लाठी दियासलाई, टार्च लेकर कौन नहीं जाता । और अगर पुलिस के द्वारा १०९,११० का धंधा इस्तेमाल होना शुरू हो जाय तो जो कि उनसे स्वाभाविक है तब क्या होगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी के रहते डिमांस्ट्रेशन का तांता लगा रहना स्वाभाविक है। उस रास्ते स बस जा रही थी और कह दिया कि बस की पेट्रोल की टंकी में दियासलाई लगाई जा रही थी इसलिये गोली मार दी। लिहाजा चीज साफ होनी चाहिये। कोई उम्मीवार अपना प्रोसेशन निकालता है तो उसे डर लगने लगता है । जो अनुभव हुये हैं वह शंका हमको दूसरी ओर नही ले जाती। नई दिल्ली में भी एक प्रदर्शन हुआ और वहां क्या हुआ यह सभी को मालूम है । मेरा निवेदन है कि आज भी सदन में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके आसन से कहा जाता है कि नेता सदन तथा नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेता बैठ कर बातचीत कर लें, आप अपने कक्ष में उनको बुला लेते हैं और आम तौर पर वहां बातचीत करने पर शान्ति हो जाया करती है। १६ आने नहीं तो कुछ संजीदगी अवश्य आ जाती है । इसी दृष्टिकोण से मैंने यह प्रस्ताव रखा है और सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे क्योंकि एक सप्ताह की मियाद है, इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये। सवाल सिर्फ इस बात का है कि धारा १०३ के अन्तर्गत जो हमको अपनी जायदाद बचाने का अधिकार है उस जायदाद के बचाने में हम गोली चला सकते हैं और जो मुलजिम है उसे गोली से मार सकते हैं। हमारे जो माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह जी हैं उन्होंने प्रवर समिति में उपस्थित करने के लिये जो संशोधन पेश किया है उसके द्वारा इसके पारित होने में देरी हो जायेगी। अगर आप भारतीय दंड संहिता की धारा के क्लाज ४ तक सहमत हैं क्योंकि यह मानना पड़ेगा कि जब से सन् १८६० से आई०पी०सी० बना तब से प्रत्येक माननीय सदस्य धारा १०३ की उपधारा १–४ तक सहमत हैं जो दिक्कत प्राइवेट प्रापर्टी के सिलसिले में थी वही सरकारी प्रापर्टी में दिक्कत है। उसी हिसाब से भी सरकारी प्रापर्टी को बचाने का अधिकार है। मुझको अफसोस है, मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा ताकि कल अखबार में छप जाय। मा० सदस्य जो प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव लाये हैं वे पहले सरकार के सदस्य रह चुके हैं। जब पार्टी की मीटिंग में यह सवाल आया था तब उस वक्त हमारे माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ सिंह जी ने इसको स्वीकार किया था और यह सुझाव नहीं दिया कि यह प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति को जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने सतीत्व और अपने लीडर की आज्ञा का पालन किया है। उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग में यह पास हो गया कि इसको पेश करना है और उसके बाद हमने इसको विधान परिषद् में पेश किया और इस पर बहस दिन-भर चली तो जो हमारी प्रवर समिति को पेश करने वाले माननीय कल्पनाथ सिंह ने इसको स्वीकार कर लिया। विधान परिषद् के सदस्यों के सामने इस पर वाद-विवाद हो चुका तो अब इसका क्या औचित्य है कि इसको ७ दिन के लिये संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी मिनिस्टर रहे होते तो वे इसको पहले ही पास करा दिये होते लेकिन उन्हें इसे पेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और यह दण्ड संहिता पास होने में देरी हो गई और माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि उसमें कोई बहस की चीज नहीं थी। यह तो ठीक नहीं मालूम पड़ता कि इधर बैठे तो दो और दो चार होते हैं और उधर बैठे तो दो और दो २२ होते हैं। माननीय सदस्यों का एक मारेल होना चाहिये (व्यवधान) ।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस संशोधन की क्यों जरूरत हुई। श्री जायसवाल जी ने कहा कि १८६० से एक जमाना था उस वक्त कोई बदलाव नहीं हुआ। समाज की परिस्थितियां दिनोंदिन बदलती चली जाती हैं। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में जब कि विधान सभा होती थी तो माननीय सदस्य उपाध्यक्ष जी को कुर्सी से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे किन्तु आज की परिस्थिति ऐसी है। इसलिये हमें इसको पारित करने की जरूरत है। पब्लिक की जो भावनायें हैं वह हमेशा बदलती चली आ रही हैं और अगर कोई कानून बना और किसी ने उसका मिसयूज किया तो उसके लिये अदालत है। वहां उसकी सुनवाई होगी। अगर किसी ने किसी को गोली मार दी और उसने कहा कि गलत मारी तो वह साबित करेगा कि यह डकैती करने आये थे, तब मारी। गोली कैसे मारी अब इस बात को अदालत तय करेगी। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है तो उसके लिये एक प्रोसीजर है। प्राइवेट संपत्ति की तरह से राज्य संपत्ति को भी बचाने का, उसकी रक्षा करने का भी अधिकार होना चाहिये।

जब धारा १०३ में कोई प्राइवेट प्रापर्टी की रक्षा कर सकता है तो क्या सरकारी प्रापर्टी प्राइवेट प्रापर्टी के बराबर भी न समझी जाय। यही तो इसमें किया गया है। जब एक से चार तक की धारायें आपको स्वीकार हैं तो ५वां क्लाज भी स्वीकार होना चाहिये। जब इन्डिविजुअल को अपनी प्रापर्टी की रक्षा करने का अधिकार है तो सरकारी प्रापर्टी को बचाने का भी अधिकार होना चाहिये। वहां भी उसकी रक्षा के लिये किसी सरकारी आदमी या किसी प्राइवेट आदमी को गोली आदि चलाने का अधिकार होना चाहिये। अगर कोई अपने इस अधिकार का मिसयूज करेगा तो उसके लिये लीगल रेमेडी है लेकिन अभी से उसके बारे में ऐसी भावनायें पैदा करना, कि इस कानून का लोग नाजायज इस्तेमाल करेंगे, उचित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस क्लाज को ही न रखें। इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई कारण नहीं है। अगर माननीय कल्पनाथ सिंह जी की ही गवर्नमेंट होती तो इसको कभी का पास कर दिया होता। उस समय प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता न होती। उस समय कानून बहुत अच्छा होता। इसलिये मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को पास न होने दे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय दंडसंहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अधिनियम ४५, १८६० की धारा १०३ का संशोधन ऐक्ट ९, १८९० ऐक्ट ५१, १९५५ ऐक्ट ४ १९३९

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, भारतीय दंड संहिता की धारा १०३ में, खंड चौथा के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"पांचवां —अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा—

(क) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन अन्य निगम, के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो अथवा प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हो; या

(ख) किसी रेलवे को जैसा कि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० की धारा ३ के खंड (४) में परिभाषित है अथवा रेलवे स्टोर्स को जैसा कि रेलवे स्टोर्स (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट, १९५५ में परिभाषित है; या

(ग) किसी ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल को जैसा कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा २ के खंड (३३) में परिभाषित है, की गयी आरिष्ट ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०†

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह विधेयक इस उद्देश्य से लाया गया है कि हमारे प्रदेश में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार की उपहार सामग्री उपलब्ध होती है जिसको हम बाढ़पीड़ित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के लिये भेजत हैं ।

श्रीमन्, वह सामग्री जितनी यहां से भेजी जाती है वह उन दुखी लोगों को जिनको आवश्यकता है, पूरी नहीं पहुंच पाती और उसका बाजार में विक्रय होता है । उससे लोग बड़ा लाभ उठाते हैं । यह हमारे देश के लिये एक कलंक की बात है । आज कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जिससे इस प्रकार के अनियमित व्यापार करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके । ऐसे गलत लोगों को जो दुखी और पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली सामग्री को अर्थ लाभ के लिये उसका व्यापार करते हैं उसे रोका जाय । इसलिये यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है । यह विधान परिषद से पारित हो चुका है इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है । मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें ।

---

†१३ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उस पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ से ७, अनुसूची १ व २, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, 1970

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा दान संबंधी प्रयोजनों के लिये संपूर्ति की गयी वस्तुओं को अवैध रूप से कब्जे में रखने या उनका लेन-देन करने का प्रतिषेध करने और उनके लिये दण्ड की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

२—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "उपहार वस्तु" का तात्पर्य अनुसूची १ में निर्दिष्ट किसी ऐसी वस्तु से है, जो किसी सहायता संस्था द्वारा भारत सरकार को या राज्य सरकार को अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान की गई हो;

(ख) "सहायता संस्था" का तात्पर्य अनुसूची २ में निर्दिष्ट किसी सहायता संस्था से है; और

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

उपहार वस्तुओं को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखने या उनका लेन-देन करने के लिए दण्ड

३—यदि कोई व्यक्ति उचित कारण के बिना किसी उपहार वस्तु को ऐसे उपहार वस्तुओं को संपूर्ति, वितरण तथा अभिरक्षा से संबद्ध योजना के अनुपालन के अतिरिक्त अपने कब्जे में रखता है या उसका लेन-देन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक की हो सकती है अथवा अर्थ दण्ड का भागी होगा या दोनों दण्डों का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस बात की अनभिज्ञता को कि कोई वस्तु उपहार वस्तु है या नहीं, इस धारा के प्रयोजनों के लिये उचित कारण नहीं समझा जायगा ।

अपराध संज्ञेय होंगे और प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे

४—(१) कोई भी पुलिस आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा ।

जब्ती का आदेश देने का अधिकार

५—कोई न्यायालय जो धारा ६ के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार करे यह निदेश दे सकता है कि कोई संपत्ति जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध किया गया है, सरकार के प्रति जब्त कर ली जाये ।

कंपनियों द्वारा अपराध

६—(१) यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के नियम के अधीन दंडनीय अपराध करे तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय, कम्पनी का कारोबार चलाने के लिये, उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, और साथ ही वह कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात के कारण वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(२) यदि कोई कम्पनी ऐसा अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है तो उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी उक्त मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

अनुसूचियां संशोधित करने का अधिकार

७—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा—

(१) अनुसूची १ में कोई वस्तु बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई वस्तु निकाल सकती है;

(२) अनुसूची २ में कोई संस्था बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई संस्था निकाल सकती है,

और ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर ऐसी वस्तु या संस्था, यथास्थिति ऐसी अनुसूची में, सम्मिलित की गयी या उसमें से निकाली गई समझी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जायेगी और, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगी जो दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अनुसची

[धारा २ (क) तथा ७ देखिए]

१—मक्के का आटा (कार्न मील) ।

२—दूध का पाउडर ।

३—सोयाबीन का तेल, सुरजमुखी के बीज का तेल ।

अनुसची

[धारा २ (ख) तथा ७ देखिए]

३—यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फाण्ड (यू० एन० आई० सीं० ई० एफ०)

२—कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीह्वेयर (सी० ए० आर० ई०) ।

३—चर्च वर्ल्ड सर्विस ।

४—लूथरन वर्ल्ड रिलीफ ।

५—कैथोलिक रिलीफ सर्विस ।

६—यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन (वाई० एम० सी० ए०) ।

७—इन्टरनेशनल रेड क्रास ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से ७, अनुसूची १ व २, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंआपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक १९६९

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय,[1] मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९४७ का एक अधिनियम हमारे यहां है कि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़े तो मोटर गाड़ियों को रिक्वीजीशन कर सकती है अपने काम के लिए। अब उसमें दो तीन उद्देश्य लिखे गये हैं जिन कामों के लिए मोटर वहिकिल्स को ले सकते थे। वे इस प्रकार हैं---(मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं, बाद में हिन्दी में तर्जुमा कर दूंगा।)

"If in the opinion of thc State Government it is necessary and expedient to do so for the life of the community, or for maintaining public order, or for facility of public transport.....;

यानी गवर्नमेंट की राय में यह जरूरी है या मुनासिब है कि सामाजिक जीवन चलाने के लिए, पब्लिक आर्डर मेनटेन रखने के लिए, कायम रखने के लिए और कहीं अधिक सामान वगैरह भेजने के लिए, अगर गाड़ियों की जरूरत है तो वह नोटिस देगी गाड़ियों के मालिकों को और गाड़ियां ले लेगी। लेकिन अभी कुछ दिन हुये हमारे यहां सेना की ओर से यह दरख्वास्त आयी कि उनको इतनी गाड़ियां फलां जगह से फलां जगह तक सामान ढोने के लिये चाहिये। अब उन गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि रोडवेज उन गाड़ियों की सप्लाई नहीं कर सकती। तो प्राइवेट गाड़ी वालों की गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। लेकिन इस कानून में इस तरह की गुंजायश नहीं है कि उनसे गवर्नमेंट ले सके। और सेना का काम जरूरी होता है। उसमें देर नहीं हो सकती और रोडवेज इतनी गाड़ियां रख नहीं सकती। अगर आज नहीं हैं तो हो सकता है कि हम खरीद लें लेकिन वह गाड़ियां खाली खड़ी रहती हैं। इसलिये जब कभी असाधारण स्थिति हो जाय तो जैसे उन तीन जरूरतों के लिये गवर्नमेंट को अधिकार है प्राइवेट लोगों को नोटिस देकर गाड़ी लेने का उसी तरह से जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वह फार परपजेज आफ मिलिटरी डिफेन्स या सिविल डिफेन्स भी जोड़ दिया है। मोटा सा संशोधन यह है कि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी, इन कामों के लिये तब भी गाड़ियां ले सकती है।

दूसरा संशोधन मोटा सा यह है कि पहले ओनर को ही नोटिस दी जाती थी। लेकिन मान लो कि मालिक किसी वजह से नहीं मिला, तो जिस आदमी के कब्जे में वह गाड़ी हो उसको ओनर मानकर उसको भी नोटिस दे दिया जाय क्योंकि गाड़ी लेने का जो मकसद है वह खत्म हो जायगा अगर हमें गाड़ी दो महीने बाद मिली। एक ओनर जो मौजूद नहीं है या स्टेट के बाहर है तो जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा है, जिसके इफैक्टिव पजेशन में है उसको हम ओनर मान लेंगे और उसको नोटिस दे देंगे।

तीसरी बात यह है कि पहले जो उनको मुआविजा दिया जाता था उसकी एक फेहरिस्त बनी हुई है कि इस किस्म की गाड़ी होगी तो २० रुपये रोज और इस तरह की होगी तो २५ या ४० रुपये रोज। तो वह शेडयूल भी बदलने की जरूरत है और जिस तरह से एलेक्शन के वक्त हम गाड़ियां लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रेट तय करता है तो इसमें भी जिलाधिकारी को अधिकार देंगे कि वह जैसा उसके यहां रेट हो उस हिसाब से दर तय कर दें और उसी रेट पर उनको मुआविजा दिया जायगा उतने दिन का जितने दिन वह मिलिटरी या सिविल डिफेन्स परपजेज के लिये हमारे पास रहेंगी।

तो ये तीन मोटे से संशोधन हैं। मैं समझता हूं कोई बहस तलब बात नहीं है। हम तो कुछ करना नहीं चाहते थे लेकिन फौज की यह रिक्वायरमेंट थी और लेजिस्लेटिव कौंसिल से यह पास हो चुका है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपने दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित करने के लिये राजी हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, ४, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर २७, १९४७ ई०

संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० को आगे आए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलाएगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर २७, १९४७ की धारा ३ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

२—संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट, सन् १९४७ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

"३—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि भारत की रक्षा तथा नागरिक रक्षा सार्वजनिक सुरक्षा, दक्षतापूर्ण सैन्य संचालन या जनजीवन के लिए आवश्यक सेवाएं और संभरण बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कोई मोटर गाड़ी हस्तगत कर सकती है तथा ऐसी अग्रेतर आज्ञा दे सकती है जो उसे हस्तगत करने के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) हस्तगत करने का कार्य लिखित आज्ञा द्वारा किया जायगा जो उस व्यक्ति को संबोधित की जाएगी जिसे राज्य सरकार मोटर गाड़ी का मालिक समझे अथवा जिसके कब्जे या नियंत्रण में मोटर गाड़ी हो, और ऐसी आज्ञा उस व्यक्ति पर जिसे वह संबोधित हो, नियत रीति से तामील की जायेगी।

(३) यदि वह व्यक्ति जिस पर उपधारा (२) के अधीन आज्ञा तामील की जाय, आज्ञा में उल्लिखित प्राधिकारी को मोटर गाड़ी का कब्जा देने में असफल रहे या चूक करे तो ऐसा प्राधिकारी उस मोटर गाड़ी को किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे में उस समय वह गाड़ी हो, अभिगृहीत कर सकता है।

(४) यदि राज्य सरकार ने इस धारा के अधीन कोई गाड़ी हस्तगत की हो तो यह हस्तगत रहने की अवधि में राज्य सरकार के अधिकार में रहेगी और राज्य सरकार या तदर्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी उसका प्रयोग या संव्यवहार ऐसी रीति स कर सकता है जो उसे इष्टकर प्रतीत हो।"

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

धारा ४ के स्थान पर नई धारा का रक्खा जाना

"४—(१) जब कभी भी धारा ३ के अधीन कोई मोटर गाड़ी हस्तगत की जाय तो उसके मालिक को मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजे की धनराशि, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा ४-क के उपबन्धों को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी गाड़ी को भाड़े पर लेने के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी गाड़ी का मालिक जो इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की धनराशि से क्षुब्ध हो, मामला किसी मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर दिए जाने के लिए नियत समय के भीतर जिला मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे तो दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि हस्तगत करने के ठीक पूर्व, गाड़ी किसी हायर पर्चेज के मुआहिदे के अधीन हो तो हस्तगत करने के संबंध में कुल देय मुआवजे के रूप में इस उपधारा के अधीन निर्धारित धनराशि अवक्रेता (हायरर) और वित्त प्रबन्धक (फाइनेंशियर) के बीच ऐसी रीति से अविभाजित की जायेगी जिस प्रकार वे सहमत हों और सहमति न होने पर ऐसी रीति से अविभाजित की जायगी जैसा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ निश्चय करें।

(२) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हो।

(३) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

(४) इस धारा के अधीन मध्यस्थता से संबंधित सभी अन्य विषय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे और सिवाय ऐसे नियमों में की गई व्यवस्था के आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० की कोई बात इस पर लागू न होगी।"

४—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

अनुसूची का निकाला जाना

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से ४ तक, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपको नियम ५१ आदि की जो सूचनायें हैं वह बताऊंगा । माननीय अध्यक्ष ने जो स्वीकृत की हैं वह श्री रामगोपाल संड तथा श्री मोहनलाल कपूर ने परीक्षार्थी विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों पर परीक्षा भवन में और बाहर लाठी, छुरा तथा गोली से आक्रमण करके उन्हें कत्ल करने के बारे में तथा सर्वश्री भानु प्रताप सिंह (बरेली) तथा सुरेंद्र विक्रम ने बरेली की श्रीमती मुन्नीदेवी का जाटों द्वारा अपहरण के बारे में तथा श्री नित्यानन्द स्वामी का श्री खेमराज कुकरेजा की संदिग्ध मृत्यु के बारे में दिया है, इन सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । शेष जो सर्वश्री सुखपाल पांडेय, रामकरन सिंह तथा धनुषधारी पांडेय, कृष्ण स्वरूप वैश्य, राजेंद्र कुमार शर्मा, प्रेमनारायण अहरवार, डाक्टर भगवत दयाल, उमाकांत, विजय बहादुर सिंह, शम्भूनाथ चौधरी, अनन्तराम जायसवाल एवं श्याम लाल कनौजिया, रियासत हुसैन, श्यामसूरत उपाध्याय, रामपूजन पटेल तथा राजित राम पांडेय ने दिये हैं उनको माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

वक्तव्य के लिये कोई तिथि भी निर्धारित की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द स्वामी ने जो समय पूछा है तो श्री रामगोपाल संड की सूचना पर मंत्री जी कल १ मई, १९७० को वक्तव्य देंगे । शेष के बारे में बाद में सूचित कर दूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

कल मैंने नियम ५६ में बलिया की जलपूर्ति के बारे में एक प्रस्ताव दिया था तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ५१, ५२ में भी हो सकता है । जहां लोग पानी के बिना मर रहे हैं । आज जब नियम ५१ में दिया तो स्थगित कर दिया गया । तो हम लोग सदन में बैठकर क्या करेंगे । क्या आप चाहते हैं कि आप इंगित करें और निकाल दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि ५१ में दीजिये । तो मैं उस प्रसंग में तो आता नहीं हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आखिर इस सदन में जो कहते हैं उसकी कुछ कीमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनसे मिल लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तो ठीक है । इसके विरोध स्वरूप मैं आज खड़ा ही रहूंगा जब तक सदन चलता रहेगा नहीं बोलूंगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

एक मेरा ५१ में डाल्डा घी के बारे में था। बड़ा ब्लैक हो रहा है इलाहाबाद में। शादी ब्याह का मौसम है और मुख्य मंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

(श्री शम्भूनाथ चौधरी से) आप इतना नाराज क्यों हैं । मेरे कान पर जू क्यों रेंगाना चाहते हैं? (हंसी)

कब जब आप इतने परेशान थे तो स्वायत्त शासन मंत्री जी से मैंने बात की थी । उन्होंने यह बतलाया कि जब आप कल हाउस में तशरीफ लाये उसके पहले आपकी और उनकी बातचीत हुई थी । उन्होंने यह भी बतलाया कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से गवर्नमेंट को चिट्ठी आने वाली है। २७ तारीख को लिखा गया। जब चिट्ठी आ जायगी तो उस पर कार्यवाही करेंगे । अब इतना होने पर आपके नाराज होने की बात समझ में नहीं आती । आखिर गवर्नमेंट क्या करे । म्युनिसिपैलिटी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है । वह सुपरसीड नहीं हुई है। वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारी है । यह ठीक है कि कभी वह गलती करेंगे और कभी सही काम करेंगे । रोजाना गवर्नमेंट उनके काम में दखल दे यह बात अच्छी नहीं है । फिर भी हमारे वश में जो होगा हम मदद करेंगे लेकिन उनकी चिट्ठी तो आ जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हू । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पानी जैसी चीज की समस्या है और कल से माननीय शम्भूनाथ जी परेशान हैं । पानी से अधिक पतली चीज दुनिया में नहीं है। अगर माननीय चौधरी साहब अपने साधनों का अपने प्रभाव का प्रयोग करके यह समस्या हल करा दें तो यह उनकी उदारता ही नहीं होगी बल्कि उनके कर्त्तव्य का पालन भी होगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी —

२७ अप्रैल का लिखा है। लेटर नम्बर है सी / १०७।

श्री चरण सिंह—

मैंने तो अर्ज किया कि आपने अतीकुर्रहमान साहब से बात की है । अगर आप मेरे कमरे तक आने की तकलीफ करें तो मैं उन्हें बुला लूंगा और जितना मुमकिन हो सकेगा करने की कोशिश करूंगा ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

इसी तरह का हमारा सवाल था और वह गरमागरमी में चला गया। आपने दौरा किया था, हंडिया गए थे। हंडिया की हालत बहुत खराब है। जो आपके कर्मचारी हैं वह बहुत निडर हो गये हैं और अब उनको कोई परवाह नहीं है । वह तो जानते हैं कि असेम्बली में सब लड़ रहे हैं ।

श्री चरणसिंह—

मैं सोशलिस्ट पार्टी में जो सबसे ज्यादा बात मानने को तैयार हूं वह राजित राम जी की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ में कुल ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री रामगोपाल संड तथा श्री मोहन लाल कपूर ने परीक्षार्थी विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों पर परीक्षा भवन में और बाहर लाठी छुरे तथा गोली से आक्रमण करके उन्हें कत्ल करने के बारे में। सर्वश्री भानु प्रताप सिंह, बरेली तथा सुरेंद्र विक्रम ने बरेली की श्रीमती मुन्नी देवी का जाटों द्वारा अपहरण के बारे में तथा श्री नित्यानन्द स्वामी ने श्री खेमराज कुकरेजा की संदिग्ध मृत्यु के बारे में दिया है। इन सूचनाओं को अध्यक्ष महोदय ने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री रामगोपाल संड की सूचना पर माननीय मंत्री कल दिनांक १-५-१९७० को वक्तव्य देंगे, शेष सूचनायें अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं की हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको आप दे दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उसको मैंने कल दिया है।

पिछले सत्र में इस सदन में यह प्रश्न उठा था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो शैक्षिक क्षेत्र हैं वह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिये जायेंगे लेकिन वह मामला अभी खटाई में पड़ा है और बच्चे हड़ताल पर हैं। इस तरह से उनका भी समय बर्बाद हो रहा है और उनके अभिभावकों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कुछ कहा ? था आप कल पूछिएगा।

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष जी मैंने २८ तारीख को नियम ५६ में दिया था और फिर नियम ५२ में दिया जो दिल्ली में हम लोगों के साथ अवांछनीय काम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी नोटिस आपको मिलेगी। वह सम्बद्ध मंत्री के पास तिथि निश्चित करने के लिये गया है। उसमें आतुर होने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा लगता है कि कार्यसूची की २७वी मद के संबंध में जितने माननीय सदस्यों ने नोटिस दी हैं इस पर बोलने के लिए कोई नहीं है इसलिये मुख्य मत्री जी इसका जवाब दें।

मुख्य मंत्री जी कैसे जवाब दें जब तक आप लोग न बोलें। इसमें इतने माननीय सदस्य हैं श्री बसंतलाल शर्मा, श्री मोतीलाल यादव, श्री मैनेजर सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री सुरेंद्र विक्रम श्री कन्हैयालाल सोनकर, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री प्यारे लाल। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं ? (कुछ रुक कर) तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० अप्रैल, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	१ नवम्बर, १९६९ से १ जनवरी, १९७० तक प्रदेश के मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा उप मंत्रियों ने किन-किन स्थानों का दौरा किया	१ नवम्बर, १९६९ से १० जनवरी, १९७० तक किये गये दौरों पर अलग-अलग कुल व्यय	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
			रु०	
१—	श्री चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री	आगरा, दिल्ली, नजीबाबाद, अलीगढ़, सीतापुर, बरेली, पलिया कलां, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, अकबरपुर, जलालपुर, दिल्ली, ग्वालियर, भिन्ड, कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, कानपुर, हरिद्वार, मसूरी, मुनी की रेती, पौड़ी तथा नजीबाबाद।	१,३७२.८६	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी।
२—	चौधरी गिरधारी लाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।	हरिद्वार, रिषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, टांडा, शाहाबाद, टांडा, रामपुर, कानपुर, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, देहरादून, कानपुर, (२ बार), हरिद्वार, ऋषिकेश, धामपुर, कालागढ़, ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश तथा हरिद्वार।	२,६८६.८९	,,
३—	श्री मंगला प्रसाद, स्वायत्त शासन मन्त्री।	नई दिल्ली, गोरखपुर, अमौसी, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, कानपुर, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद तथा इलाहाबाद।	१,७२७.६६	,,
४—	श्री चतुर्भुज शर्मा, राजस्व मंत्री	कानपुर, शिकोहाबाद, दिल्ली, कानपुर, रागौल, राठ, उरई, उन्नाव, हल्द्वानी, कानपुर तथा दिल्ली।	१,०७८.५६	,,
५—	डा० सीताराम, कृषि मन्त्री	अमौसी, बख्शी का तालाब, रायबरेली, तथा सरोजिनीनगर।	१२४.००	,,

१	२	३	४	५
			रु०	
६—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, उद्योग तथा परिवहन मंत्री		दिल्ली, जिला बाराबंकी, जिला देहरादून, दिल्ली, जिला फैजाबाद, जिला सहारनपुर. देहरादून, जिला वाराणसी, मिर्जापुर, वाराणसी, जिला सहारनपुर, जिला देहरादून, जिला देहरादून, आगरा, अहमदाबाद, आगरा, जिला सहारनपुर, जिला देहरादून।	१,११८.१०	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी।
७—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, वित्त मंत्री		मुरादाबाद, सरोजिनी नगर, दिल्ली, मथुरा, बरेली, भोजीपुरा, फतेगढ़, कानपुर, मथुरा, आगरा, अमौसी, आगरा, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अमौसी, दिल्ली, मथुरा, दिल्ली, आगरा, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, मथुरा, टूंडला, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बाम्बे, पूना, चिनहट तथा दिल्ली।	४,१३१.०८	,,
८—डा० रामजीलाल सहायक, शिक्षा मंत्री		जिला मेरठ, चडीगढ़, वाराणसी, हरदोई, झांसी, हल्द्वानी, काशीपुर, नैनीताल (जिला), जिला मेरठ, चन्द्रावल, अमौसी, आगरा, मथुरा, अहमदाबाद, दिल्ली तथा कानपुर।	२,९०८.२७	,,
९—श्री लक्ष्मीशंकर यादव, सहकारिता मन्त्री		हमीरपुर, महोबा, उरई, मोठ, झांसी, मऊरानीपुर, झांसी, फतेहगढ़, गोरखपुर, बछरावां, कानपुर, गोरखपुर, कसिया, देवरिया, गोरखपुर, शाहगंज, तथा जौनपुर।	१,०९०.१६	
१०—श्रीमती विद्यावती राठौर, समाज कल्याण मंत्री।		दिल्ली, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद, आबूरोड, अजमेर, दिल्ली, कानपुर, गंजरियाफार्म, कानपुर, हरदोई, इलाहाबाद, तथा दिल्ली।	१,४५३.९५	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी।
११—श्री स्वामी प्रसाद सिंह, न्याय मंत्री		बस्ती, नैनीताल, हमीरपुर, फतेहगढ़, एटा, कानपुर, सीतापुर, दिल्ली।	१,०४९.३०	

१	२	३	४	५
			रु०	
१२—श्री नारायण-दत्त तिवारी, नियोजन एवं श्रम, मन्त्री		दिल्ली, कानपुर, दिल्ली, रामपुर, पंत-नगर, भीमताल, कीछा, पीलीभीत, दिल्ली (२ बार), हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद गाजियाबाद, तथा दिल्ली ।	१,६१८.७२	
१३—श्री कृष्णानन्द राय, स्वास्थ्य मंत्री		दिल्ली, बुलन्दशहर, अमौसी, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, झांसी, दिल्ली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, जलाल-पुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, आगरा, अहमदाबाद ।	९४३.९२	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी ।
१४—श्री अतीकु-र्रहमान, स्वायत्त शासन मन्त्री ।		देवा, बाराबंकी, हाथरस, बरेली, दिल्ली नगीना, मुरादाबाद, नगीना, सहारन-पुर, दिल्ली तथा नगीना ।	९६१.१०	
१५—श्री अजित प्रताप सिह, जेल तथा नागरिक सुरक्षा मन्त्री ।		कानपुर, बाराबंकी, अमौसी, प्रतापगढ़, कमालपुर, कानपुर (२ बार) तथा प्रतापगढ़ ।	३७९.६६	
१६—श्री कैलाश प्रकाश, नियोजन और श्रम मंत्री		मेरठ, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, पीलीभीत, कानपुर, झांसी, आगरा, आगरा तथा अहमदाबाद ।	१,०३०.१३	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी ।
१७—श्री दाऊ दयाल खन्ना, खाद्य मंत्री ।		मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, देहरादून, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद तथा राजकोट ।	१,६०६.७१	..
१८—श्री बंशीधर मिश्र, वन मंत्री ।		लखीमपुर, सीतापुर, लखीमपुर, शाह-जहांपुर, कानपुर, लखीमपुर, आगरा, लखीमपुर तथा अहमदाबाद ।	१,१०७.७९	..
१९—श्री मुनेश्वर दत्त उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्री।		पंतनगर, बाराबंकी, गोंडा, हवड़ा, प्रतापगढ़, आगरा, अहमदाबाद तथा कानपुर ।	१,५२९.७०	..
२०—श्री आनन्द सिंह, कृषि मंत्री ।		अमौसी, मनकापुर, फैजाबाद, नवाबगंज, मनकापुर, गोंडा, बलरामपुर, मनकापुर गोंडा, मनकापुर, गोंडा, मनकापुर, मनकापुर, आगरा, दिल्ली तथा अहमदाबाद ।	१,२१४.५५	..
२१—श्रीमती कुदसिया बेगम, समाज कल्याण मंत्री ।		संडीला, कानपुर, कुरमा, सरायहरी, भटौली, पथरौली, बहसार, गौसगंज, आगरा, अहमदाबाद तथा दिल्ली ।	६५२.४७	..

१	२	३	४	५
		राज्य मंत्री	रु०	
२२—श्री शिव प्रसाद गुप्त, राज्य मंत्री, विद्युत् तथा सहकारिता ।	आगरा, अलीगढ़, नई दिल्ली, मेरठ तथा अहमदाबाद ।		१३१८.४१	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी ।
२३—श्री बंशीधर पान्डे, राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज ।	भदोही, बरेली, पहाड़पुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी, मुगलसराय, बवरी, चकिया, बेरवा, पहाड़पुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, वाराबंकी, आगरा, अहमदाबाद कानपुर ।		८९२,३८	..
२४—श्री राम कुमार शास्त्री, राज्य मंत्री, राजस्व ।	फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, एटावा, सेमरी, बढ़नी, बानगगा, बांसी, खलीलाबाद, गोरखपुर, वासगांव अखावाजार, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, इटावा, फैजाबाद, बस्ती । खेसरहा, बासी, नौगढ़, मुडेली, लोटन, इटावा, सेमरी, बढ़नी, बलरामपुर, गोंडा, आगरा, इंतमादपुर, आगरा, मथुरा, बृन्दाबन, आगरा । अहमदाबाद, द्वारका, ओखा, द्वारका, भेट, अहमदाबाद, दिल्ली, गोविन्दपुरी, मेरठ, हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, खुरजा, तथा हापुर ।		१३०८.९०	..
२५—श्री जे० एन० सिन्हा, राज्य मंत्री	इलाहाबाद, रुड़की, सहारनपुर, रूड़की, मेरठ, भमानी, मेरठ, गाजियाबाद, फैजाबाद, सिकन्दरपुर, बेबर, इटावा, गाजियाबाद, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार, रुड़की, बहादराबाद, शेखपुरा, सहारनपुर, हरिद्वार, आगरा, अहमदाबाद, तथा दिल्ली ।		१८५३,७९	..
२६—श्री विजय कुमार त्रिपाठी, राज्य मन्त्री, गृह ।	सिसेन्डी, अमौसी, मोहनलालगज, सिसेन्डी, सरोजिनीनगर, इटौंजा, तेलीबाग, सिसेन्डी, निरन्ता, कानपुर, सिसेन्डी, मोहनलालगंज, सिसेन्डी, हरदोई, मौरावां, बिजनौर, पिपरौली, बिजनौर, माती, आगरा, दिल्ली (दिल्ली, अहमदाबाद से वापस लखनऊ) तथा मोहनलालगंज ।		१,०७६.३८	..

१	२	३	४	५
			रु०	
२७—श्री शिव प्रसाद सिंह, राज्य मन्त्री, न्याय ।		सीतापुर, शाहजहांपुर, बछरावां, उरई, उन्नाव, फैजाबाद, फतेहपुर, बाराबंकी, आगरा, बलरामपुर तथा अहमदाबाद ।	१,७७८.९१	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी ।
२८—श्री कल्पनाथ सिंह, राज्य मंत्री, सिंचाई ।		देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, दिल्ली, सुमिरनपुर, बेरिया, बलिया, मऊ, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, दोहरीघाट, बड़हलगंज, मीटी, गोरखपुर, गाजीपुर, सैदाद, वाराणसी तथा कानपुर एवं अहमदाबाद ।	१,५२५.३४	,,
२९—श्री मुमताज मोहम्मद खां, राज्य मन्त्री, गन्ना विकास ।		सीतापुर, बुलन्दशहर, भरकौन, खुर्जा, हापुड़, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, भरकौन, बुलन्दशहर, दिल्ली, भरकौन, बुलन्दशहर, सीतापुर, कुकरा, बुलन्दशहर, (बुलन्दशहर, आगरा, अहमदाबाद, आगरा एवं बुलन्दशहर), भरकौन, बुलन्दशहर, हसनपुर, अमरोहा तथा संभल ।	१,९३३.७१	,,
३०—श्री बृजराज सिंह, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन ।		कानपुर, हमीरपुर, राठ, महोबा, मौदहा, इन्चौली, बांदा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, इन्चौली, बांदा, अहमदाबाद, फतेहपुर तथा कानपुर ।	१,०५७,४५	,,
३१—श्री धर्मवीर, राज्य मन्त्री, परिवहन ।		कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, इलाहाबाद, टूंडला, आगरा (आगरा, अहमदाबाद, आगरा), इलाहाबाद, इलाहाबाद ।	५९२,५६	,,
३२—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्य मंत्री, गृह एवं सूचना ।		राय बरेली, राय बरेली, गुरबक्स गंज, गौरीगंज, रायबरेली रायबरेली, हरचंदपुर, रायबरेली, डलमऊ, रसूलपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, पिपरी, जौनपुर, हसनपुर, रायबरेली, आगरा (आगरा से अहमदाबाद तथा वापस आगरा), बाराबंकी, राय बरेली, सलोन तथा मोहनलालगंज ।	१,८८०,९८	,,

उप मंत्री

		रु०	
३३—श्री कृष्ण सिंह, उप मन्त्री, वन।	देहरादून, टेहरी, उत्तर काशी, धरासू, पुरौलौ, डूमता, देहरादून, आगरा, (आगरा से अहमदाबाद तथा वापस), दिल्ली, देहरादून, टेहरी तथा देहरादून।	३५१.३७	अहमदाबाद की यात्रा, निजी यात्रा थी।
३४—श्री अब्दुल सलाम शाह, उप मन्त्री, खाद्य।	कायमगंज, कन्नौज, फतेहगढ़, छिबरामऊ, कानपुर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, रायपुर, कायमगंज, (कायमगंज से आगरा, अहमदाबाद, अछैरा तथा कायमगंज) तथा फतेहगढ़।	४८२.४३	,,
३५—श्री बसन्तलाल शर्मा, उप मन्त्री, आबकारी तथा सांस्कृतिक कार्य।	बहराइच, नानपारा, कानपुर, नानपारा, बहराइच, कानपुर, अहमदाबाद।	२७१.००	,,
३६—श्री डूंगर सिंह विष्ट, उप मन्त्री, खाद्य तथा रसद।	नैनीताल, भोवाली, भीमताल, नौकुन्डीताल, टनकपुर, हल्दवानी, सीतागंज, नैनीताल, पहाड़पानी, लालकुवां, मझेरा, काठगोदाम, हल्द्वानी, पीलीभीत, नैनीताल, मझौला, हल्द्वानी, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी (आगरा, अहमदाबाद से वापस आगरा)।	९३०.३०	,,
३७—श्रीमती सिया दुलारी, उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण।	करवी, चित्रकूट, नारकुन्डी, मनिकपुर, राजापुर, मीनी, रायपुर, मऊ, करवी, इलाहाबाद, बहराइच।	३१४.५०	
३८—श्री निहाल सिंह, उप मन्त्री, राजस्व।	भदोही, सेवापुरी, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, (लखनऊ से आगरा तथा अहमदाबाद तथा वापसी)।	२६९.०९	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी।
३९—श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडे, उप मन्त्री, नियोजन।	बस्ती, उस्का बाजार, बस्ती, आगरा, (आगरा से अहमदाबाद तथा वापस)।	८५.४७	,,
४०—श्री बलराम सिंह, उप मन्त्री, वित्त।	इटावा, कानपुर, अहमदाबाद, तथा इटावा।	१९४.०३	,,

१	२	३	४	५
४१—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, उप मन्त्री, उद्योग ।	देहरादून, लक्सर, हरद्वार, कोटद्वारा, नजीबाबाद, दोगड्डा, द्वारीखाल, कोटद्वारा, दिल्ली, मथुरा, आगरा (मथुरा से अहमदाबाद तथा लखनऊ वापसी) कोटद्वार, सैंडीखाल, बरखाट तथा नजीबाबाद ।	३०८.३३	अहमदाबाद की यात्रा निजी यात्रा थी
४२—श्रीमती इन्द्र मोहिनी, उप मंत्री, विद्युत तथा सूचना ।	दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, चन्दौसी, सहसपुर, सनई, बुन्दरकी, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद , मुरादाबाद तथा सहसपुर ।	२६५.५५	,,
४३—श्री प्रभाकर त्रिपाठी, उप मन्त्री, श्रम ।	कानपुर (५ बार), आगरा, (आगरा से अहमदाबाद तथा वापस आगरा) तथा कानपुर (२ बार) ।	४०८.१२	,,
४४—श्री राम विलास पान्डे, उप मंत्री, कृषि ।	आजमगढ़, घोसी, शाहगंज, आजमगढ़, दोहरीघाट, घोसी, मऊ, आगरा, तथा अहमदाबाद ।	१४८.५१	,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछली दो फेजेज में प्रत्येक रेंज में निम्नांकित पुलिस पर्सन बढ़ाये गये थे ।

रेंज	सब इन्स्पेक्टर	हेड कानि०	कानि०
मेरठ	५७	५९	४७५
वाराणसी	२	१९	१९३
लखनऊ	१०७	७४	६९०
कानपुर	९९	१५५	१०४३
बरेली	४६	३६	१८५
आगरा	७५	१२५	८३३
गोरखपुर ..	२०	३७	३९७
हिल (नैनीताल) ..	५	२	०
योग ..	४११	५०७	३८१६

थाने एवं पुलिस चौकियों के पुर्नसंगठन के बारे में तृतीय और अन्तिम चरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और इसके लिए १९७०-७१ के वित्तीय वर्ष में १२१ सब इन्स्पेक्टर, १८० हेड कानिस्टिबिल और १५७२ कानिस्टिबिल के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

रेंज	सब इन्स्पेक्टर	हेड कानि०	कानि०
मेरठ	५०	६२	५२१
वाराणसी	२७	५७	४६०
गोरखपुर	२	१८	२५७
बरेली	५२	३६	२२८
लखनऊ	०	१	४७
कानपुर	५	६	५९
योग ..	*१३६	१८०	१५७२

*उपरोक्त १३६ सब-इन्स्पेक्टरों की आवश्यकता में से १५ सब इन्स्पेक्टर लखनऊ रेंज से उपलब्ध किये जायेंगे जहां वे अधिक हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५२ पर)

पारित प्रस्ताव दिनांक ३०-३-६९

बलिया चौक में आयोजित सर्वदलीय सार्वजनिक सभा विगत २३ मार्च को स्थानीय मीना पैलेस के पास एक फौजी जवान पर कोतवाली पुलिस द्वारा किये गये अमानुषिक व्यवहार पर घोर क्षोभ प्रगट करती है सभा की दृष्टि में उस निर्दोश फौजी जवान पर निर्दयता पूर्वक किये गये प्रहार और उस पर फर्जी ढंग से लगाया गया आरोप पुलिस के लिए कलंक है।

सभा मांग करती है कि घटना के उत्तरदायी पुलिस अधिकारी अविलम्ब मुअत्तल हो और राज्य सरकार उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित करें।

सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, मैनेजर सिंह, रामनगीना सिंह, जगन्नाथ शास्त्री निर्भय नारायण सिंह, विधायकगण, बलिया द्वारा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को भेजे गये तार दिनांक ६-३-६९ की प्रतिलिपि

निर्दोष फौजी जवान हरिशंकर को २३ मार्च को पीटने के कारण २ अप्रैल को नगर में पूर्ण हड़ताल थी सभा ने मांग की कोतवाली एस० पी० और सम्बन्धित थानेदारों का शीघ्रताशीघ्र स्थानान्तरण किया जाय।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ उत्तर पीछे पृष्ठ ७५५ पर)

जिला गोरखपुर के पिपराइच थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से ३० दिसम्बर, १९६९ तक डकैती, चोरी तथा हत्या की घटनाओं के बारे में सूचना

	घटनाओं की संख्या	जिनमें जांच की गई	जिनमें चांच नहीं की गई	जो चलान किए गए	जो नया-यालय में विचा राधीन	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	जिनमें जांच जारी है
डकैती	३	३	..	३	३	..	..
हत्या	२	२	..	१	१	..	१
चोरी	२३	१७	६	५	५	१२	..

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

जौनपुर जिले में १ जनवरी, १९७० से ११ जनवरी, १९७० की अवधि में ५ डकैतियां पड़ने की सचना विभिन्न थानों पर प्राप्त हुईं जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है।

क्र०-सं०	थाना	घटना का दिनांक	व्यक्ति का नाम और पता जिसके यहां डकैती पड़ी ।
१—	बदलापुर	२/३–१–७०	श्री शिव शंकर, पुत्र बलदेव तिवारी, सा० छंगापुर ।
२—	बदलापुर	२/३–१–७०	श्री हरी लाल, पुत्र महावीर, सा० लेदुवां
३—	जफ्राबाद	५/६–१–७०	श्री महादेव, पुत्र ठाकुर प्रसाद, सा० बादशाहपुर ।
४—	सरपतहा	८/९–१–७०	श्री राम कृपाल, पुत्र बुद्धू दुबे, सा० अमावां कलां ।
५—	खुटहन	९/१०–१–७०	श्री राम किसन, पुत्र महादेव हलवाई, सा० थसौर ।

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६४ पर)

तालिका

१ जनवरी, १९६९ से १५ मार्च, १९७० तक की अवधि में थाना बक्सा, थाना सिकरारा व थाना जफराबाद, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डकैतियों एवम् कत्ल तथा उसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण---

नाम थाना	अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें चालान किया गया	जो लापता रहे अंतिम रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियुक्तों की संख्या जिनका चालान किया गया	
बक्सा	डकैती	२	—	—	दोनों में जांच हो रही है।	शून्य	शून्य	
	कत्ल	१	१	—	—	६	६ अपराधी	
सिकरारा	डकैती	१	—	१	—	शून्य	लापता रहा	
	कत्ल	—	—	—	—	—		
जफराबाद	डकैती	२	१	१	—	१०	एक मुकदमे में गिरफ्तार ५ अभियुक्तों का चालान हुआ दूसरे में गिरफ्तार किये गये ५ अभियुक्त धारा १६९ जा० फौ० के अन्तर्गत रिहा किय गये।	
	कत्ल	—	—	—	—	—		

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६६ पर)

क्रम-सं०	विकास खण्ड का नाम		१ जनवरी, १९६९ से ३० जनवरी १९७० तक दिये गये नलकूप कनेक्शन की संख्या ।	पेंडिंग प्रार्थना-पत्रों की संख्या (४ मार्च, १९७० तक)
१.	महाराज गंज	..	४७	३०
२.	बछरावां	..	३२	—
३.	हरचन्दपुर	..	३८	८
४.	सिंहपुर	..	१७	५
५.	सतांव	..	१३७	८
६.	नसीराबाद	..	५९	२०
७.	सलोन	..	३९	—
८.	ऊंचाहार	..	१	१४
९.	जगतपुर	..	—	—
१०.	हलमऊ	..	३५	९
११.	सरेनी	..	२८	४८
१२.	खीरों	..	२	—
	योग	..	४३६	१४२

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७८२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी–विनाश (पुनः विनियोग अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७०

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियमन, १९५८ को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने तथा तद्धीन की गयी कार्यवाही को वैध करने, फिर तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिय

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

२० जून, १९६४ से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५९ का पुनः अधिनियमन

२—उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश अधिनियम, १९५८, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा २० जून, १९६४ से, निरस्त किया जाता और है धारा ३, ४ तथा ५ में उल्लिखित संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है ।

धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (II) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जांय, अर्थात्:—

"और पद 'अधिकतम क्षेत्र' का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में उसके लिये किया गया हो ।"

धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ख) जहां पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को निजी जोत में ले लिया हो तो पट्टेदार ऐसी भूमि का या जहां ऐसी भूमि अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो ऐसी भूमि के उतने भाग का जो उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत या किसी अन्य भूमि को मिलाकर अधिकतम क्षेत्र के बराबर हो जाय, मौरूसी काश्तकार हो जायगा और इस रूप में पट्टे की शर्तों क अनुसार देय लगान क, यदि कोई हो, बराबर, या यथास्थिति अनुपात में लगान का देनदार होगा ।"

नयी धारा ६–क तथा ६–ख का बढ़ाया जाना।

५––मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायें अर्थात्––

"६–क––पट्टे में सम्मिलित किसी भूमि के संबंध में जिसे पट्टे की शर्तों के अधीन तथा अनुसार पट्टेदार ने अपनी निजी जोत में ले लिया हो, अधिकतम क्षेत्र तथा अतिरिक्त क्षेत्र का अवधारण तथा सीमांकन, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन और उस पर कब्जा करना, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन करने के प्रतिकर का अवधारण और भुगतान, तथा उनसे संबंधित अन्य सभी विषय उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम १९६० ई० के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

पट्टेदार की निजी जोत के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१ का लागू किया जाना।

६–ख––राज्य सरकार ऐसे सरकारी अस्थानों पर, जिनके संबंध में इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन आज्ञा जारी की जाय, ऐसी आज्ञा के दिनांक से विलम्बतम इस अधिनियम के अन्तर्गत तीन माह के भीतर, और ऐसे सरकारी आस्थानों पर, जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी आस्था ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० के प्रारंभ होने के पूर्व आज्ञा दी गई हो या दी जाने के लिये तात्पर्यित हो, ऐसे प्रारंभ से विलम्बतम तीन माह के भीतर, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २ के अधीन, उस अधिनियम के संपूर्ण अथवा किन्हीं उपबन्धों को, अपवाद या परिष्कार सहित, प्रवृत्त करते हुए विज्ञप्ति जारी करेगी ।"

आस्थानों के संबंध में उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ का लागू किया जाना ।

वैधीकरण

६––किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय डिक्री या आदेश के होते हुए भी अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई क्रिया, जिनके अन्तर्गत, विशेष रुप से, उसे अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन कोई विज्ञप्ति, धारा ३ के अधीन किसी पट्टे का अवसान, या धारा ४ के अधीन किसी लगान या अन्य देयों की वसूली करना, या धारा ६ के अधीन भमि या पुस्तकों, लेखे या अन्य लेख्यों पर कब्जा करना या उन्हें अपने अवधान में लेना भी हैं, वैध समझी जायगी और सदैव से वैध होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच ने रिट याचिका, सन् १९६६ की संख्या ३०४३––'गंगासिंह चूड़ामणि तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, में निम्नलिखित कारणों से यह निर्णय दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार आस्थान ठेकेदारी–विनाश अधिनियम, १९५८ के उपबन्ध संविधान के प्रतिकूल हैं । प्रथमतः इस अधिनियम की धारा ४ (ख) के अधीन किसी पट्टेदार की निजी जोत के अन्तर्गत क्षेत्र पर आरोपित अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० द्वारा आरोपित अधिकतम सीमा से कम है। द्वितीयतः, भूमि व्यवस्था लागू करने में विलम्ब होने से यह संदेह

उत्पन्न हुआ कि पट्टे का समाप्त किये जाने का उद्देश्य भूमि व्यवस्था को लागू करना नहीं था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश अधिनियम, १९५८ को समुचित संशोधनों सहित पुनः अधिनियमित करने और उस अधिनियम के अधीन पहले से की गयी कार्यवाही को वैध करने के लिये वर्तमान विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधनों का यह प्रभाव होगा कि कोई पट्टेदार, जिसकी निजी जोत में भूमि हो, अपनी जोत के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र का मौरूसी काश्तकार हो जायेगा यदि उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा धृत अन्य क्षेत्र को मिला कर ऐसा क्षेत्र उस अधिकतम क्षेत्र के बराबर या उससे कम हो, जो उस पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के उपबन्धों के अधीन प्रयोज्य हों। उसकी निजी जोत के अन्तर्गत पट्टे वाले क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा धृत अन्य क्षेत्र का योग अधिकतम क्षेत्र से अधिक होने की दशा में, अधिक क्षेत्र को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के उपबन्धों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र सीमांकन किया जायेगा और ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र के लिये उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर भी दिया जायगा।

धारा ६-ख इस उद्देश्य से बढ़ायी जा रही है कि उन क्षेत्रों में, जहां इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ३ के अधीन पट्टे का अवसान कर दिया गया था इस अधिनियम के तीन माह के भीतर और मूल अधिनियम की धारा ३ के अधीन भविष्य में जारी की जाने वाली प्रत्येक विज्ञप्ति के, तीन माह के भीतर, १९५० ई० का उत्तर प्रदश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का प्रवृत्त किया जाना अनिवार्य कर दिया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मन्त्री।

नत्थी "झ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५०।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक ,

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५० की धारा ४ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० की धारा ४ में:—

(१) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(३) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार ४ करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(२) पार्श्व शीर्षक में शब्द 'और २ करोड़ रुपये' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में शब्द ' तथा ४ करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने और कीमतों के बढ़ने के कारण राज्य आकस्मिकता निधि में रखी हुई ६ करोड़ रुपये की धनराशि अप्रत्याशित व्यय को विधान मण्डल द्वारा अधिकृत किये जाने तक पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि चार करोड़ रुपये की और धनराशि इस निधि में जमा कर दी जाय। अतएव यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।	संक्षिप्त नाम
२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ में, उपधारा (२) में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर "ग्यारह वर्ष" रख दिये जायं ।	यू० पी० ऐक्ट सं० २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन
३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ८ में उप धारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" रख दिये जायं ।	उ० प्र०अधिनियम सं० ३३, १९६१ की धारा ८ का संशोधन
४—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ८, १९७० का निरसन

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार ने जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों के संगठन तथा कृत्यों का पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है । पुनर्विचार में अभी कुछ समय लगेगा । पुनर्विचार के आधार पर सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने के उपरान्त ही इन संस्थाओं के निर्वाचन कराये जायगें । चूंकि क्षेत्र समितियों का कार्यकाल ४ मई, १९७० तथा गांव पचायतों का कार्यकाल ५ जुलाई, १९७० को समाप्त होने को था और राज्य सरकार को इनका कार्यकाल और आगे बढ़ाने के अधिकार प्राप्त नहीं थे, अतः उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७० सम्बन्धित अधिनियमों को संशोधित करने के लिये प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये तदनुसार पुनःस्थापित किया जाता है ।

जगन प्रसाद रावत,
पंचायती राज मंत्री ।

नत्थियां

नत्थी "ट"

(देखिये पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी यात्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

बिधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९६२ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (१) क प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलने वाली यात्री गाड़ी की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पैसे में की जायेगी; अर्थात् आधे पैसे और उससे अधिक को पूरा पैसा गिना जायेगा और आधे पैसे से कम को छोड़ दिया जायगा; और

(ख) अन्य यात्री गाड़ियों की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पांच पैसों के गुणक में की जायेगी, अर्थात् ढाई पैसों और उससे अधिक को पूरे पांच पैसे गिना जायगा और ढाई पैसों से कम छोड़ दिया जायगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार यात्री-गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर की धनराशि की गणना निकटतम पैसे में की जायेगी। छोटे सिक्कों की कमी से इसके कार्य-संचालन में पर्याप्त कठिनाई अनुभव हुई है । इससे यात्रियों को भी असुविधा होती है । इस कठिनाई को दूर करन क उद्देश्य से उक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उसमें यह व्यवस्था की जा सके कि किसी नगर या नगरपालिका में चलने वाली यात्री- गाड़ियों को छोड़ कर, ऐसे कर की धनराशि की गणना, निकटतम पांच पैसे के गुणक में की जायेगी ।

नगरों तथा नगरपालिकाओं की दशा में वर्तमान स्थिति बनी रहेगी ।

इस उद्देश्य से विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

रामजी लाल सहायक,
परिवहन मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४६ एल० ए०—१९७०—८४५ । (मै०)